बुधवार, १ दिसंबर १९५४

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ –गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारकोल के उत्पाद

*५६९. श्री वी० पी० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में संश्लिष्ट औषधियों के निर्माण के लिये अनुमानत: तारकोल उत्पादों की प्रतिवर्ष कितनी आवश्यकता है ;

(ख) इस में से कितनी आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है ; तथा

(ग) भारत को तारकोल उत्पादों की आवश्यकता में स्वावलम्बी होने में कौनसी प्रमुख कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) यदि आज की मांग की आवश्यकतानुसार अधिकांश संश्लिष्ट औषधियां स्वदेश में ही तारकोल से बनाई जायं

तो ऐसे उत्पादों की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान निम्नलिखित होगा :—

	पौंड
बेंजीन	१,३१,८३,६००
टोलीन	१३,६१,५००
गामा पीकोलीन	२,३००
पैरिडीन	२२,५००

(ख) कुछ संश्लिष्ट औषधियां जो गामा पाइकोलीन, पैरीडीन और बेंजीन तथा टोलीन की अल्प मात्राओं पर आधारित हैं, उनका निर्माण देश में आधारभूत तारकोल उत्पादों से किया जा रहा है क्योंकि आवश्यक शुद्धता के पीकोलीन तथा पेरीडीन स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध नहीं हैं । वह आयात किये जाते हैं । इस समय संश्लिष्ट औषधियों के निर्माण के लिये बहुत अल्प परिमाण में बेंजीन की आवश्यकता होती है, इसलिये उसे स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कर लिया जाता है ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि भारत के संश्लिष्ट औषधि निर्माण उद्योग को यहां की एकस्व विधियों के कारण कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता क्योंकि अधिकांश एकस्व विदेशियों के अधीन हैं जिन्होंने भार-

तीय निर्माणकर्ताओं के लिये संश्लिष्ट औषधियों का निर्माण असम्भव बना दिया है ?

श्री कानूनगो : यह भी एक कारण हो सकता है किन्तु यह एक कुचक्र है। मध्यवर्ती वस्तुओं का उचित संभरण उपलब्ध नहीं है तथा निर्माण का कोई प्रोत्साहन तथा संगठन यहां नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि भट्टियों तथा अन्य निर्माणकर्ता उपक्रमों को तारकोल प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि भारतीय रेलों में इनके परिवहन के लिये डिब्बों का कोई प्रबन्ध नहीं है तथा उन्हें, इनका पीपों में परिवहन करना पड़ता है ?

श्री कानूनगो : यह ठीक है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि इस समय हमारे पास जो कोक भट्टियों के संयंत्र हैं उन में बेंज़ोल की प्राप्ति की कोई व्यवस्था नहीं है तथा बहुत ऊंचे तापक्रम पर कोयले को कोक बनाने की प्रक्रिया में जो थोड़ा सा बेंज़ोल उत्पादित होता ह वह नाफ्टा हाइड्रो क्लोराइड तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं में परिवर्तित हो जाता है जिससे बेंज़ोल प्राप्ति की कोई सम्भावना नहीं रहती ?

श्री कानूनगो : ये तथ्य औषधि जांच समिति द्वारा निर्देशित किये गये हैं । इसके लिये एक ही कारण नहीं है प्रत्युत के कई कारण है ?

श्री वी० पी० नायर : माननीय उपमंत्री जी ने कहा है कि यह एक कुचक्र है । क्या इस बात को ध्यान में रख कर कि संश्लिष्ट औषधि उद्योग देश के लिये महत्वपूर्ण है, सरकार के पास ऐसी संगठित योजनायें हैं कि इन कठिनाइयों का सामना किया जा सके तथा भारत संश्लिष्ट औषधियों के निर्माण में स्वावलम्बी हो ।

श्री कानूनगो : औषधि जांच समिति का प्रतिवेदन जिस ने कई उपाय सुझाये हैं, भारत के विभिन्न मन्त्रालयों के विचाराधीन हैं । उन विचारों के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : कोक भट्टी संयंत्रों में बेंजीन के उत्पादन के लिये हाल ही में स्थापित सन्दरी के कोक भट्टी संयंत्रों में व्यवस्था की गई है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या ६२१ को प्रश्न संख्या ५७० के साथ लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इसी के साथ सम्बन्धित है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): प्रश्नों में कुछ अन्तर है ।

अध्यक्ष महोदय : तब केवल प्रश्न संख्या ५७० को ही लेना चाहिये ।

भारतीयों का स्वदेश-प्रत्यागमन

*५७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ में कितने भारतीयों को स्वदेश भेजा गया ; और

(ख) उस अवधि में उनके स्वदेश प्रत्यागमन पर कितनी धन राशि व्यय की गई ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) २,५७२ ।

(ख) २२३ भारतीयों को स्वदेश प्रत्यागमन में १८,३४१ रुपये १० आने का प्रत्यक्ष व्यय हुआ है ; जिसमें से १,१०७

रुपये ४ आने सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल किये जायेंगे ।

१९५० के प्रधान मंत्री क़रार के अनुसार ११०० भारतीय मुसलमानों को, जो पहिले पश्चिमी पाकिस्तान चले गये थे, भारतीय सीमा से उत्तर प्रदेश में, उनके घरों तक निःशुल्क मार्ग-व्यय देने में अप्रत्यक्ष व्यय किया गया है ।

१२४९ भारतीय श्रमिक जो कि बुढ़ापे तथा अंगहीनता के कारण कार्य करने के अयोग्य थे विदेशी सरकारों के व्यय से भारत वापस आये । इस मद का व्यय ज्ञात नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : श्रीमान्, विदेशों द्वारा भारतीयों के स्वदेश प्रत्यागमन के लिये कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : ऐसे व्यक्तियों के स्वदेश प्रत्यागमन का, जिनकी वहां आवश्यकता नहीं है, मार्गव्यय वे स्वयं वहन करते हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : स्वदेश प्रत्यागमन के प्रमुख कारण क्या हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जब भारतीय श्रमिक बुढ़ापे अथवा अंगहीनता या दुर्बलता के कारण अग्रेतर कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें साधारणतया वापस भेज दिया जाता है ।

श्री वीरस्वामी : क्या यह सच है कि लंका सरकार की सेवा के बहुत से भारतीयों को सेवा से पदत्याग करने का नोटिस दिया गया है तथा लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इस कार्य के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया है, क्योंकि इससे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियो के क़रार का उल्लंघन होता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह मामला नितान्त भिन्न है । यदि माननीय सदस्य रुचि रखते हों तो एक पृथक प्रश्न पूछें ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार की नीति यह है कि स्वदेश प्रत्यागमन करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को सरकारी व्यय पर लाया जाय । यदि हां, तो उन भारतीय राष्ट्रजनों से, जो जर्मनी से वापस लौटे हैं, मार्ग व्यय क्यों वसूल किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सर्वप्रथम, हमने देखा कि इस स्वदेश-प्रत्यागमन पर अपेक्षाकृत कम व्यय हो रहा है । इस में नीति का कोई प्रश्न नहीं है । केवल बिशेष मामलों में ही हम उन्हें वापस लेते हैं । साधारणतः विदेशी सरकारें ही व्यय करती हैं । जर्मनी से स्वदेश-प्रत्यागमन करने वाले व्यक्तियों के मामले में नीति का कोई प्रश्न नहीं था । वे विशेष मामले हैं । हमने उनके स्वदेश प्रत्यागमन के लिये व्यय किया । उनमें से कुछ ने कहा कि हम इसे चुका देंगे हमने उनसे ले लिया--कुछ ने नहीं चुकाया और हमने वह रक़म हिसाब से उड़ा ही दी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या इन स्वदेश लौटे हुये व्यक्तियों के पुनर्वास पर भी कुछ धन राशि व्यय की गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

रूस से आयात

*५७१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-रूस व्यापार क़रार में हस्ताक्षर होने वाले दिन से अक्तूबर, १९५४ के अन्त तक, रूस से भारत को कुल कितने मूल्य का आयात हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारत के विदेशी व्यापार के अक्तूबर १९५४ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । दिसम्बर, १९५३ से सितम्बर, १९५४ तक रूस से भारत को कुल ७० लाख रुपये का आयात हुआ ।

श्री डी० सी० शर्मा : रूस से भारत को किन वस्तुओं का आयात हुआ है ?

श्री करमरकर : मुख्यतः औजारों, कोलतार के रंगों, अखबार के कागज, लकड़ी की चीजों, लकड़ी की बनी चाय की पेटियों तथा मोटर कारों का आयात हुआ है ।

श्री डी० सी० शर्मा : किस प्रकार की मोटरकारों का आयात हुआ है, तथा वे कैसा काम दे रही हैं ?

श्री करमरकर : मुझे इस प्रश्न पर सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री वी० पी० नायर : इस आयात के कुल आंकड़े उस अवधि में हुये कुल आयात का कौन सा प्रतिशत हैं ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र को ये आंकड़े पुस्तकालय में मिल जायेंगे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या रूस से मोटर कारों तथा अन्य पूंजी (मूल) सामानों के आयात को बढ़ाने की कोई योजना है ?

श्री करमरकर : पूंजी (मूल) सामान के सम्बन्ध में है तथा मोटर कारों के सम्बन्ध में नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सौदा वस्तु-विनिमय के आधार पर हो रहा है अथवा भारतीय तथा रूसी मुद्रा के विनिमय द्वारा ?

श्री करमरकर : वस्तु विनिमय के आधार पर नहीं हो रहा है ।

इस्पात संयंत्र

*५७२. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने विदेशों से इस प्रकार के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किये हैं जिसमें उन्होंने भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सेवायें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) उनकी शर्तें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख) . लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में किसी भी पराये देश ने कोई औपचारिक आवेदन-पत्र नहीं भेजा है । किन्तु कई मौकों पर विदेशों से आये हुये प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है । भारत में संयुक्त भारत-जापानी उद्यम के रूप में एक लोहा तथा इस्पात संयंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में १९५२ में जापानी व्यापारियों के साथ चर्चा हुई थी । इन चर्चाओं का अन्ततः कोई भी लाभ नहीं हुआ ।

इसके पश्चात् कई जर्मन साथों के साथ चर्चा हुई जिनके परिणामस्वरूप एक क़रार हुआ जिसके अनुसार वे अब भारत में सरकारी स्वामित्व का एक इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहे हैं ; और जिसके सम्बन्ध में लोक-सभा को जानकारी भी दी जा चुकी है ।

इस प्रकार के प्रस्ताव भी थे कि रूसी विशेषज्ञ भारत में लोहा तथा इस्पात संयंत्र स्थापित करेंगे । इन विशेषज्ञों के एक दल को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है, और वह आजकल यहीं पर है । वे बहुत से स्थानों का निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद उन से और चर्चा भी होगी । इस सम्बन्ध में लोक-सभा को भी जानकारी दी गई है ।

अभी हाल में विदेशी सहायता पाने की कई सामान्य प्रस्थापनायें दी गई हैं जिन में मुख्य रूप से ब्रिटेन की है जिस में उन्होंने भारत में एक लोहा तथा इस्पात संयंत्र स्थापित करने को कहा है। इस समय ये सब प्रस्तापनायें प्रारम्भिक स्थिति में हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या ब्रिटेन की ओर से इस प्रकार की प्रस्थापना आई थी जो बिड़ला वालों द्वारा मानी गई किन्तु राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं हुई ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे उत्तर के अन्तिम भाग में इसी बात की ओर निर्देश है। इसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में अब कोई भी प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भारत सरकार की औद्योगिक नीति के प्रकाश में ही यह सारा मामला अब विचाराधीन है।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये भावी संयंत्र सरकारी उद्यम के होंगे अथवा निजी क्षेत्र के ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह तो एक काल्पनिक प्रश्न है। हम यह नहीं कह सकते कि वास्तव में स्थिति क्या होगी। हमें सामान्य रूप से भारत की औद्योगिक नीति को दृष्टि में रख कर ही निश्चय करना है।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि रूसी कारीगर यहां आ चुके हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रूसी कारीगरों की सहायता से स्थापित किया जाने वाला नया संयन्त्र एक सरकारी उद्यम होगा अथवा निजी क्षेत्र का उद्यम ?

श्री के० सी० रेड्डी : ऐसा माना जाता है कि यह सरकारी उद्यम होगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार हमें इस बात का संकेत देगी कि भारत में इस्पात का निर्माण कराने के लिये विदेशों से कितनी निजी पूंजी मिलेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक इस स्थापित किये जाने वाले रौड़केला इस्पात संयंत्र का प्रश्न है, जर्मन उस करार की शर्तों के अनुसार, जो हम ने उन के साथ किया है, किसी विशेष सीमा तक समें धन लगाते रहेंगे। जहां तक रूसी विशेषज्ञों द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्र का प्रश्न है, अब हमारा निजी पूंजी लेने का क़तई अभिप्राय नहीं है। जहां तक अन्य प्रस्थापना का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि यह सारी बात प्रारम्भिक अवस्था में है।

नीवेली लिगनाइट खानें

*५७३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीवेली लिगनाइट संसाधनों से लाभ उठाने के सम्बन्ध में प्रारम्भ की गई अग्र परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उस अग्र परियोजना को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कोई सहायता मिल रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मद्रास सरकार से यह जानकारी मिल चुकी है कि अक्तूबर, १९५४ के अन्त तक इस अग्र परियोजना के सिलसिले में लगभग ८५ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

(ख) जी नहीं, किन्तु लिगनाइट निक्षेपों के खनन तथा उन्हें काम में लाने के लिये एक अग्र प्रतिवेदन की तैयारी के सिलसिले में सहायता प्राप्त की गई है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इस उद्योग में कितनी भारतीय पूंजी का विनियोग किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रयोगात्मक योजना का कार्य मद्रास सरकार द्वारा सरकारी योजना की नाईं किया जा रहा है बड़ी योजना के सम्बन्ध में हमें अभी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और वह प्रतिवेदन भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या प्रयोगात्मक योजना का परीक्षण करने और उस पर प्रतिवेदन करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों की एक सार्थ इस स्थान पर भेजी गई है तथा क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और सरकार उस पर विचार कर रही है । उसे सभा पटल पर रखने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा ।

श्री मेघनाद साहा : लिगनाइट में पानी की कितनी मात्रा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री मेघनाद साहा : मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं । क्या माननीय मंत्री का यह विचार नहीं है कि योजना का मितव्ययता युक्त संचालन लिगनाइट में पानी की मात्रा पर निर्भर है ? जहां तक मेरी जानकारी है, इसके पर्याप्त मात्रा है ।

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : वास्तविक लिगनाइट निक्षेप तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रयोगात्मक योजना के फरवरी १९५५ तक पूरा होने की आशा है ।

विदेश भेजे गये प्रतिनिधि-मंडल

*५७४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५३ से अक्तूबर, १९५४ तक कितने प्रतिनिधि मंडल---सरकारी गैरसरकारी तथा अर्ध-सरकारी विदेश भेजे गये ; और

(ख) केन्द्र ने इन प्रतिनिधि मंडलों पर कितना व्यय किया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं ? मैं समझता हूं कि दो या तीन अथवा चार बार पूरा पूरा ब्यौरा दे चुके हैं । उसी प्रकार का प्रश्न कुछ थोड़े से परिवर्तनों के साथ आजाता है---तारीख में एक दो महीने का अन्तर हो सकता है । मैं इसका सारा ब्यौरा बताने को पूर्णतया तैयार हूं परन्तु यह ९५ प्रतिशत वही प्रश्न है ;

हमें वही जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है और सभा के सामने रखनी पड़ती है । मेरा निवेदन है कि सम्भवतः इसमें अनावश्यक परिश्रम लगता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । लोकसभा सचिवालय ने समस्त मंत्रालयों को पत्र लिखा है कि जब कभी किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति हो और जानकारी दी जा चुकी हो, तो वे उस बात की ओर लोक-सभा सचिवालय का ध्यान दिलायें । स्पष्ट है कि लोकसभा सचिवालय के लिये यह असम्भव है कि पहले

पूछे गये सारे प्रश्नों की छानबीन की जाये और फिर उन्हें अनियमित करार दिया जाये । इसी कारण यह अनुदेश जारी किया गया था और यदि इसका पालन किया जाये तो ऐसी कठिनाई न हो ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां ९५ प्रतिशत पुनरावृत्ति हो और ५ प्रतिशत न हो

अध्यक्ष महोदय : इस बात की ओर ध्यान दिलाया जाये कि अमुक प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है चाहे वह ९० प्रतिशत हो अथवा ८० प्रतिशत । लोकसभा सचिवालय के लिये सारे मंत्रालयों के प्रश्नों की छानबीन करना सम्भव नहीं है ।

खादी

*५७६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी विक्रय में प्रति रुपये तीन आने की छूट मिल जाने पर चर्खा संघ ने अपना स्थापना व्यय बढ़ा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थापना व्यय कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है और खादी के विक्रय पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि जब सरकार ने खद्दर में तीन आने रुपया रिबेट दिया तो चरखा संघ वालों ने अपने एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ा दिया और इस तरह से खद्दर सस्ता नहीं हो सका ?

श्री कानूनगो : इसके बारे में, मैं ने कहा कि यह चीज नहीं हुई है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इसकी तरफ ध्यान देकर जांच पड़ताल करेगी ?

श्री कानूनगो : पड़ताल करके ही यह कहा गया है ।

चीन का जनवादी गणराज्य

*५७७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि १० अक्तूबर, १९५४ को कलकत्ता के कुछ चीनियों ने चीनी जनवादी गणराज्य के विरोध में पोस्टर लगाये थे ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में एक पाठशाला के भवन पर उस दिन भारत के राष्ट्रीय झण्डे के साथ साथ च्यांग काई शेक का झंडा भी फहराया गया था ; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, कुछ पोस्टर आपत्तिजनक थे और उन में हिंसात्मक कार्यों के लिये भड़काया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध इन कार्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है और दूसरों को चेतावनी दी गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को यह भी पता चला है कि पश्चिमी बंगाल की पुलिस सामान्यतः च्यांग काई शेक के शासन के समर्थकों का पक्ष लेती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम इस बात को नहीं मानते ।

प्रलेख-चित्र तथा समाचार-चित्र

*५७९. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की प्रलेख-चित्रों तथा समाचार-चित्रों को प्रादेशिक भाषाओं में बनाने की कोई योजना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : प्रलेखचित्र और समाचार चित्र तो अब भी चलचित्र विभाग द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में बनाये जाते हैं। अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी, बंगाली, तामिल और तेलगू भाषाओं के चित्र सिनेमाओं को दिये जाते हैं। पंचवर्षीय योजना के एकीकृत कार्यक्रम के लिये गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड, पंजाबी, उड़िया, आसामी और काश्मीरी भाषा में भी इस की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को देखते हुये कि अंग्रेज़ी के बहुत से प्रलेख-चित्र तथा समाचार-चित्र हमारे पर ठूंसे जा रहे हैं, क्या मैं अब तक प्रादेशिक भाषाओं में तैयार किये गये चित्रों का प्रतिशत जान सकता हूं ?

डा० केसकर : मैं ठीक ठीक भाषावार प्रतिशत बताने के लिये पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि इन वृत्त चित्रों को ग्रामों तक पहुंचाने के लिये पंचायतों तथा वहां के स्कूलों की अधिक से अधिक सहायता ली जाय ?

डा० केसकर : देहातों में पहुंचाने के लिये ही क्षेत्रीय भाषाओं में चित्र बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो यह काम केन्द्रीय सरकार के लिये बहुत कठिन है।

श्री अच्युतन : सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रलेख चित्रों तथा समाचार-चित्रों के निर्माण सम्बन्धी योजना की पूर्ति की हम कब तक आशा कर सकते हैं, विशेष कर दक्षिण भारत की भाषाओं में जैसे मलयालम तेलगू तथा तामिल आदि ?

डा० केसकर : यह धन का प्रश्न है। यदि हम सारे प्रलेख चित्रों का निर्माण सभी प्रादेशिक भाषाओं में करते हैं, तो इस पर बहुत अधिक व्यय होगा। मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का दृष्टिकोण चलचित्र विभाग के प्रति बहुत कठोर है और उनका कथन है कि इसको कम से कम व्यय करना चाहिये।

जोंक बांध परियोजना

*५८०. **श्री बी० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री २९ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोंक बांध परियोजना के मूल स्थान से धारा के ऊपर की ओर स्थित उक्त स्थान की जांच कब तथा किसने की थी ; और

(ख) किन व्यक्तियों ने जांच की थी उन्होंने किस प्रकार का प्रतिवेदन दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अप्रैल, १९५३ में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जोंक बांध परियोजना के मूल स्थान से धारा के ऊपर की ओर स्थित स्थान पर जांच की थी ;

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग एवं भारतीय भू परिमाप के भूतत्ववेत्ता ने बताया है कि केन्द्रीय भाग के तल में बहुत सा भू-भाग कुटा हुआ था इस कारण बांध बनाने के लिये इस स्थान को उपयुक्त नहीं समझा गया।

श्री बी० एन० मिश्र : कुछ हुये भूभाग के सम्बन्ध में क्या मैं अन्य परियोजनाओं में पाये गये कुटे हुये भूभागों के आंकड़े जान सकता हूं और क्या ऐसे भूभाग दामोदर घाटी तथा अन्य परियोजनाओं में भी पाये गये थे अथवा नहीं ?

श्री हाथी : ये अन्य परियोजनाओं में उतने नहीं पाये गये थे, जितने इस स्थान पर पाये गये ।

श्री बी० एन० मिश्र : विस्तार में कितना अन्तर है ? उसका प्रतिशत कितना है ? क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं ?

श्री हाथी : इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि इसे ठीक करने में कितना व्यय होगा । यदि अधिक कुटा हुआ भूभाग हो तो उसको ठीक करने में अधिक धन लगता है और इस कारण स्वाभाविक है कि परियोजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होती ।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में वह स्थान निर्माण के लिये उपयुक्त होगा ?

श्री हाथी : वह स्थान उपयुक्त नहीं हो सकता ।

श्री जांगड़े : क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने जोंक नदी परियोजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ?

श्री हाथी : जी नहीं ।

नमक

*५८३. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५१ में सरकार ने नमक के सम्बन्ध में एक विभागीय समिति बनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन कौन थे ;

(ग) उनकी सिफारिशें क्या थीं ; और

(घ) उनको कहां तक लागू किया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां, जुलाई, १९५१ में ।

(ख) समिति का निर्माण इस प्रकार से किया गया था :—

(१) श्री बी० बी० पेमास्टर, आई० सी० एस०—सभापति ।

निर्माण, उत्पादन तथा संभरण मंत्रालय के तत्कालीन उप-सचिव ।

(२) श्री ए० बख्शी—सदस्य ।

वित्त मंत्रालय के उप-सचिव,

जिनके स्थान पर बाद को १२-१-५३ से श्री बी० एस० भटनागर रख लिये गये थे ।

(३) श्री एस० सी० अग्रवाल—सदस्य सचिव ।

नमक आयुक्त ।

(ग) और (घ). समिति की सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाही को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।[**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३**]

चौ० रघुवीर सिंह : किन कारणों से समिति ने साफ करने वाले संयंत्र से आगे कार्य करने का विचार नहीं किया ?

श्री आर० जी० दुबे : क्योंकि ऐसा करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होता

श्री ए० एम० थामस : समिति की एक गवेषणा प्रयोगशाला स्थापित करने की

सिफारिश को क्यों छोड़ दिया गया है ? देश के विभिन्न भागों में तीन-चार परीक्षणात्मक फर्मों की स्थापना करने के सरकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री आर० जी० दुबे : प्रश्न के प्रथमांश का जहां तक सम्बन्ध है, सांभर में पहले ही से एक प्रयोगशाला है। इससे काम चल जायेगा और दूसरी प्रयोगशाला स्थापित करना इसी कारण वांच्छित नहीं समझा गया। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, इस विषय पर सरकार विचार कर रही है।

कुटीर उद्योग उत्पाद

*५८४. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित जिन वस्तुओं का आजकल आयात किया जाता है, उनका यहां उत्पादन करने की सम्भावना के सम्बन्ध में अभी तक कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो जरूरत की और विलास की वस्तुओं के सम्बन्ध में कहां तक इस की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). बड़े पैमाने पर अथवा छोटे पैमाने पर भारत में ऐसी वस्तुओं के बनाने की सम्भावना के सम्बन्ध में बराबर अध्ययन किया जा रहा है।

श्री झूलन सिंह : क्या बाहर से मंगाई जाने वाली उन वस्तुओं के सम्बन्ध में, जिनका निर्माण यहां करके आयात का प्रतिस्थापन किया जा सकता है, कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री कानूनगो : यह सदा ही किया जा रहा है।

श्री झूलन सिंह : आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य और उन की मात्रा कितनी है ?

श्री कानूनगो : इस के लिये पूर्व सूचना और सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता होगी। वे बहुत सी वस्तुएं हैं।

सूती वस्त्र निधि अध्यादेश, १९४४

*५८५. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्र निधि अध्यादेश १९४४ अब भी लागू है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसके स्थान पर संसद् का एक अधिनियम बनाने का विचार है ;

(ग) १९५३–५४ में निधि को कितनी आय हुई और (१) अधीक्षण तथा (२) प्रौद्योगिक शिक्षा पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) ३१ मार्च, १९५४ को निधि में कितनी धनराशि जमा थी और इसका प्रशासन किस अभिकरण द्वारा होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). यह अध्यादेश एक संघीय विधान है जो युद्ध-काल में पारित किया गया था, और स्थायी है। अतः अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु यदि आवश्यक समझा गया तो "अध्यादेश" शब्द "अधिनियम" शब्द में बदला जा सकेगा।

(ग) १९५३-५४ में निधि को कुछ भी आय नहीं हुई। निर्यात के लिये बनाये गये कपड़े के अधीक्षण तथा गवेषणा के सम्बन्ध में इस अवधि में कोई खर्च नहीं हुआ।

(घ) ३१-३-१९५४ को निधि में २,३२,९९,५०७ रुपये ११ आने ८ पाई थे। सूती वस्त्र निधि अध्यादेश, १९४४ के उपबन्ध के अनुसार निधि का प्रशासन सूती वस्त्र निधि समिति द्वारा होता है।

श्री के० सी० सोधिया : माननीय मंत्री ने कहा कि न कुछ खर्च हुआ न कुछ आय हुई। क्या १९५४ में अध्यादेश निष्फल हो गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं उत्तर को थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं। भाग (ग) का उत्तर यह है :

> "निर्यात के लिये बनाये गये कपड़े के अधीक्षण पर इस अवधि में निधि में से कोई खर्च नहीं हुआ".

हमने गवेषणा पर खर्च किया है। यह निधि बढ़ती नहीं है। किन्तु, गवेषणा पर इसी निधि में से खर्च किया जाता है। चालू साल में उन वस्तुओं के निरीक्षण पर भी खर्च करने का विचार है, जिनका निर्यात होता है। सूती वस्त्र गवेषणा के लिये हम अन्य गवेषणा संस्थाओं पर भी काफी खर्च करने वाले हैं।

श्री के० सी० सोधिया : अपने संविधान के स्पष्ट उपबन्धों को देखते हुये क्या सरकार अध्यादेशों को रखना अवांछनीयता नहीं समझती ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि अध्यादेश का अर्थ अधिनियम ही है।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड

*५८७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान में 'शेवरलेट' कारें बनाने के लिये हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड और अमरीका के जनरल मोटर्स कारपोरेशन के बीच हाल ही में कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में 'शेवरलेट' कारें बनाने के लिये संयंत्र के निर्माण में अनुमानतः कितना खर्च होगा ; और

(ग) इसमें कितने प्रतिशत अमरीकी पूंजी लगाई जायगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्। सरकार को इसका ज्ञान नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का देश में कारों की मांग बढ़ाने के लिये निकट भविष्य में ही एक मोटर गाड़ी निगम की स्थापना करने अथवा उसके निर्माण के लिये प्रोत्साहन देने का विचार है ?

श्री करमरकर : हमारा ऐसा विचार नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को देखते हुये कि देश में कारों की मांग संभरण के स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या सरकार का इस मांग को बढ़ाने का विचार है ?

श्री करमरकर : मैं माननीय मित्र का ध्यान उस वाद विवाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि इस विषय पर गत सत्र में हुआ था।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

*५८८. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय अधिनियम के अधीन सह-संस्था के रूप में राष्ट्रीय औद्यो-

गिक विकास निगम लिमिटेड का निर्माण और पंजीयन हो गया है ;

(ख) क्या सरकार निगम के ज्ञापनों और सन्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

(ग) अभी तक संचालक बोर्ड की कितनी बैठकें हो चुकी हैं और अब तक निगम द्वारा कौन कौन से काम प्रारम्भ किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) निगम के ज्ञापन तथा सन्था के अन्तर्नियमों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रख दी गई--देखिये संख्या एस ४५५/५४**]

(ग) निगम के संचालक बोर्ड की केवल एक बैठक हुई है । इस बैठक में निगम ने अध्ययन तथा अनसन्धान हेतु उद्योगों की एक सूची तैयार की और प्रौद्योगिक सलाह प्राप्त करने के लिये जो प्रबन्ध किये जाने हैं उन पर विचार किया ।

श्री टी० के० चौधरी : संचालक बोर्ड के कौन कौन सदस्य हैं और उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई थी ? मैं इस प्रश्न को इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति सारे संचालकों का नाम निर्देशन करते हैं और मैं समझता हूं कि इस के कई संचालक हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका चुनाव कैसे हुआ ।

श्री करमरकर : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इसके सभापति हैं । संचालक सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही है और उपयुक्तता के आधार पर उनका चुनाव किया जाता है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं संचालकों के, विशेष रूप से, गैर सरकारी संचालकों के, नाम जानना चाहता हूं !

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये । फिर भी मैं माननीय सदस्य के पास एक सूची भेज दूंगा ।

श्री टी० के० चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अभी तक सरकार ने ही इस निगम की समस्त अंशपूंजी की पूर्ति की है और इस काम के लिये इस साल एक अनुपूरक आय व्ययक का अनुदान भी प्राप्त किया गया है, सरकार और इस संसद् की ओर से निगम किस प्रकार के संगठन के नियंत्रण तथा अधीक्षण में रहेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वही सामान्य संगठन, जो कि सरकारी धन के सारे खर्चों की जांच करने के लिये है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या अन्य सरकार द्वारा अधिकृत निगमों के समान यह भी स्वायत्त निगम समझा जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्तुतः यह तथ्य ही, कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस का सभापति है, इसको 'स्वायत्त' शब्द से सम्बन्धित सारी विशेषताओं से बंचित कर देता है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : किन किन उद्योगों के बारे में अनुसंधान सम्बन्धी आदेश जारी किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे याद नहीं है । यह एक काफी लम्बी सूची है, यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उनको यह सूचना दे सकता हूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सन्था के अन्तर्नियमों की कंडिका ७ में हम देखते हैं :--

> "उस सम्बन्ध में राष्ट्रपति के निदेशों के अधीन, और इसमें निहित उपबन्धों के अधीन अंशों पर संचालकों का नियंत्रण होगा ।"

इस समवाय के अंशों के नियंत्रण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति किस हैसियत से निदेश देगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : 'राष्ट्रपति' शब्द भारत सरकार के लिये प्रयोग किया जाता है ।

श्री मेघनाद साहा : सामान्य प्रकार के संगठन का क्या अर्थ है, जिसका कुछ देर पूर्व माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था ? क्या देश के सारे पूंजीपति इकट्ठे कर दिये जायेंगे और जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अगर माननीय सदस्य 'सामान्य प्रकार' से यही समझते हैं, जैसा कि वे कहते हैं, तो मैं उनको और अधिक नहीं समझा सकता ।

विश्व शरणार्थी समस्या

*५८९. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समिति ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें विश्व शरणार्थी समस्या को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिये एक कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संकल्प द्वारा शरणार्थियों का अन्तिम उत्तरदायित्व उन देशों पर डाल दिया गया है जिनमें वे रहते थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, परन्तु जिस संकल्प की ओर निर्देश किया गया है उस का सम्बन्ध विश्व शरणार्थी समस्या से नहीं है, प्रत्युत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के क्षेत्राधिकार में आने वाले शरणार्थियों से है ।

(ख) जी हां, परन्तु केवल संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के क्षेत्राधिकार में आने वाले शरणार्थियों के सम्बन्ध में ।

(ग) इस संकल्प का सम्बन्ध भारत की शरणार्थी समस्या से नहीं है ।

श्री जेठालाल जोशी : राष्ट्रवार या देशवार उन शरणार्थियों की संख्या क्या है जो राजनैतिक शक्ति के हस्तान्तरण या युद्धों के कारण विस्थापित हुये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि इस जानकारी को एकत्र करना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि माननीय सदस्य ने राजनैतिक उपद्रवों आदि के कारण बने हुये संसार भर के शरणार्थियों के आंकड़े मांगे हैं ।

श्री जेठालाल जोशी : मैं माननीय मंत्री द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार आंकड़े जानना चाहता हूं ।

श्री अनिल के० चन्दा : एक पृथक् प्रश्न पूछा जाये । हम इस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री मेघनाद साहा : क्या भारत सरकार ने पश्चिमी जर्मनी में शरणार्थी पुनर्वास का अध्ययन किया है, जहां तीन में से एक व्यक्ति शरणार्थी है और जहां उनका दावा है कि उन्होंने इस समस्या को पूर्णतः हल कर लिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह प्रश्न माननीय पुनर्वास मंत्री से पुछा जा सकता है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : और बहुत सी समस्यओ को हल करना होता है । हम इस प्रश्न को ऐसे ही नहीं निबटा सकते—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ५९५ । श्री हेम राज ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे पास प्राधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : तब इसे अन्त में लिया जायेगा ।

ऊनी कपड़ों पर छूट

*५९६. **श्रीमती जयश्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि हथकरघों से निर्मित ऊनी कपड़े की बिक्री पर रुपये में १ १/२ आना छूट दी जाये ।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : हां, श्रीमान् ।

श्रीमती जयश्री : हथकरघे के ऊनी कपड़े की कुल बिक्री कितनी है और उस पर छूट देने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी ।

श्री कानूनगो : छूट देने का निश्चय हाल ही में किया गया था और इसलिये ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते । यह निश्चय गत मास ही किया गया था ।

लोहे की नालीदार चादरें

*५९७. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य के लिये नालीदार लोहे की चादरों के समाहार और बिक्री के प्रति बंडल मूल्य क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि समाहार और बिक्री के मूल्यों में असाधारण अन्तर है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) कलकत्ता में समाहार मूल्य ७१-८-० रुपये है और मनीपुर में बिक्री मूल्य बिक्री कर के बिना ९२ रुपये १५ आ० १ पाई प्रति बंडल है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) मुझे ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आसाम लाइन पर ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां यातायात इकट्ठा हो जाता है और बहुत सा रास्ता मोटर से तय करना होता है सरकार ने इस वस्तु पर भाड़ा कम करने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जहां तक भाड़े में कमी करने का प्रश्न है यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के हाथ में नहीं है । इस में और भी बहुत सी बातें हैं, और मैं समझता हूं कि यह उन विषयों में से एक है जिन पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मनीपुर में इन लोहे की चादरों को खरीदने में लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है क्या सरकार इस विषय में शीघ्र निश्चय करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मेरा सम्बन्ध है । इसका निश्चय तो सर्वथा

राज्य सरकार को ही करना है। यदि राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्थापनायें आईं तो केन्द्रीय सरकार उन प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने में अवश्य सहयोग देगी।

हीराकुड कर्मशाला

*५९९. **श्री लोकनाथ मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना के पूरा होने के पश्चात् हीराकुड की कर्मशाला का क्या होगा ; और

(ख) क्या सरकार ने बांध की रचना पूरी होने के पश्चात् कर्मशाला और अन्य भवनों से लाभ उठाने के लिये हीराकुड में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने की आवश्यकता की जांच की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात्, परियोजना में इस समय प्रयोग की जाने वाली मशीनों को अन्य परियोजनाओं को बेचने या हस्तान्तरित करने के लिये, ठीक करने के हेतु हीराकुड की कर्मशाला की लगभग दो वर्ष के लिये आवश्यकता होगी। तत्पश्चात् कर्मशाला का एक भाग परियोजना की मशीनों के संधारण के लिये प्रयोग किया जायेगा।

(ख) नहीं, श्रीमान्। यह ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध उड़ीसा सरकार से है और राज्य सरकार से स्थिति बताने के लिये कहा गया है।

श्री लोकनाथ मिश्र : क्या उड़ीसा सरकार के खर्च पर इस कर्मशाला का प्रबन्ध किया जाता है—मेरा अभिप्राय है कि क्या हीराकुद परियोजना के धन में से किया जाता है ? उत्तर में यह कहा गया था कि सामग्री किसी और परियोजना को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कर्मशाला का व्यय हीराकुद परियोजना से किया जाता है जो कि उड़ीसा की है ?

श्री हाथी : व्यय हीराकुद परियोजना से किया जाता है। केन्द्रीय सरकार यह राशि उड़ीसा सरकार को ऋण के रूप में देती है।

श्री लोकनाथ मिश्र : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उस से अत्युत्तम लाभ उठाने के लिये वहां कोई इंजीनियरिंग कालेज बनाना अच्छा होगा अथवा नहीं ?

श्री हाथी : उड़ीसा सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है, परन्तु अभी उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

गांवों में बिजली लगाना

*६००. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **योजना** मंत्री १५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार से १९५४-५५ और १९५५-५६ के लिये गांवों में बिजली लगाने की कोई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितना ऋण मंजूर किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १६३·३३ लाख रुपये।

श्री एस० सी० सामन्त : पिछली बार मद्रास और बंगाल के सम्बन्ध में हमें कोई अन्तिम सीमा नहीं बताई गई थी। क्या मद्रास के लिये कोई अन्तिम सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री हाथी : वस्तुतः इस में अन्तिम सीमायें निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु मद्रास के लिये ३९७ लाख रुपये नियत किये गये हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि केवल अनुमोदित योजनाओं के लिये ही अनुदान दिये जाते हैं ? क्या सरकार को विदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में धनाभाव के कारण योजनायें ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार गम्भीरता से विचार नहीं करेगी क्या केन्द्रीय सरकार इन मामलों के अभिलेख मंगायेगी ?

श्री हाथी : केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य से अभिलेख नहीं मंगायेगी। अधिक से अधिक यह होता है कि योजना आयोग राज्यों को बता देता है और गांवों में बिजली लगाने की योजनायें भेजने के लिये कहता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस योजना के अधीन ऋण देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार ने निश्चित रूप से यह पता लगा लिया था कि बिजली बिना-लाभ हानि के आधार पर दी जायेगी ।

श्री हाथी : यह काम राज्य सरकार का है । परन्तु सामान्यत: इस बात का ध्यान रखना योजना आयोग का कार्य है कि गांवों में बिजली लगाने पर कम खर्च हो ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : ऐसे ही प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितना ऋण दिया गया है ? क्या इतनी ही राशि दी जायेगी या कुछ और भी दी जायेगी ?

श्री हाथी : २३५ लाख रुपये की राशि दी गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : पश्चिमी बंगाल से कितनी योजनायें प्राप्त हुई हैं ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल से ३७ योजनायें प्राप्त हुई हैं, परन्तु मैं आंकड़े देखूंगा ।

कांच उद्योग

*६०२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि भारत में बनी कांच की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय उपभोक्ता सामान्यत: यह शिकायत करते हैं कि निम्नतम निर्धारित स्तर की न होने के कारण शीशियां घटिया क़िस्म की होती हैं जिस से उन में डाली हुई चीजें ख़राब हो जाती हैं ;

(ख) सरकार ने उन निर्माताओं के लिये उपयुक्त भारतीय कांच का सामान बनाने के लिये जो इसका प्रयोग करते हैं यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस समय भारतीय कांच का सामान बनाने के उद्योग एम्प्यूल्स, गिलास और चिमनियां इत्यादि सब प्रकार की कांच की वस्तुयें बनाने के लिये लगभग एक ही प्रकार के कच्चे माल और एक ही प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि औषधि निर्माण करने वालों ने यह शिक़ायत की है कि भारतीय शीशियों में भरने पर उन की औषधियां ख़राब हो जाती हैं ?

श्री कानूनगो : अन्तिम भाग का उत्तर यह है कि सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । दूसरी बात जिस का उन्होंने उल्लेख किया है उस का उत्तर यह है कि कुछ निर्माता तो एक ही प्रकार के माल का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं भी करते ।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री ने औषधि निर्माण जांच समिति का प्रतिवेदन पढ़ा है जिस में निश्चित रूप से यह लिखा हुआ है कि भारतीय औषधी निर्माताओं के मार्ग में यह एक बहुत बड़ी बाधा है कि शीशियां अपेक्षित स्तर की नहीं होतीं और उन की चीजें बिगड जाती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने औषधि निर्माण जांच समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है जिसके निश्चय ही वह पंडित प्रतीत होते हैं । यदि प्रश्न को और ढंग से पूछा गया होता तो इस का उत्तर दे दिया जाता, किन्तु यह प्रश्न इस ढंग से पूछा गया है जैसे यह एक सामान्य शिकायत हो और इस के सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार ने शीशियों की, विशेषत: जब उन में औषधियां भरी जानी हों, क़िस्म का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में भारत सरकार की इस कार्य की प्रभारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने इस कार्य को नहीं आरम्भ किया है ।

बेरोजगारी

*६०३. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भारत सरकार के पास अब राज्य में बेरोज़गारी के आंकड़े भेजे हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जायगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार द्वारा बेरोजगारी के सम्बन्ध में भेजी गयी रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या २४]

श्री डी० सी० शर्मा : सरकार न केवल पंजाब में ही वरन् सम्पूर्ण भारत में बेरोज़गारी के सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : हाल ही में भारत के २३ नगरों में की जाने वाली जांच के सम्बन्ध में मैं ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था, किन्तु मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में सम्पूर्ण देश में जांच करने का निश्चय किया गया था ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन जांचों में कितना समय लगेगा तथा इस की रिपोर्ट जनता को कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह जांच अधिकांशत: समय समय पर होने वाली गणना के रूप में होगी तथा इस के परिणामों की उपलब्धि मुख्यत: अपेक्षित प्रविधिक कर्मचारियों की उपलब्धता पर और काम कितना होगा इस पर निर्भर करते हैं और इस का काम बहुत काफी है ।

श्री डी० सी० शर्मा : पंजाब सरकार ने यह सुझाव दिया है कि ऐसा विधान बनाया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत बेरोज़गार लोगों का पंजीयन हो सके । क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है, और यदि हां, तो उ की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जैसा कि उत्तर में बताया गया है, इन सब चीज़ों पर सरकार अलग से विचार कर रही है ।

केनिया में भारतीय

*६०५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जातिभेद की नीति के परिपालन के हेतु केनिया सरकार भारतीयों के आप्रवास को निरुत्साहित कर रही है तथा यूरोपियनों के आप्रवास को बढ़ावा दे रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपनिवेश राज्य-सचिव ने एशिया के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये अभ्यावेदन के टाल मटोल करने वाले तथा असन्तोषजनक उत्तर दिये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) केनिया के आप्रवास सम्बन्धी नियम सिद्धान्त रूप में जातीय भेद-भाव करने वाले नहीं हैं । किन्तु व्यवहार रूप में, केनिया सरकार की यह पक्की नीति है कि उपनिवेश में यूरोपियनों के आप्रवास को बढ़ावा तथा भारतीयों के आप्रवास को निरुत्साहित करना है, इस नीति को प्रशासकीय ढंगों से लागू किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस समय सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या केनिया द्वारा अपनाई गई नीति आप्रवासी जातियों को समाप्त कर देने की है ? यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि जहां तक एशिया के लोगों का सम्बन्ध है, उन्हें अब केनिया में प्रवेश करने में बड़ी कठिनाई हो रही है ।

कोलम्बो योजना

*६०६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत से सर्वेक्षकों के ४० जत्थे नेपाल जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कितने समय तक वहां रहेंगे और कौन-कौन सी चीजों का सर्वेक्षण करेंगे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). भारतीय भू-परिमाप काठमांडू की घाटी तथा नेपाल के विराट नगर क्षेत्रों का त्रिकोणमितिक परिमाप कर रहा है और यह कार्य १९५६-५७ तक पूरा हो जायगा । परिमाप का व्यय भारत सरकार कोलम्बो योजना के अन्तर्गत देगी ।

सर्वेक्षकों का केवल एक ही दल है यद्यपि हो सकता है कि किसी समय इसके सदस्य छोटी-छोटी टोलियों में आसपास के क्षेत्रों में बिखरे हुये हों ।

श्री विभूति मिश्र : इस सर्वे पार्टी पर कुल कितना खर्च पड़ेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : अब तक हम इस पर २८ लाख रुपये व्यय कर चुके हैं ।

कार्यालय के लिये स्थान

*६०७. **श्री बी० एन० मिश्र :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार के महालेखापाल तथा उप महालेखापाल के कुछ कार्यालयों का स्थान परिवर्तन नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नाग-

पुर, मध्य प्रदेश की नई इमारत के कुछ भागों में किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टे की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या नगर में अथवा उसके आसपास के किसी भाग में इस कार्यालय के लिये कोई अन्य सस्ते किराये का स्थान प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न सरकार ने किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पट्टा आरम्भ में दो वर्ष के लिये किया गया है जो उचित समय में पूर्व सूचना के द्वारा पट्टेदार की इच्छा से किसी भी समय समाप्त हो सकता है ? सभी सरकारी अथवा नगरपालिका के करों को सम्मिलित कर इसका किराया १८ रुपये प्रति मास प्रति सौ वर्ग फुट है । इमारत की देख भाल, मरम्मत, विद्युत् की व्यवस्था, सफाई तथा नालियों आदि का प्रबन्ध करना पट्टा देने वाले का दायित्व होगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) अन्य अनेक भवनों के सम्बन्ध में विचार किया गया था किन्तु वे या तो प्रशासकीय सुविधा, उपलब्ध स्थान के प्रकार एवं गुंजाइश अथवा मांगे गये किराये की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझे गये ।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या सरकार उन भवनों की सूची प्रस्तुत करेगी जो उसने इन कार्यालयों के लिये पट्टे पर ली हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बिल्डिंग, इंडियन म्यूचुअल इन्श्योरेंस कम्पनी बिल्डिंग, सराफ चेम्बर बिल्डिंग, माउंट रोड तथा अन्तिम नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी बिल्डिंग ।

श्री बी० एन० मिश्र : जिन बिल्डिंगों का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है, ये सब नगर के बीचों बीच हैं, विशेषकर मुख्य मार्गों पर स्थित हैं, क्या सरकार ने कान्ती तथा अन्य उपनगरों के आस-पास भी पता लगाया है जहां बहुत काफी संख्या में भवन हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं समझता हूं कि वह अत्यधिक प्रशासकीय ब्यौरे में जा रहे हैं ।

केनिया में भारतीय

*६११. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि केनिया की भारतीय कांग्रेस द्वारा केनिया के मामलों को तय करने के लिये भारत से मध्यस्थ की हैसियत से कार्य करने के लिये निवेदन करने के सम्बन्ध में इंगलिस्तान सरकार से अभ्यावेदन किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस विषय में सरकारी तौर पर कोई सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) केनिया की भारतीय कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया था । भारत सरकार को इस विषय में सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या हाउस आफ कामन्स में एक प्रश्न के उत्तर में उपनिवेश सचिव ने यह कहा था कि यह

विषय उन्हें निर्दिष्ट किया गया था और उन्होंने इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने के लिये इसे पुनः केनिया सरकार के पास ही भेज दिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यही उत्तर दिया गया था। उन्होंने कहा—"मैं समझता हूं कि केनिया सरकार का यह उत्तर देने का विचार है कि संकल्प को नोट कर लिया गया है। मैं इस विषय में आगे और कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता"।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या केनिया सरकार के आप्रवास सम्बन्धी विधियों में कोई इस प्रकार का संशोधन करने की सम्भावना है कि यदि कोई केनिया में पैदा हुई लड़की केनिया के बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करती है तो उसे अपने पति को केनिया में लाने का अधिकार न रहे ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे स्मरण है कि पिछले सत्र में भी इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया था। केनिया के गवर्नर ने कहा था कि वह इस मामले पर विधान परिषद् में चर्चा करवाने को तैयार हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने इस विषय में केनिया सरकार को कोई पत्र लिखा है अथवा अपने विचार बताये हैं, क्योंकि वहां की सरकार इन आप्रवास सम्बन्धी विधियों को बनाने जा रही है।

श्री अनिल के० चन्दा : केनिया सरकार को इस विषय में भारत सरकार के विचार भली भांति विदित हैं।

अणु शक्ति

*६१२. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ १/२ करोड़ रुपये की लागत पर ट्रोम्बे में अणु शक्ति के सम्बन्ध में गवेषणा करने के लिये एक गवेषणा रिएक्टर लगाये जाने की आशा है ;

(ख) क्या गवेषणा की द्वितीय अवस्था में थोरियम के उपयोग के लिये रियेक्टर के रूपांकन तथा स्थापना की कोई योजना है ; और

(ग) क्या भाखड़ा नंगल प्रदेश में ट्रोम्बे के परियोजित रिएक्टर के लिये कोई योजना भारी पानी बनाने की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां, ट्रोम्बे में एक गवेषणा रिएक्टर लगाने का इरादा है। इसकी लागत इसके अन्तिम रूपांकन तथा कुछ अन्य बातों पर निर्भर करती है इस कारण इस समय ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार ने ट्रोम्बे में प्रथम गवेषणा रिएक्टर के पूरे होने के लिये कोई समय निर्धारित किया है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : स्वाभाविक है कि जो कुछ वह करना चाहते हैं उसका एक सामान्य रूप उनके सम्मुख है किन्तु बहुत सी अनिश्चित बातें हैं जिन के कारण कोई ठीक ठीक समय बता सकना कठिन है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या ट्रोम्बे के अतिरिक्त अन्य स्थानों की उपयुक्तता पर भी सरकार ने विचार किया था और क्या अणुशक्ति दल के अतिरिक्त वैज्ञानिकों के किसी अन्य निकाय की सम्मति पर सरकार द्वारा विचार किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता पर इस अर्थ में विचार किया गया था कि एक टोली ने कई स्थानों का

निरीक्षण किया था। स्पष्ट है कि कोई भी दल भारत के प्रत्येक स्थान पर नहीं जा सकता और लगभग एक वर्ष तक लम्बी चौड़ी चर्चा करने के पश्चात् वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यही स्थान सर्वोत्तम है। इस विषय में बहुत से लोगों से, जिनमें कुछ भारतीय वैज्ञानिक तथा यहां आये हुये कुछ विदेशी वैज्ञानिक भी थे, से परामर्श किया गया था।

धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम

*६१३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५४ से अक्तूबर, १९५४ के बीच धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५३ के अधीन कुल कितना धन वसूल किया गया है ;

(ख) कुल कितने गज़ कपड़े पर यह शुल्क लगाया गया था ;

(ग) ऐसा कुल कितना गज़ कपड़ा है जिस पर आठ आने प्रतिगज़ शुल्क वसूल किया गया था ; और

(घ) कुल कितनी मिलों ने यह शुल्क दिया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) (क) जुलाई १९५४ से सितम्बर, १९५४ की अवधि में कुल २,२५,६६७ रुपये वसूल किये गये। अक्तूबर १९५४ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) १,७००,१०७ ।

(ग) १०७ ।

(घ) २४ ।

श्री के० सी० सोधिया : साधारण विधि के अधीन कुल कितनी गज़ धोतियां बनायी गयी हैं और जिन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था ?

श्री कानूनगो : मुझे सूचना की आवश्यकता है। मैं दूसरे भाग का उत्तर दे सकता हूं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार यह विचार करती है कि धोतियों का यह अतिरिक्त उत्पादन हाथकरघा उद्योग के हित में हानिकारक है ?

श्री कानूनगो : इस का यही तो उद्देश्य है, उसे सहायता देना।

श्री के० सी० सोधिया : माननीय उपमंत्री ने यह उत्तर दिया कि हाथकरघा उद्योग के हित में यह किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस निर्णय पर किस प्रकार पहुंचे ?

अध्यक्ष महोदय : उस पर विचार करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं।

हीराकुड बांध

*६१४. **श्री लोकनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरी के तटीय क्षेत्र को हीराकुड बांध से सिंचाई तथा विद्युत् दोनों से किस प्रकार लाभ होगा ; और

(ख) क्या सरकार मिट्टी का अधिकतम उपयोग करने के लिये हीराकुड के गवेषणा विभाग को स्थायी बनाने की प्रस्थापना करती है ;

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पुरी के तटीय क्षेत्र को बाढ़ से संरक्षण प्राप्त होगा किन्तु हीराकुड योजना से सिंचाई तथा विद्युत् का लाभ प्राप्त नहीं होगा। [स्थिति १]

(ख) इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है। यह मुख्यतया उड़ीसा सरकार का दायित्व है।

श्री लोकनाथ मिश्र : क्या सरकार ने ज़िले के डेल्टा क्षेत्रों में पानी इकट्ठा हो जाने की सम्भावना का, क्योंकि नदियों ने विशेष कर अपने मुहानों पर तल छट बना दिया है और वर्षा तथा बाढ़ के पानी की निकास को बिल्कुल बन्द कर दिया है, परीक्षण किया है ?

श्री हाथी : उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री लोकनाथ मिश्र : हमको परिणाम कब प्राप्त होंगे ?

श्री हाथी : उसमें कुछ समय लगेगा; मैं ठीक ठीक तारीख़ अभी नहीं बता सकता ।

श्री लोकनाथ मिश्र : क्या सरकार ने इस बुराई को दूर करने के लिये किसी उपाय पर विचार किया है ?

श्री हाथी : वह केवल प्रस्थापना पर परीक्षण कर लेने के बाद ही किया जा सकता है ।

पाकिस्तान में मन्दिर

*६१५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री ३१ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९२ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान सरकार ने अगस्त, १९५३ के क़रार के अनुमोदन के पश्चात् हिन्दू तथा सिख मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाहियां हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जी० के० भोंसले) : अगस्त, १९५४ में क़रार का अनुमोदन किया गया था । पाकिस्तान सरकार ने २५ जून, १९५४ को अपनी प्रान्तीय सरकारों को ग़ैर मुसलमानों के धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाये रखने तथा उनके संरक्षण के सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं और उस क़रार को वास्तविक अर्थ में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उचित कार्यवाही करने के लिये, आदेश दिये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू तथा सिखों द्वारा छोड़े गये हिन्दू तथा सिख तीर्थ स्थानों तथा मन्दिरों की ठीक ठीक संख्या के बारे में कोई जानकारी है ?

श्री जे० के० भोंसले : नहीं श्रीमान् । हमारे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि ऐसी स्थिति है, तो यह करार किस प्रकार कार्यान्वित किया जायगा क्यों कि तीर्थस्थानों की ठीक ठीक संख्या और क़रार की ठीक ठीक प्रकृति ही नहीं ज्ञात है ?

श्री जे० के० भोंसले : नहीं, श्रीमान् । हम भ्रष्ट और अपवित्र किये गये तीर्थ स्थानों की ठीक ठीक संख्या जानते हैं और क्योंकि वह हमें ज्ञात है इसलिये हम पाकिस्तान सरकार को लिखते हैं । इस मामले में यह ज्ञात है कि १०२८ तीर्थस्थान अपवित्र किये गये हैं और हमने इस विषय पर वास्तव में पाकिस्तान सरकार को लिखा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इन तीर्थ स्थानों के कुछ भक्त अथवा अनुयायी वहां थोड़ी संख्या में जाने और उनकी देखभाल करने के लिये तैयार हैं ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ यह प्रश्न उठाया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

पुनर्वास, खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और हमें किन्हीं व्यक्तियों से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है कि वे पाकिस्ता

के तीर्थ स्थानों में जाना और वहां उनकी देखभाल करना चाहते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले सात वर्षों में दर्शकों के जिन जत्थों को इन तीर्थ स्थानों को देखने की अनुज्ञा प्राप्त हुई थी, उन्होंने देखे हुये तीर्थ स्थानों की वास्तविक दशा अथवा उनकी मरम्मत या अन्य संरक्षण के सम्बन्ध में कभी कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री ए० पी० जैन : कभी कभी हमें ऐसी सूचनायें प्राप्त होती रहीं कि उन तीर्थ स्थानों की उचित रूप से देखभाल नहीं की जा रही है और समय समय पर हमने पाकिस्तान सरकार का ध्यान क़रार के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पाकिस्तान स्थित अपने प्रतिनिधियों को स्वयं उन तीर्थ स्थानों को देखने और उन की दशा के सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना भेजने के लिये कोई आदेश दिये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हम ने अब तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार वहां स्थित अपने प्रतिनिधियों को यह आदेश देने कि अनुज्ञा प्राप्त करके इन तीर्थस्थानों में जाने और उनकी स्थिति को देखने कि उनमें कोई मरम्मत अथवा अन्य किसी संरक्षण की आवश्यकता है, प्रस्थापना करती है ?

श्री जे० के० भोंसले : हमने पहले ही पाकिस्तान सरकार को सुझाव दिया है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक संयुक्त आयोग नियुक्त किया जाय, किन्तु दुर्भाग्यवश पाकिस्तान सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं हुई।

अमलेखगंज-भीमफेड़ी सड़क

*६१६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिभुवन राजपथ के निर्माण के साथ ही सरकार अमलेखगंज भीमफेड़ी सड़क की मरम्मत करा नेजा रही है ;

(ख) यदि हां, तो काम कब शुरू होगा और पूरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) कितने खर्चे का अनुमान है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) नैपाल में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से इस सड़क को काफी क्षति पहुंची है तीन पुल बह गये, कई पुश्तों और कई मील सड़क को क्षति पहुंची। नैपाल सरकार की अपील के उत्तर में भारत सरकार ने नवम्बर, १९५४ के अन्त तक सड़क को मोटर चलाने योग्य बनाने के लिये अपेक्षित आपातकालीन मरम्मत करना और आगामी वर्षा-ऋतु से पूर्व पुलों को बनाना स्वीकार कर लिया है। बाक़ी काम नैपाल सरकार स्वयं कर लेगी।

(ख) अगस्त, १९५४ में बाढ़ आने के शीघ्र बाद ही काम प्रारम्भ कर दिया गया था और अगले कुछ ही महीनों म आपातकालीन मरम्मत के पूरा हो जान की आशा की जाती।

(ग) विस्तृत विवरण तैयार किये जा रहे हैं किन्तु लगभग ६४·५ लाख रुपये चाहियेंगे।

यहां मैं यह बता देना चाहता हू कि, इस उत्तर के तैयार किये जाने के बाद हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि यह अमलेखगंज-भीमफेडी सड़क मोटर गाड़ियां और लारियां के आवागमन के लिये खोल दी गयी है।

श्री विभूति मिश्र : क्या त्रिभुवन राजपथ इस साल बरसात के पहले चालू हो जायेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : ऐसा करने के के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : अगर चालू हो जायेगा तो सड़क आम जनता के लिये रहेगी या सिर्फ सरकार के लिये रहेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जनता हमेशा हमारे सर आंखों पर रहती है, यह आप को जानना चाहिये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*६२०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य रूपरेखायें अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या मैं जान सकती हूं कि अगले पंचवर्षीय योजना की मुख्य रूपरेखायें संभवतः कब तक तैयार हो जायेंगी ।

श्री एस० एन० मिश्र: मेरे विचार से मुख्य रूपरेखाओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न कुछ अस्पष्ट है, किन्तु मुझे आशा है कि अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्थापनायें अगले वर्ष इसी समय तक तैयार हो जायेंगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कुल खर्च के सम्बन्ध में हमें कुछ आभास देगी और उसमें से कितना धन औद्योगिक क्षेत्र में खर्च किया जायेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये उत्तर इस अवस्था पर आवश्यक ही कल्पनात्मक होगा, नहीं दिया जा सकता है और हम इस विषय पर कोई अनुमान करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में प्रमुख सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं को, सम्मिलित करने का विचार करती है, और यदि हां, तो वे कौनसी योजनायें हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र: जैसा कि सभा को अवगत है, सिंचाई तथा विद्युत् के बारे में मंत्रणा समिति नाम की एक प्रविधिक समिति द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं की सिफारिश करने के लिये पहले ही बना दी गयी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंचवर्षीय योजना

*५६६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के अधीन होने वाले काम की प्रगति के बारे में समय-समय पर कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कालावधिक प्रगति-रिपोर्ट भेजी गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) योजना आयोग को केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से कालावधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती हैं । इसके

अतिरिक्त योजना आयोग के कार्यक्रम परामर्शदाता समय समय पर राज्यों में जाते हैं और किसी विशेष परियोजना का निरीक्षण करते हैं ।

(ख) हां । अन्य राज्य सरकारों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी योजना आयोग को कालावधिक प्रगति रिपोर्टें भेजती हैं ।

घाटों से कोयले का नावान्तरण

*५६७. **श्री एस० एन० दास** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोकामा, भागलपुर तथा दीघा घाट के द्वारा उत्तर बिहार को किये जाने वाले कोयले के नावान्तरण में ईंटें पकाने वाले कोयले को अन्तिम प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या उत्तर बिहार को किये जाने वाले कोयले के नावान्तरण को सुविधायें देने के लिये इस प्राथमिकता को और ऊंचा स्थान देने के प्रश्न पर विचार किया गया है या किया जा रहा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) दीघा घाट उत्तर बिहार को जाने वाले कोयले का नावान्तरण स्थल नहीं है । मोकामा तथा भागलपुर घाटों के द्वारा उत्तर बिहार को जो कोयला भेजा जाता है उसके लिये कोई प्राथमिकतायें निश्चित नहीं की गई हैं । इन स्थानों पर जितने भी कोयले के वैगन आते हैं उनका जिस क्रम से वे पहुंचते हैं उसी क्रम से नावान्तरण किया जाता है ।

फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि माननीय सदस्य का वैगनों के नियतन के लिये किये जाने वाले उद्योगों के प्राथमिकता वर्गीकरण का निर्देश कर रहे हैं । इस वर्गीकरण में ईंटें पकाने वाले कोयले को अन्तिम प्राथमिकता दी गई है ।

(ख) और (ग). ईंटें पकाने वाले कोयले का अभ्यंश समग्र रूप से बहुत बड़ा है और जब तक कि यातायात की वर्तमान सुविधायें जिन में वैगनों का प्रदाय भी सम्मिलित है इतनी कम हैं कि संभरण की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपर्याप्त हैं, ईंटें पकाने वाले कोयले का प्रदाय वैगनों की समग्र तथा यातायात की अन्य सुविधाओं को दृष्टि में रख कर ही किया जा सकता है, अन्यथा बहुत से अन्य उत्पादक उद्योगों को कोयला मिलना कम हो जायेगा । जहां तक उत्तर बिहार का सम्बन्ध है संभरण उतना ही किया जा सकता है जितना कि मोकामा घाट की नावान्तरण सुविधायें हैं और वर्तमान सुविधाओं को देखते हुये कोयले का संभरण रेलवे के लिये तथा जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, जिसमें ईंटें पकाने का प्रयोजन भी सम्मिलित है करना होता है ।

कई बार सरकार ने ईंटें पकाने की प्राथमिकता को ऊंचा स्थान देने के प्रश्न पर विचार किया था परन्तु उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुये इस विचार को त्याग देना पड़ा था ।

प्राथमिकता वर्गीकरण का यह अर्थ नहीं है जिन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई हैं उन को पूरी तरह से पूरा करने के बाद ही ईंटें पकाने के लिये कोयले का नियतन किया जाता है । इस बात को हमेशा स्वीकार किया गया है कि यह भी बहुत बड़ी आवश्यकता है और उत्तर बिहार का ईंटें पकाने का अभ्यंश हमेशा, बिहार सरकार के परामर्श से, ईंटें पकाने के कोयले के महत्व तथा यातायात की उपलब्ध सुवि-

बाओं को ध्यान में रख कर ही, निर्धारित किया जाता रहा है ।

सीमा विवाद

*५६८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** २३ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से पश्चिमी सीमा पर भारत तथा पाकिस्तान के सीमा विवादों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम विनिश्चय किया जा चुका है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : नहीं । अभी वार्ता हो रही है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने के उपोत्पाद

*५७५. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **उत्पादन मंत्री** ८ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५९ का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी कारखाने के उपोत्पादों के उत्पादन के विकसित न किये जाने के कारण क्या हैं जैसा कि फर्टीलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड द्वारा किया जाता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : तथ्य तो यह है, कि सिन्दरी कारखाने में उपोत्पादों के उत्पादन का विकास किया जा रहा है । दोनों स्थानों पर प्राप्त होने वाले उपोत्पादों के प्रकार तथा गुण कच्चे माल तथा काम में लाये जाने वाले तरीक़ों पर निर्भर हैं । हाल ही में सिन्दरी में कोक महा बैटरी के लगाये जाने के बाद से कम्पनी नये उपोत्पादों को तय्यार करने का प्रबन्ध कर रही है । सभा पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है जिस में बताया गया है कि त्रावनकोर में क्या किया जा रहा है और सिन्दरी में क्या विकसित किया जा रहा है और वह विभिन्न प्रक्रियायें कौन सी हैं जो इस अन्तर के लिये उत्तरदायी हैं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]

उत्प्रवास

*५७८. **श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से लेकर १९५३ तक कनाडा, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में स्थायी निवास के लिये उत्प्रवास करने के हेतु भारत-वासियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उन में कितनों को उत्प्रवास करने की आज्ञा दी गई ; और

(ग) उन का चुनाव किस आधार पर किया गया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) . उत्प्रवास के आवेदन-पत्र सीधे तत्सम्बन्धी विदेशी दूतावासों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं और वही उनके सम्बन्ध में निर्णय करते हैं । प्रत्येक देश की विशिष्ट उत्प्रवास विधियों के अनुसार ही चुनाव के आधार भिन्न भिन्न हैं । भारत सरकार के पास इन आवेदन-पत्रों का कोई अभिलेख नहीं है और न इसका कोई अभिलेख है कि कितने प्रार्थी वास्तव में चुने गये हैं । आस्ट्रेलिया के साथ हमारी उत्प्रवास सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है ।

जूता उद्योग

*५८१. **श्री नवल प्रभाकर** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरे के चमड़ा उद्योग और विशेषतः जूता उद्योग के विकास के निमित्त जांच करने के लिये एक अधिकारी आगरा भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां।

(ख) तत्सम्बन्धी अधिकारी ने उक्त उद्योग के विकास के लिये कुछ सिफारिशें की हैं और यह सिफारिशें विचाराधीन हैं।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

***५८२. श्री बी० के० दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल के ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो बिहार तथा उड़ीसा के अपने पुनर्वास स्थानों को छोड़ कर १९५४ में पश्चिमी बंगाल चले आये ;

(ख) उन में से कितने उक्त राज्यों में स्थित कैम्पों से आये हैं ; और

(ग) उन के मामलों में क्या किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) इस वर्ष बिहार तथा उड़ीसा के कैम्पों तथा पुनर्वास उपनगरों से ५२५९ व्यक्ति भाग गये।

(ख) १,८२३ व्यक्ति।

(ग) सितम्बर, १९५४ के पहले जो व्यक्ति पश्चिमी बंगाल में पहुंच गये थे उन के पुनर्वास का दायित्व पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। जो व्यक्ति सितम्बर, १९५४ के बाद आये हैं उन को सहायता दी जा रही है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री बिहार तथा उड़ीसा से भाग कर आने वालों की पूरी समस्या पर विचार कर रहे हैं।

हिन्द-चीन

***५८६. श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियटनाम सरकार तथा वियटनाम राष्ट्रीय सेना के बीच झगड़े के कारण हिन्दचीन में भारतीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) भारत हिन्द-चीन में अपने उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त कर सका है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) वियटनाम अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का कार्य केवल वियटनाम सम्बन्धी जिनिवा करार का परिपालन कराना है और उसको वियटनाम को दोनों भागों में से किसी के आन्तरकि मामलों से कोई सरोकार नहीं है। यह आयोग अपना कार्य सन्तोषपूर्वक कर रहा है। सारे युद्ध बन्दी तथा असैनिक नज़रबन्द मुक्त कर दिये गये हैं तथा तत्सम्बन्धी पक्षों को सौंप दिये गये हैं, और करार की शर्तों के अनुसार विरोधी पक्षों की सेनायें "नामोद्दिष्ट क्षेत्रों" में एकत्रित की जा रही हैं।

(ख) वियटनाम, लाओस तथा कम्बोडिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग जिनिवा क़रार के परिपालन कराने का अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इन तीनों राज्यों में क़रार की शर्तों के अनुसार युद्ध बन्दियों तथा असैनिक नज़रबन्दों की रिहाई तथा आदान प्रदान में, सेनाओं के हटाने तथा एकत्रित करने में तथा एक विरोधी पक्ष से दूसरे को प्रशासन का हस्तान्तरण कराने के कार्यों में बहुत प्रगति हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों का कार्य तभी पूरा होगा जब कि सन्तोषजनक परिस्थितियों में चुनाव हो जायेंगे।

चाय बगान (सर्वेक्षण)

*५९०. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त चाय बागानों का कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या निकले हैं ; और

(ग) ऐसे चाय बागानों को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये सरकार कौन से उपाय करने का विचार करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). भूतपूर्व केन्द्रीय चाय बोर्ड द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी द्वारा केवल कचार तथा त्रिपुरा क्षेत्र के सीमान्त बागानों का एक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था। उक्त विशेष अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन हाल ही में चाय बोर्ड को प्रस्तुत किया है जिस पर उस ने अगस्त, १९५४ में हुई अपनी पिछली बैठक में विचार किया था। तत्सम्बन्धी सरकारों द्वारा राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों के विषय में या तो कार्य किया जा चुका है या आरम्भ कर दिया गया है। मुख्य सिफारिश जिस का कि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध है, सीमान्त बागानों को रुपये की सहायता देने के लिये एक संगठन स्थापित करने के विषय में है। यह सिफारिश विचाराधीन है।

प्रॉग में भारतीय दूतावास

*५९१. **डा० रामा राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे० सी० कुमारप्पा द्वारा प्रॉग स्थित भारतीय दूतावास के विरुद्ध की गई उन शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जो भारतीय प्रेस के कुछ भागों में प्रकाशित हुई थी ; और

(ख) क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावासों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि जब भारतीयों को सहायता की आवश्यकता पड़े तब उन्हें सहायता दिया करें ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां। सरकार को प्रॉग स्थित दूतावास से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और सरकार को संतोष हो गया है कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। डाक्टर कुमारप्पा प्रॉग में बिना कोई पूर्व सूचना दिये आ गये थे और न उनके पास जेक प्रवेशपत्र ही था। उनके आगमन की सूचना दूतावास को नहीं दी गई थी। इस पर भी दूतावास ने उन को सब प्रकार की सुविधायें दीं और उन के लिये कुछ प्रवेश पत्र पाने में भी सफल हुआ यद्यपि यह प्रवेश पत्र इतनी कम सूचना पर नहीं दिये जाते हैं। कदाचित् किसी शान्ति समिति के नियंत्रण पर डाक्टर कुमारप्पा यूरोप गये थे और वे उसी समिति के अतिथि थे और उसी से उन का आतिथ्य सत्कार किये जाने की आशा थी। किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि शान्ति समिति प्रबन्ध करने में अधिक सफल नहीं हुई।

(ख) जनवरी, १९४९ में ही हमारे विदेश स्थित मिशनों को अनुदेश दे दिये गये थे कि सम्बन्धित क्षेत्रों में भ्रमण करने वाले भारतीयों की यथासम्भव सहायता की जाये। किन्तु ऐसी सहायता सन्तोषप्रद रूप में उसी समय दी जा सकती है जब कि भ्रमण तथा आवश्यक सुविधाओं की सूचना पहले ही भेज दी जाये।

प्लास्टिक उद्योग

***५९२. श्री बूसिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक उद्योग एक रक्षित उद्योग है ; और

(ख) क्या प्लास्टिक की वस्तुयें उस प्रमाप की हैं जिसे भारतीय मान संस्था ने मान्यता दे रखी है ;

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्लास्टिक उद्योग के केवल दो भाग रक्षित हैं। वे ये हैं (१) फीनोल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर और (२) प्लास्टिक के बने बिजली के उपकरण ।

(ख) प्लास्टिक की वस्तुओं के लिये अभी तक कोई विशिष्ट प्रमाप निर्धारित नहीं किया गया है । भारतीय मान संस्था ने सामान्य तथा बिजली के उद्देश्यों के लिये फैनोलिक मोलिंडग पाउडर का मान निर्धारित करने के हेतु एक विभागीय समिति बनाई है ।

यदि "प्लास्टिक की वस्तुओं" शब्द को व्यापक अर्थ में लिया जाय तो उस में रबर चढ़े तार, तार फैलाने के उपकरण, लाख, चपड़ा आदि वस्तुयें भी आ जाती हैं । इन वस्तुओं के लिये भारतीय मान संस्था ने प्रमाप निश्चित कर दिये हैं जिनका उद्योग द्वारा पालन किया जा रहा है ।

कम्बोडिया के राजा को निमन्त्रण

***५९३. श्री माधव रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम्बोडिया के राजा को निकट भविष्य में भारत आने के लिये कोई निमन्त्रण दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : प्रधान मंत्री ने हाल ही की अपनी कम्बोडिया यात्रा में कम्बोडिया के राजा को वैयक्तिक निमन्त्रण दिया था ।

औद्योगिक आवास योजना, मध्य प्रदेश

***५९४. { श्री एन० ए० बारकर / मुल्ला अब्दुल्लाभाई :**

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री १३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५३ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने मकान बनाये गये ;

(ख) इस समय में मजदूरों ने उन में से कुल कितने मकान अधिग्रहीत किये ; और

(ग) क्या यह सच है कि आवास बोर्ड द्वारा निश्चित ऊंचे किरायों के कारण मजदूर उन मकानों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) १९५१-५२ से १९५३-५४ के बीच दी गई कुल १००० मकानों की स्वीकृति में १०० एकक पूर्णरूप से तैयार हो गये हैं ; २९२ मकानों में सिर्फ पानी और नाली के प्रबन्ध की कमी है, और ५० मकान शीघ्र ही पूरे हो जायेंगे । शेष ५५८ मकान निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ख) १०० मकान अधिग्रहीत किये गये हैं ।

(ग) नहीं, श्रीमान् । किराये भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक नहीं है ।

पश्मीना ऊन

*५९५. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्मीना ऊन के निर्यात पर रोक होने पर भी क्या वह संयुक्त राज्य अमरीका को डाक पार्सल तथा अन्य विधियों द्वारा निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्यात को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ;

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). केवल डाक पार्सल द्वारा निर्यात के अतिरिक्त पश्मीना ऊन का निर्यात १४-६-५१ से बन्द कर दिया गया था । अग्रेतर पुनरावलोकन के उपरान्त ३०-११-५४ से डाक पार्सल द्वारा निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

आवश्यकता से अधिक रक्षा-सामान

*५९८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री १२ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७३९ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में आवश्यकता रक्षा-सामान ग़ैर-सरकारी वार्ता द्वारा बेचा गया ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या मूल्य है ; और

(ग) अभी जो आवश्यकता से अधिक सामान मौजूद है उसका कुल मूल्य क्या है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ३१,००० रुपये ।

(ग) ३१-१०-५४ को ३०·१२ करोड़ रुपये (पुस्त मूल्य) ।

भूमि विकास सुधार

*६०१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनीय और विकास संगठन स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भूमि सुधार में चाव लेने वाले और आयोग की समिति को सलाह देने के लिये तैयार ग़ैर-सरकारी लोगों की एक सूची तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) राज्य सरकारें राजस्व प्रशासनों तथा उचित विभागों द्वारा अपनी भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

केन्द्रीय विक्रय संघ

*६०४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तथा भारत से बाहर कुटीर उद्योग उत्पादन विक्रय के विकास और सुविधा के हेतु केन्द्रीय विक्रय संघ सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और क्या उसे कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या विवरण है ; और

(ग) इस का वित्तीय प्रबन्ध कैसे होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**

पटसन उद्योग विकास परिषद्

*६०८. **श्री बी० के० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन उद्योग-विकास परिषद् को स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या परिषद् के कर्मचारी निश्चित कर लिये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) सरकार अभी पटसन उद्योग विकास परिषद् को स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती है ।

भारत स्थित विदेशी दूतावासों में सेवायुक्त भारतीय

*६०९. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित विदेशी दूतावासों तथा दूतालयों में कितने भारतीय सेवायुक्त हैं ;

(ख) क्या सरकार को उन की ओर से सेवा की असन्तोषजनक शर्तों तथा निर्देशों से सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) नई दिल्ली में स्थित विदेशी मिशनों द्वारा सेवायुक्त भारतीयों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) और (ग) नहीं, श्रीमान् ।

पाकिस्तान को सिख यात्री

*६१०. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस वर्ष पाकिस्तान सरकार ने सिख यात्रियों के एक दल को पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित गुरु नानक के जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा की अनुमति नहीं दी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : पाकिस्तान सरकार ने २५० सिख यात्रियों को गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा करने की अनुमति दी थी । और यह यात्रा ८ से ११ नवम्बर तक होने को थी । इसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर द्वारा आयोजित किया गया था। उस की अनुमति कराची स्थित भारतीय उच्च आयुक्त को १ नवम्बर, को अर्थात् जिस दिन यात्रा प्रारम्भ होने को थी उससे केवल सात दिन पूर्व, प्राप्त हुई ।

सूचना की कमी को दृष्टि में रखते हुये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने यह कहा कि वह यात्रा सम्बन्धी प्रबन्धों को अन्तिम रूप देने में असमर्थ थी और इसलिये यात्रा रद्द कर दी गयी ।

भारत और यूनान के बीच दूतावासों की स्थापना

*६१७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत तथा यूनान की सरकारों के बीच दोनों देशों के मध्य राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कोई बातचीत चल रही है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : ऐसी कोई वार्ता नहीं हो रही है ।

रेडियो के द्वारा शिक्षा

*६१८. **श्री इब्राहीम** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को रेडियो के द्वारा शिक्षित करने की कोई स्थापना थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख) आल इण्डिया रेडियो के सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त, जिसका उद्देश्य भी जनता को शिक्षित करना है, ग्रामीण तथा औद्योगिक जनसंख्या के लिये विशेष प्रसारण किये जाते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा के लिये विशेष स्कूल प्रसारण किये जाते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस विशेष योजना का निर्देश कर रहे हैं।

प्रमाणित एकड़ भूमि का मूल्य

*६१९. **श्री गिडवानी** : क्या पुनर्वास मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि भूमि के एक प्रमाणित एकड़ का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय किया है ; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि निराश्रित गृहों के निवासियों को प्रतिकर देते समय एक प्रमाणित एकड़ का मूल्य ३५० रुपया आगणित किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० के० भोंसले) : (क) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) जी हां, यदि ऐसे दावेदारों को नक़द मूल्य दिया जाये तो प्रति प्रमाणित एकड़ के लिये ३५० रुपये का चंक अस्थायी रूप से स्वीकृत किया गया है।

लंका में भारतीय

*६२१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका में भारतीयों के पंजीयन के प्रश्न पर दिल्ली में भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों की हाल ही की बातचीत के बाद कुल कितने व्यक्ति वापस भारत भेजे गये हैं ; और

(ख) सरकार ने उन्हें फिर से बसाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) केवल उन्हीं व्यक्तियों को वापस भारत भेजा जा रहा है जिन के भारतीय राष्ट्रजन होने पर कोई झगड़ा नहीं है और जिन्हें लंका सरकार द्वारा दिये गये अस्थायी निवास परमिटों का काल समाप्त हो चुका है।

११ सितम्बर से ९ नवम्बर, १९५४ तक लंका सरकार की वापस भेजने की योजना के अधीन ६०५ व्यक्तियों को वापस जाने के लिये कहा गया और वे लंका से चले आये।

इसी काल में इस संख्या से तीन गुने लोग अपनी इच्छा से लंका से चले आये हैं यद्यपि उन के पास वैध अस्थायी निवास परमिट थे और यदि वे चाहते तो कुछ समय तक और वहां ठहर सकते थे।

(ख) अब तक जो आये हैं वे सरकार से किसी सहायता के बिना साधारणतया रहने लगे हैं। इस स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने

पर उन्हें फिर से बसाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

कोयला

४५५. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न खानों से इस वर्ष कुल कितने टन कोयला निकलने का अनुमान है और उस में से कितने टन वैगनों द्वारा भेजे जाने का अनुमान है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मालूम होता है कि सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस वर्ष में भारत में कुल कितना कोयला निकलने तथा खानों से बाहर भेजे जाने की आशा है । आशा है कि लगभग ३ करोड़ ६० लाख टन कोयला निकलेगा जिस में से ३ करोड़ २० लाख टन खानों से बाहर भेजा जायगा ।

व्यापार शिष्ट-मण्डल

४५६. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ में सितम्बर, के अन्त तक कितने व्यापार शिष्टमण्डल बाहर भेजे गये ;

(ख) इन शिष्ट मण्डलों में कौन कौन व्यक्ति गये और ये शिष्टमण्डल किस उद्देश्य से भेजे गये ; और

(ग) वे किन किन देशों में गये और कितनी कितनी देर तक वहां रहे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण, जिस में यह सूचना दी हुई है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या २८]**

तम्बू

४५७. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में सितम्बर, १९५४ तक कितनी संख्या में और कितने मूल्य के तम्बू भारत से बाहर भेजे गये ; और

(ख) ये किन किन देशों को भेजे गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में बताया गया है कि नवम्बर, १९५२ से सितम्बर, १९५४ तक कितने तम्बुओं के निर्यात के लाइसेंस दिये गये **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या २९]** नवम्बर, १९५२ से पहले के आंकड़े नहीं मिलते । यह मालूम नहीं कि कितने और किस मूल्य के तम्बू देश से बाहर भेजे गये ।

सरल संगीत

४५८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री उन गीतों और कलाकारों की एक सूची सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जो आकाशवाणी द्वारा सरल संगीत को विकसित करने के सम्बन्ध में तैयार किये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : आकाशवाणी के कई केन्द्र हैं जहां सरल संगीत तैयार किया जाता है । इन में से प्रत्येक केन्द्र ने सैंकड़ों गाने बनाये हैं और और बनाये जा रहे हैं । इन सब गानों और उन्हें गाने वालों की सूची तैयार करने में बड़ा परिश्रम होगा और ऐसी सूची से कोई लाभ होने की आशा नहीं है ।

विस्थापित व्यक्ति

४५९. पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को निकालने, उनकी सहायता करने और उन्हें फिर से बसाने पर अब तक कितनी कितनी राशियां खर्च हुई हैं;

(ख) सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये अब तक कितने मकान बनाए हैं और उनमें से कितने मकान हैं जिन में विस्थापित व्यक्तियों ने रहना प्रारम्भ नहीं किया ;

(ग) कितने प्रतिशत विस्थापित व्यक्ति किसान हैं और जिन्हें जमीन दी गयी है, ये ज़मीनें उन्हें कितने कितने समय के लिये दी गयी हैं; और

(घ) विस्थापित व्यक्तियों को दी गयी जमीनों के उनके पास ही रहने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ) : यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशों से आने वाले सद्भावना मण्डल

४६०. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में विदेशों से कुल कितने सद्भावना मण्डल विदेशों से भारत आए; और

(ख) इन मण्डलो के सदस्य किन किन देशों से आये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) : ३० अगस्त १९५४ को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर में उन प्रतिनिधि मण्डलों की सूची दी गई थी जो १९५४ में भारत आए । उस उत्तर की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]** ।

२. इनके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिनिधि मंडल इस वर्ष भारत आए :—

(१) लंका से संसदीय प्रतिनिधि मण्डल ।

(२) जापान से संसदीय प्रतिनिधि मंडल

(३) लंका से रेलवे प्रतिनिधि मंडल ।

(४) पूर्वी जर्मनी से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ।

(५) चीन से व्यापार प्रतिनिधि मंडल ।

३. चीन से एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डल इस महीने भारत आयेगा ।

४. इनमें से बहुत से प्रतिनिधि मंडलों को उनके अपने क्षेत्रों में "सद्भावना मण्डल" कहा जा सकता है ।

क्रय

४६१. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक ने कितने की मशीनें खरीदीं ; और

(ख) ये मशीनें किन किन देशों से खरीदी गयीं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : (क)

१९५३-५४ ७ करोड़ ३१ लाख रुपये ।

१९५४-५५ ८ करोड़ ८८ लाख रुपये । (सितम्बर १९५४ तक)

(ख) भारत, ब्रिटेन, कनाडा, अमरीका, जर्मनी, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, हालैण्ड, फ्रांस, स्विटज़रलैण्ड,

आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, इटली, हंगरी, रूस, नार्वे, पोलैण्ड और जापान।

नेपाल से अनाज का निर्यात

४६२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैपाल सरकार ने धान, चावल और दालों के भारत निर्यात करने पर रोक लगा दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय राष्ट्रजन नेपाल में खेती करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन किसानों को अपनी उपज के निर्यात के बारे में क्या सुविधायें दिलाई हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, नहीं। एक दो ज़िलों में अस्थायी रोक लगाई गयी है जिनमें हाल ही की बाढ़ से बहुत क्षति पहुंची थी। आशा है कि जल्दी ही यह रोक भी हटा ली जायगी।

(ख) जी हां।

(ग) आजकल प्रक्रिया यह है कि ये किसान-नेपाल में अपनी भूमि की उपज निर्यात शुल्क देकर और बिना लाइसेंस लिए बाहर भेजे सकते हैं।

आंध्र राज्य में सड़कों की लम्बाई

४६३. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१–५६ की अवधि में आंध्र में 'राज्य सड़कें' इस शीर्षक के अधीन पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (१) कितने मील लम्बी सड़कें बनाई जा चुकी हैं (२) कितनी बनाई जा रही हैं और (३) कितनी बनाई जानी हैं ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और कितनी अब तक प्रयोग की गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१**]। जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनकी लम्बाई के बारे में जानकारी योजना आयोग के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

सीमेंट कारखाना

४६४. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसे गन्टूर ज़िले के गुराजाला ताल्लुक में एक सीमेंट का कारखाना बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यह लाइसेंस किन शर्तों पर दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है किन्तु गुन्टूर ज़िले में एक सीमेंट के कारखाने के लिए लाइसेंस का प्रार्थनापत्र विचाराधीन है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

सामुदायिक रेडियो सेट

४६५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० अप्रैल, १९५४ को देश में कितने सामुदायिक रेडियो सेट थे ;

(ख) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में और सामुदायिक रेडियो सेट लगाने का विचार है ;

(ग) क्या उन्हें सहकारी आधार पर लगाया जायेगा ; और

(घ) इस विषय में सरकार की नीति क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आंकड़े तिमाही वार इकट्ठे किये जाते हैं और ३१ मार्च, १९५४ को इन की संख्या ९,९४४ थी।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). इस समय एक योजना विचाराधीन है जिसके अनुसार एक नियत स्तर के सेट को लगाने का ५० प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार देगी और शेष ५० प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी, जिसमें से कम से कम २५ प्रतिशत राशि ग्रामीण लोग देंगे। इन सेटों पर आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों के कार्यक्रम सुने जा सकेंगे।

कोयला

४६६. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में कोयले के निर्यात में किन कारणों से कमी हुई है।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : यह कहा जा सकता है कि १९५१–५२ और और १९५२-५३ की तुलना में, १९५३-५४ में कोयले के निर्यात में कमी हुई है। पहले दो वर्षों में विश्व की असाधारण परिस्थितियों के कारण भारत के पास बहुत अच्छी मंडियां थीं, किन्तु १९५३–५४ में जितना निर्यात हुआ है, वह १९५०–५१ से पहले के वर्षों में सामान्य रूप से अधिक रहा है। पिछले दो वर्षों की तुलना में १९५३–५४ में निर्यात में कमी का कारण उन अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियों का न होना है जिनमें अधिक भारतीय कोयला निर्यात किया जा सकता था अर्थात् यूरोप और ब्रिटेन में कोयले की कमी; दक्षिण अफ्रीका में आ[illegible] परिवहन की कठिनाइयां आस्ट्रेलिया में सीमित उत्पादन, और कोरिया के युद्ध के कारण नौवहन सम्बन्धी स्थिति।

प्रेस आयोग

४६७. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३ और १९५४–५५ में प्रेस आयोग के व्यय के लिये क्या राशि स्वीकृत की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : प्रेस आयोग के लिए आय-व्ययक में जो व्यवस्था की गई थी, उसके आंकड़े और वास्तविक व्यय के आंकड़े ये हैं :

	आय-व्ययक व्यवस्था	वास्तविक व्यय
	रुपये	रुपये
१९५२–५३	—	७६,९०२
१९५३–५४	२,६८,०००	४,१५,१४४
१९५४–५५	१,५५,०००	१,०८,५०० (जिसमें शेष भुगतानों के सम्बन्ध में ५८०० रुपये का प्रत्याशित व्यय सम्मिलित है)

साबुन आयोग

४६८. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में साबुन के उन छोटे औद्योगिक कारखानों के नाम तथा स्थान क्या हैं, जिन्हें अप्रैल १९५४ से सितम्बर १९५४ तक सरकार द्वारा सहायता साहाय्य तथा ऋण दी गई है ;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में वित्तीय सहायता की राशि में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उन संस्थाओं

के नाम जिन्हें अप्रैल १९५४ से सितम्बर १९५४ तक सहायता दी गई है ये हैं :

१. महाराष्ट्र सेवा संघ, पूना ।

२. सौराष्ट्र राज्य बोर्ड, राजकोट ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में राजदूतों के लिये निवासस्थान

४६९. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भेजे गये भारतीय राजदूतों आदि को उसी श्रेणी का निवासस्थान दिया जाता है जैसा कि समान पद के पदाधिकारियों को भारत में दिया जाता है ;

(ख) क्या उस निवास स्थान पर जो कि राजदूतों आदि को दिया जाता है, वे तत्काल रहने लगते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं । विदेशों में निवास स्थान की श्रेणी की तुलना भारत में दिए जाने वाले निवासस्थान की श्रेणी से नहीं की जाती निवासस्थान विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अर्थात् दौत्य का महत्व, राजदूत आदि का पद तथा श्रेणी, प्रतिनिधित्व के कर्तव्यों आदि को देख कर दिया जाता है ।

(ख) तथा (ग). जहां निवासस्थान न उपलब्ध हों और यदि कोई विशेष कारण न हों, जैसा कि यह कि वह स्थान तत्काल रहने योग्य न हो, तो राजदूतों आदि को सीधा उसी में रहना पड़ता है । जहां स्थान उपलब्ध नहीं होता वहां राजदूतों आदि को अस्थायी रूप से होटलों में रखा जाता है और स्थान मिलने पर उन्हें वहां चले जाने के लिए कहा जाता है ।

प्रलेख चलचित्र

४७०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनैस्को, खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से और चार सूत्री कार्यक्रम, टेकनीकल सहयोग प्रशासन आदि के अधीन अमेरिका से बहुत सी (प्रलेखीय तथा अन्य) फिल्में प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और उनकी कुल लम्बाई क्या है ;

(ग) क्या इन उपहारों की कोई शर्तें थीं ;

(घ) क्या उनके प्रदर्शन से कोई आय इकट्ठी हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो प्रति फिल्म कुल कितनी आय हुई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ङ): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम में भूमि का कटाव

४७१. **श्री अमजद अली** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में कितने व्यक्ति भूमि के कटाव से प्रभावित हुए हैं ; और

(ख) कितना क्षेत्र कट गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ५२,८६० व्यक्ति ।

(ख) ५६,४९१ एकड़ ।

कोयला

श्री टी० के० चौधरी : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खानों पर अनुमानतया कितना कोयला इकट्ठा हो गया है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इस कोयले में अपने आप आग लग जाने का खतरा है ;

(ग) क्या इस प्रकार आग लग जाने की घटनाओं की जानकारी देने की कोई व्यवस्था है और क्या इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े रखे जाते हैं; और

(घ) १९५२ और १९५३ में स प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं और रुपये की हानि कितनी हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ३० सितम्बर, १९५४ को बंगाल, बिहार की खानों में लगभग २५ लाख टन कोयला जमा था और भारत की सब खानों में ३२ लाख टन कोयला जमा था ?

(ख) सरकार को विदित है कि जब तक कोयला रखने के स्थान पर हवा के आने जाने का और अन्य प्रबन्ध न हों इसमें अपने आप आग लग सकती है ।

(ग) जैसा कि भारतीय कोयला खान विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, इस प्रकार आग लगने की घटनाओं की रिपोर्ट खानों के मुख्य निरीक्षक को दी जाती है और इन घटनाओं के सम्बन्ध में आंकड़े खानों के मुख्य निरीक्षक की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किये जाते हैं ।

	१९५२	१९५३
(घ) घटनाओं की कुल संख्या	८	११
हानि (रुपयों में)	लगभग ३ लाख	लगभग ४·१६ लाख

मूंगफली का वायदा व्यापार

४७३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाज़ार आयोग ने मूंगफली के वायदा व्यापार के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है और इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, तो इन्हें क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). रिपोर्ट विचाराधीन है ।

हीराकुड परियोजना

४७४. **श्री सारंगधर दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध परियोजना में मशीनें तथा बिजली लगाने के काम में कितने मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उनके सहायक काम कर रहे हैं ;

(ख) उन में से ऐसे व्यक्ति कितने हैं, जिन्हें जल-विद्युत् संयंत्र तथा सिंचाई प्रणाली का प्रभारी बनाने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) उन में से कितने इंजिनयर उड़ीसा राज्य से सम्बन्ध रखते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सहायक इंजिनियर पद के तथा इससे उच्च पद के इलैक्ट्रिक ऐंड मैकेनिकल इंजिनियर—५४ । सुपरवाइज़र (निरीक्षक) १६४ ।

(ख) उन सब को जल-विद्युत् तथा सिंचाई के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, परन्तु इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात्, इसकी देखभाल का प्रभारी बनाने के लिये उनमें से केवल कुछ व्यक्तियों की ही आवश्यकता होगी।

(ग) इलैक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर तथा सुपरवाइज़र—३८।

कम आय वाले वर्गों के लिये आवास योजना

४७५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री हेम राज :
श्री गिडवानी :
श्री संगण्णा :
श्री तिम्मय्या :
श्री साधन गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री १५ नवम्बर, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में कम आय वाले वर्गों के लिये आवास योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : कम आय वाले वर्गों के लिये आवास योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस–४५६।५४]**

इस्पात उद्योग

४७६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात उद्योग की वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य की नवीन अनुसूचियां तैयार करने में सरकार की सहायता के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने क्या प्रगति की है ;

(ख) समिति को अपना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या समिति के लिये कोई अवधि निश्चित की गई है; और

(घ) क्या इस्पात उत्पादक समवायों ने विशद अध्ययन आरम्भ कर दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) समिति ने विभिन्न देशों में विभिन्न आकार तथा प्रकार के इस्पात के उत्पादन की लागत का अध्ययन पूरा कर लिया है और अब अन्य देशों में प्रचलित रीति का विचार करते हुये भारतीय मिलों द्वारा विभिन्न आकार और प्रकार के इस्पात के लिये कितनी उपयुक्त अधिक लागत होनी चाहिये इस का अनुमान लगा रही है।

(ख) तथा (ग). क्योंकि यह अध्ययन विस्तृत है और यह शिल्पिक स्वरूप का अध्ययन है और क्योंकि विस्तृत पुनर्संगठन हो रहा है तथा वर्तमान कार्यों का अत्यधिक विस्तार हो रहा है, इसलिये यह अध्ययन अधिक कठिन हो गया है, तो भी यह आशा की जाती है कि समिति को अपना काम समाप्त करने के लिये कुछ समय लगेगा। समिति के कार्य की पूर्णता के लिये कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है परन्तु इस कार्य को यथाशीघ्रता के साथ पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) हां, श्रीमान।

मैसूर में ग्रामीण औद्योगीकरण

४७७. **श्री केशवैयंगार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ के अन्तर्गत मैसूर राज्य द्वारा ग्रामीण औद्योगीकरण की कितनी योजनायें प्रस्तुत की गई थीं,

(ख) उन में से कितनी योजनायें केन्द्र द्वारा मंज़ूर की गई हैं ; और

(ग) उक्त अवधि के अन्दर इन योजनाओं के लिय कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ५९ योजनायें।

(ख) ४५ योजनायें ।

(ग) १८,१२,८०० रुपये ।

समाचारपत्रों में विज्ञापन

४७८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में सीधे विज्ञापन देने की प्रथा को रोकने के लिये सब विभागों को निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में सरकारी विज्ञापन जिस अभिकरण के द्वारा समाचार-पत्रों में दिये जायेंगे, उस अभिकरण का क्या नाम है ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारें भी इन निदेशों का पालन कर रही हैं ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). सरकार के अनुदेश ये हैं कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और उन से सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन परामर्शदाता के द्वारा अपने विज्ञापन समाचारपत्रों को भेजने चाहियें ।

(ग) ये अनुदेश राज्य सरकारों पर लागू नहीं होते, क्योंकि वे अपने विज्ञान भेजने के सम्बन्ध में अपना प्रबन्ध स्वय करती हैं ।

इम्फाल

४७९. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल नगर के समस्त क्षेत्रफल की तुलना में जहां तक नगरपालिका का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाने वाला है, वहां छावनी सीमा (चतुर्थ-आसाम राइफल्स) का क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) आसाम राइफल्स के लिये रक्षित भूमि में से अब कितनी भूमि बेकार पड़ी है जिस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है ;

(ग) क्या यह ठीक है कि नगर के क्षेत्रफल की तुलना में उस रक्षित भूमि का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है ; और

(घ) क्या सरकार नगर की अति घनी जन संख्या की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से इम्फाल नगर को फैलने देने के लिये इस रक्षित फालतू भूमि को असैनिक शासन-प्रबन्ध के सुपुर्द करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (घ)। जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सीमेंट

४८०. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य में प्रति टन सीमेंट का समाहार मूल्य और विक्रय-मूल्य क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि समाहार मूल्य और विक्रय-मूल्य में बहुत अन्तर है ;

(ग) यदि ऐसी बात है तो इसका क्या कारण है ; और

(घ) तेज भावों को साधारण उचित स्तर पर लाने के उद्देश्य से सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कलकत्ता में समाहार मूल्य ९६ रुपये ५ आने ८ पाई

प्रति टन है और मनीपुर में विक्रय-मूल्य १५५ रुपये १५ आने प्रति टन है।

(ख) से (घ): मनीपुर की सरकार कलकत्ता के समाहार मूल्य तथा कलकत्ता से मनीपुर तक यातायात की लागत माल उठाने चढ़ाने की लागत तथा अन्य आनुषंगिक खर्चों और व्यापारियों की आढ़त के आधार पर मनीपुर में विक्रय मूल्य नियत करती है। समीपतम सीमेंट फैक्टरियों से मनीपुर की दूरी को देखते हुये वहां का विक्रय मूल्य बहुत अधिक नहीं समझा जाता।

कार्यक्रम सलाहकार समितियां

४८१. **श्री वीरस्वामी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के मद्रास, त्रिचनापली, कोझीकोडे और विजयवाडा स्टेशनों की पृथक् पृथक् कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सदस्यों की कितनी संख्या है ; और

(ख) आकाशवाणी के त्रिचनापली स्टेशन की कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख): यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]**

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना पश्चिम बंगाल

४८२. **श्री के० के० बसु :**
श्री एन० बी० चौधरी :

क्या **निर्माण, आवास तथा सभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अर्थ सहायता के रूप में मंजूर की गई धनराशि में से पश्चिम बंगाल ने अब तक कितने धन का उपयोग किया है ;

(ख) क्या इस योजना के अधीन २४ परगनों के सदर सब डिवीज़न में कुछ मकान बनाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन मकानों का क्या किराया लिया जाता है ; और

(घ) इस योजना के अधीन पश्चिम बंगाल के कुल कितने मज़दूरों को आवास का लाभ प्राप्त होता है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) मकानों के निर्माण के लिये पश्चिम सरकार को अर्थ-सहायता के रूप में १७,७३,००० रुपये और ऋण के रूप में २,८८,००० रुपये मंजूर किये गये थे। इस में से, वास्तव में अब तक, अर्थ सहायता के रूप में प्राप्त राशि में से १,५६,००० रुपये और ऋण रूप में प्राप्त राशि में से १,६८,००० रुपयों की वहां की सरकार ने उपयोग किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) पश्चिम बंगाल की सरकार ने औद्योगिक मज़दूरों के लाभ के लिये ७८८ मकानों का निर्माण आरम्भ किया है।

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना, उड़ीसा

४८३. **श्री लोकनाथ मिश्र :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन उड़ीसा सरकार के लिये कोई धनराशि मंजूर की गई है और उसे दी गई है तो वह कितनी है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने वह राशि स्वयं खर्च की है अथवा औद्योगिक नियोजनकों द्वारा खर्च की है या औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन कर्मचारियों को स्वयं दी है ;

(ग) उन सथानों के क्या नाम हैं ; जहां मकान बनाये गये हैं ; और

(घ) उन के निर्माण पर क्या लागत आई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन उड़ीसा सरकार द्वारा कटक में २८१ मकान बनाने के लिये ३.७९ लाख रुपये ऋण के रूप में और इतना ही धन अर्थ-सहायता के रूप में मंजूर किया गया है । इस में से अभी तक २.५३ लाख रुपये का ऋण उस सरकार को दिया जा चुका है । सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन औद्योगिक नियोजकों की ऋण के रूप में २३·०९ लाख रुपये अधिक राशि तथा ४·७२ लाख रुपये की अधिक अर्थ सहायता मंजूर की गई है । इस में से अब तक वास्तव में ऋण के रूप में ५·६७ लाख रुपये और अर्थ सहायता के रूप में ३·७८ लाख रुपये औद्योगिक नियोजकों को दिये जा चुके हैं । कर्मचारियों के लिये कोई राशि न तो मंजूर की गई है और न ही दी गई है। इस के अतिरिक्त १९४९ की औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन उड़ीसा सरकार के लिये २० लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है ; जिस में से उन्होंने १६ लाख रुपये का उपयोग किया है ।

(ग) तथा (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३].

लोक सभा वाद -विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक-सभा

बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

पटल पर रखा गया पत्र

साहित्य अकादमी और उसकी गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं साहित्य अकादमी और उसकी गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण की, जिसका वचन २२ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर में दिया गया था, एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस--४५३/५४]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री आल्तेकर (सतारा उत्तर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों

सम्बन्धी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारी वृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी

श्री केशवैयंगार (बंगलौर उत्तर) : नियम २१५ के अन्तर्गत मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पाकिस्तान सरकार द्वारा, भारतीय उच्च--आयोग के एक सदस्य के घर की तलाशी लेकर, राजनयिक प्रथा का भंग करना ।"

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कराची में ३० अक्टूबर, १९५४ को लगभग ७ बजे एक बड़े पुलिस दल ने, भारतीय उच्च-आयोग के अधिकारियों की एक बिल्डिंग में, जो इस्लामाबाद में थी, बिना भारतीय उच्च आयुक्त की आज्ञा लिये अथवा उसे सूचित किये छापा मारा । उसके बाद पुलिस श्री तिवारी के कमरे में गई, जो कि उच्च-आयोग में एक क्लर्क था और उसे साथ वाले एक स्नानागार में बन्द कर दिया । अन्य कर्मचारी, जो उस बिल्डिंग में रहते थे, उन्हें भी अपने कमरे छोड़ने से रोका गया और जब उन्होंने इस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कार्यवाही का विरोध किया तो उन्हें गालियां और धमकियां भी दी गईं। छापा मारने वाले दल के कुछ लोग कर्मचारियों की पत्नियों के कमरों में भी घुसे और उनकी तलाशी लेने की धमकी दी ।

श्री तिवारी को स्नानागार में बन्द करने के बाद, पुलिस ने उसके कमरे में लूट खसोट की । उप उच्च-आयुक्त के पाकिस्तानी पुलिस के अनाचार सम्बन्धी विरोधों की, जो कि अब तक घटना स्थल पर पहुंच गया था, पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने कोई परवा नहीं की, बल्कि उन्होंने श्री तिवारी को पकड़ कर पूछ ताछ के लिये ले जाने की धमकी दी। पुलिस दल चार घंटे के बाद वापिस लौटा, जब कि उप उच्च-आयुक्त ने स्वयं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को इस विषय से सूचित किया और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में विशेष हिदायतें जारी कीं।

जब पाकिस्तानी पुलिस का छापा मार दल उस बिल्डिंग से चला गया तब श्री तिवारी ने अपनी वैयक्तिक सामग्री देखी और उन्हें यह मालूम हुआ कि पुलिस अपने साथ उनके कुछ वस्त्र और अन्य वैयक्तिक वस्तुयें, जिनमें सेवा के दस्तावेज और पाकिस्तानी मुद्रा में २०० रुपये भी थे, अपने साथ ले गई है । पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने कोई सूची तैयार नहीं की और न ही उच्च-आयोग के किसी सदस्य को अथवा श्री तिवारी को, जो स्नानागार में बन्द थे कोई सूची दिखाई गयी ।

भारतीय उच्च आयुक्त ने पाकिस्तानी पुलिस के इस अत्याचारपूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से जोरदार विरोध किया, जो कि न केवल सामान्य राजनयिक प्रथाओं का ही उल्लंघन था बल्कि एक विशिष्ट भारत-पाक संधि का भी उल्लंघन है, जिसके द्वारा दोनों देशों में उच्च-आयोग के कर्मचारियों को राजनयिक छूट दी गई है । इस सम्बन्ध में पाकिस्तान प्रेस में प्रकट होने वाली शरारत से भरी और झूठी सूचनाओं के विरुद्ध भी विरोध किया गया है ।

पाकिस्तान सरकार का एक उत्तर हमने प्राप्त किया है जिसमें कहा गया है कि एक मिर्जा साम्मुल्लाह बेग, जो कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन था, और जिसे पाकिस्तान विमान बल से जासूसी के आरोप पर निकाला गया था, उस कमरे में जिसकी तलाशी ली गई थी रहता था, और केवल श्री बेग की वस्तुयें ही पुलिस ने ली थीं। इस उत्तर में, भारतीय उच्च-आयोग द्वारा पाकिस्तानी पुलिस और प्राधिकारियों के अत्याचारपूर्ण व्यवहार के बारे में भी इन्कार किया गया है। पाकिस्तान सरकार का उत्तर तथ्यों से मेल नहीं खाता है । न ही श्री बेग और न ही कोई अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रजन कभी श्री तिवारी के कमरे में रहते थे । उस कमरे में किसी भी पाकिस्तानी राष्ट्रजन की कोई भी वस्तु नहीं थी । तदनुसार, पाकिस्तान सरकार इस मामले पर और कार्यवाही कर रही है ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

खंड २६ से ३८

अध्यक्ष महोदय : अब सभा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खंड २६ से ३८ पर विचार जारी रखेगी । निश्चित ५ घंटे के समय में से ३४ मिनट तो लिये जा चुके हैं और अब ४ घंटे २६ मिनट शेष हैं। ४-३० म. प. तक खंडों पर विचार समाप्त हो जायगा और तब उन्हें मतदान के लिये रखा जायेगा ।

इसके पश्चात् खंड ३९ से ६० पर विचार होगा जिसके लिये ३ घंटे रखे गये हैं ।

संशोधनों के बारे में मैं अपना विनिश्चय कल दूंगी।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व): कल मैं बता रहा था कि धारा २५० का संशोधन किस प्रकार दंडाधिकारियों को अवांछित अधिकार देगा। मैंने कहा था कि व्यवहार के अनुभव वाले न्यायालयों को भी १,००० के मुकदमें नहीं सौंपे गये थे। अब संक्षिप्त तरीके से ही दंडाधिकारी को १,००० रुपये देने का अधिकार दिया गया है। हमें पता है कि इससे कभी किसी गरीब शिकायत करने वाले को लाभ नहीं पहुंच सकता क्योंकि धनवान अभियुक्त मामले का अपने ही तरीके से प्रबन्ध कर लेते हैं और इसी प्रकार साक्षियों को अपने पक्ष में करके वे गरीब शिकायत करने वालों को तंग कर सकते हैं। और गरीब व्यक्ति इसमें लुट जाता है। इसीलिये हमारे सुझाव युक्ति-युक्त हैं। अतः हमारा सुझाव है कि रकम जुर्माने का दसवां भाग होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह प्रतिकर व्यवहार न्यायालय के द्वारा व्यवहार विधि प्रक्रिया के अनुसार लिया जाये।

अब मैं इन खंडों के बुरे से बुरे उपबन्धों के सम्बन्ध में कहूंगा जो कि खंड २९ से ३५ में हैं। हमें इनसे यह पता चलेगा कि अभियुक्तों के अधिकारों का कार्यपालिका के लिये किस प्रकार बलिदान किया गया है। शीघ्रता के बहाने उसके बहुत से अधिकार छीने जा रहे हैं; उसे अपर्याप्त सूचना दी जायेगी और पुलिस के बयानों के आधार पर ही आरोप-सूची लगा दी जायेगी। इसलिये यदि शीघ्रता ही करनी है तो सब से शीघ्र तरीका तो यह ही होगा कि जब कोई पुलिस का सिपाही किसी के बारे में संदेह करे कि अमुक व्यक्ति ने दंड-संहिता के अन्तर्गत कोई अपराध किया है तो उसे दंड देने का अधिकार दे दिया जाये।

किन्तु मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या अभियुक्त के अधिकारों का अपहरण करके हम शीघ्रता लाना चाहते हैं? क्या हम इसी आधार पर चलें कि अभियुक्त के बचाव के मार्ग में अड़चने पैदा की जायें? सरकार का यही ध्येय प्रतीत होता है और उससे पूर्व मैं इस शीघ्रता के तर्क का खंडन करना चाहता हूं। निस्संदेह दंड-प्रक्रिया में विलम्ब होता है, किन्तु उसका कारण क्या है? क्या यह समर्पण कार्यवाही के कारण है? क्या यह अधिपत्र की कार्यवाही के कारण है, अथवा किसी और कारण?

क्या प्रक्रिया में विलम्ब इस कारण से हो जाता है कि अभियुक्त को स्थगन का उचित अवसर मिल जाता है? अथवा किसी अन्य कारण से विलम्ब होता है? मैं समझता हूं कि अधिपत्र प्रक्रिया या समर्पण प्रक्रिया के कारण विलम्ब नहीं होता। आप दिल्ली के ही एक मामले को ले लीजिये। यहां पर एक हत्या अभी हुई थी और दो तीन मास ही में मामला समाप्त हो गया। यदि इस प्रकार से दिल्ली में शीघ्रता हो सकती है तो क्या कारण है कि अन्य स्थानों में ऐसा नहीं हो सकता। विलम्ब इस कारण से नहीं होता कि समर्पण प्रक्रिया में साक्षियों का परीक्षण किया जाता है अथवा अधिपत्र के मामलों में जिरह किसी अन्य समय होती है। विलम्ब का यह कारण भी नहीं है कि अपर्याप्त सूचना आदि के कारण मामला स्थगित कर दिया जाता है, किन्तु विलम्ब के तो अन्य कारण हैं जो सभी लोगों को विदित हैं। डा० काटजू ने जेलों में बन्दियों के अभियोगों के बारे में भावुकता से कहा है। किन्तु इसका कारण क्या है? क्या इसके कारण अधिपत्र प्रक्रिया अथवा समर्पण प्रक्रिया सम्बन्धी हैं। डा० काटजू ने हमें यह नहीं बताया कि पुलिस के अनुसंधान तथा जांच में कितना विलम्ब होता है जहां तक मुझे पता है सब से

[श्री साधन गुप्त]

अधिक विलम्ब अनुसन्धानो में होता है और पुलिस ही इन सब बातों का कारण है। मैं इस सम्बन्ध में आपको एक इस प्रकार का उदाहरण भी दे सकता हूं। एक मुकदमें के अनुसंधान में पुलिस ने तीन वर्ष का समय लगाया। वह मुकदमा धारा ३३२ के अन्तर्गत था। और उसके बाद कहीं जाकर बेचारे अभियुक्त को तीन मास की जेल की गई। इसी प्रकार की बातें नित्य होती हैं। अनुसंधान करते समय पुलिस खुले तौर पर लोगों को तंग करती है। पुलिस वाले प्रतिवर्तन में पर्याप्त समय लगाते हैं और बार बार अभियुक्त को न्यायालय में भेजते हैं जिससे अभियुक्त का अधिक से अधिक रुपया नष्ट हो। मेरे विचार में विलम्ब का मुख्य कारण यही है।

विलम्ब का दूसरा कारण स्थगन है। माननीय गृह मंत्री ने इसको ठीक करने के उपबन्ध रखे हैं। किन्तु वे सब गलत दशा में है जब अभियुक्त अभियोग को स्थगित करवाता है, तो विलम्ब नहीं होता किन्तु वास्तविक विलम्ब तो तभी होता है जब अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोग स्थगित करवाया जाता है। मुझे पता है कि बहुत से न्यायालयों में यदि कोई अभियुक्त बाहर से किसी प्रसिद्ध वकील को लाते हैं, तो पुलिस अपनी असमर्थता देख कर और तो कुछ नहीं कर पाती, किन्तु एक या दो महत्वपूर्ण गवाहों को, जो जिरह में न ठहर सकते हों, एक दो दिन के लिये बाहर भेज देती है और जब वह वकील चला जाता है तो मुकदमे को स्थगित करवा लिया जाता है और स्थगन कम से कम १५ दिन का या महीने तक का होता है। विलम्ब का एक कारण यह है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

विलम्ब का दूसरा कारण यह है कि अभी तक न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रथक्करण नहीं हुआ है।

आज एक दंडाधिकारी अपना सारा समय मुकदमों में नहीं लगा सकता क्योंकि उसके जिम्मे और भी काम होते हैं अतः वह न्यायिक कार्य की तुलना में दूसरे कामों को अधिक महत्व देता है।

माननीय गृह मंत्री जो अभियोग में शीघ्रता लाने का दम भरते हैं, क्या उन्होंने वास्तव में कोई ऐसा उपबन्ध किया है जिससे शीघ्रता आ सके। क्या अनुसंधान के लिये कोई समय निश्चित किया गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या उन्होंने अभियोजन पक्ष को दंड देने का उपबन्ध किया है जो गवाहों को व्यर्थ ही रोकते हैं। जो भी उपबन्ध किये गये हैं, वे सब अभियुक्त के विरुद्ध ही जाते हैं। समर्पण तथा अधिपत्र वाले दोनों मामलों में यह उपबन्ध किया गया है कि अभियुक्त को पुलिस धारा १७३ में निर्दिष्ट दस्तावेज़ देगी। यह कोई पर्याप्त सूचना नहीं है। अभियुक्त स्थगन नहीं करवा सकेगा। शीघ्रता के नाम पर अभियुक्त के सारे अवसर और अधिकार छीने जा रहे हैं। माननीय मंत्री धारा १७३ के अन्तर्गत दस्तावेज़ की सूचना को पर्याप्त समझते हैं, किन्तु पुलिस के वक्तव्यों का क्या मूल्य है। तो ऐसे वक्तव्य से एक व्यक्ति अपने विरुद्ध लगे अभियोग को कैसे जान सकता है। माननीय गृह मंत्री को उनकी तो कोई परवा नहीं है किन्तु उसे उसी आधार पर अभियोग का सामना करना पड़ेगा।

पुलिस के वक्तव्यों में अपर्याप्त ब्योरा होता है किन्तु अभियुक्त को अपने गवाह तैयार करने के लिये बहुत कम अवसर मिलेगा। एक दंड के मुकदमे में धारा १७३ के

दस्तावेजों के अतिरिक्त भी कई बातें होती हैं। धारा १७३ में वे दस्तावेज होते हैं जिन पर अभियोजन पक्ष का मुकदमा आधारित होता है। इसका तात्पर्य यही होता है कि अभियुक्त को वही दस्तावेज दिये जायेंगे जो न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले होंगे। कई अन्य दस्तावेज ऐसे भी होते हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष वाले न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करते, किन्तु अभियुक्त उन पर भी भरोसा करता है।

उदाहरण के रूप में हमें पहचान की रिपोर्ट को लेना चाहिये। एक दंडाधिकारी रिपोर्ट से स्मरण करके ही साक्ष्य देता है। उस रिपोर्ट को पेश नहीं किया जाता। किन्तु उससे अभियुक्त लाभ उठा सकता है। किन्तु उस रिपोर्ट का अभियुक्त को दिया जाना आवश्यक नहीं किया गया। अतः इसके बिना यह सभी सूचना अपर्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार से शव परीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट का उदाहरण है। इसे केवल डाक्टर ही अपने लाभ के लिये लाता है और यह भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाती।

दूसरे शीघ्रता के नाम पर एक और उपबन्ध किया गया है। पुलिस को दिये जाने वाले बयान अभियोग का आधार बनाये जायेंगे। किन्तु दंड-न्याय का यह तो पहला सिद्धान्त है कि जब तक गवाह शपथ ले कर तथ्य न बता दे तब तक प्रत्यक्ष मुकदमा नहीं बन सकता। श्रीमान्, पुलिस के पास दिये गये बयान, जो कि कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकते क्या उन्हें अभियोग का आधार माना जाय ? इससे इस देश की जनता पर घोर अत्याचार होंगे। इसके बाद समर्पण प्रक्रिया भी हास्यास्पद बना दी गई है और यह सब शीघ्रता लाने के लिये किया जा रहा है।

समर्पण प्रक्रिया के अनुसार केवल प्रत्यक्ष गवाहों का ही परीक्षण किया जायेगा। मुझे समझ नहीं आता कि यह बात गृह मंत्री को किसने समझा दी है। एक दंड के मुकदमे में जितना महत्व प्रत्यक्ष गवाहों का होता है उतना ही अप्रत्यक्ष गवाहों का भी होता है। साधारणतया प्रत्यक्ष गवाह तो पक्षपाती होते हैं किन्तु अधिक महत्व तो उन गवाहों का है है जो उनकी बात की पुष्टि करते हैं। उन्हीं गवाहों का साक्ष्य निर्णायक होता है। किन्तु एक दंडाधिकारी उनका परीक्षण करने से इन्कार भी कर सकता है।

प्रत्यक्ष गवाहों के बारे में भी वही प्रक्रिया रखी गई है। यदि पुलिस चाहे तो उनके परीक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। धारा २०७क के अन्तर्गत एक उपबन्ध है कि समर्पण कार्यवाही केवल गवाहों की अनुपस्थिति के कारण ही स्थगित न होगी। अतः यदि पुलिस कह दे कि अमुक् गवाह अनुपस्थित है तो दंडाधिकारी काम जारी रखेगा अर्थात् केवल पुलिस के बयानों के आधार पर।

श्री वेंकटरामन (तंजोर) : उपाध्यक्ष महोदय, उप-खंड (१७) गृह उपमंत्री के संशोधन संख्या ५५० के द्वारा हटाया जा रहा है।

श्री साधन गुप्त : मैंने तो वह संशोधन नहीं देखा है। क्या सारा खंड ही हटाया जा रहा है।

श्री वेंकटरामन् : केवल उप खंड (१७)।

श्री साधन गुप्त : इस खंड में दो तत्व हैं। एक तो यह कि गवाहों के अनुपस्थित होने के कारण स्थगन नहीं किया जाये और दूसरा यह है कि एक से अधिक स्थगन न किये जायें। यदि पुलिस दो बार गवाहों को अनुपस्थित रखने में सफल हो जाये तो—।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : दोनों को हटा दिया गया है।

श्री साधन गुप्त : माननीय गृह मंत्री पहले तो इस बात को लेकर चले कि समर्पण

[श्री साधन गुप्त]

की कार्यवाहियों में प्रति परीक्षण का बिल्कुल प्रतिषेध कर दिया जाये और अधिपत्र मामलों में प्रति परीक्षण के स्थगन का अधिकार न दिया जाये। बाद को समर्पण के मामलों में उन्होंने प्रति परीक्षण की अनुमति दे दी, परन्तु सारे गवाहों का पेश होना अनिवार्य नहीं बनाया। उनके दिमाग की यह अस्थिरता तथा विचारों का वेग मुहम्मद तुगलक के ही समान है।

वर्तमान समर्पण की प्रक्रिया में अभियुक्त को यह अवसर है कि वह प्रत्येक गवाह का प्रति परीक्षण कर सके और यदि वह चाहता है तो वह २८८ के अधीन अपनी गवाही भी दे सकता है। परन्तु अब यह उपबन्ध किया गया है कि अभियुक्त सारे गवाहों से जिरह नहीं कर सकता। अभियुक्त की दृष्टि से यह उपबन्ध बहुत हानिकर सिद्ध होगा, क्योंकि इस अवस्था में पुलिस उन गवाहों को पेश नहीं करेगी, जिनको वह कमजोर समझती है और जो अच्छी तरह सिखाये पढ़ाये नहीं गये हैं। इस तरह वह गवाही की उस असंगति से वंचित रह जायेगा जो कि उसको निर्दोष सिद्ध करने में सहायक होती और अभियोगी पक्ष का फायदा हो जायेगा। अधिपत्र मामलों में परिपीड़न तथा समर्पण मामलों में शीघ्रता के नाम पर प्रति परीक्षण कम कर दिया गया है। परन्तु समर्पण की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में प्रति परीक्षण वैसे ही कम होता है, अतः उससे इन कार्यवाहियों में देरी होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी अवस्था में अभियुक्त को प्रति परीक्षण के अधिकार से क्यों वंचित किया जाये ?

यह कहा जाता ह कि गवाह न्यायालय में इसलिये नहीं आते क्योंकि वे दो बार या तीन बार प्रति परीक्षण के लिये आने में डरते हैं। परन्तु यह बात पूर्णतया गलत है। उनको यह आपत्ति नहीं है कि वे दो परीक्षणों से डरते हैं, अपितु इस बात से कि उनको बार बार न्यायालय में आने के लिये कहा जाता है। हर बार तारीख हटा दी जाती है और गवाहों को बड़ी परेशानी होती है। यदि एक व्यक्ति को यह मालूम हो कि न्यायालय में उपस्थित होने के दो या तीन घंटे के भीतर ही उसका परीक्षण कर लिया जायेगा और १५ दिन के बाद उसका प्रति परीक्षण हो जायेगा, तो किसी गवाह को न्यायालय आने में आपत्ति नहीं होगी। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस कठिनाई को तो दूर करें, परन्तु प्रति परीक्षण के द्वारा अपने मामले की तैयारी करने का अधिकार अभियुक्त से न छीनें। आखिर को हम सभी जानते हैं कि एक फौजदारी के मामले में सारे गवाहों की गवाही एक दूसरे से सम्बन्धित होती है और जब तक सारी गवाहियां पूरी नहीं हो जातीं, तब तक बचाव पक्ष की दृष्टि से प्रति परीक्षण असम्भव है। यही तर्क मेरा अधिपत्र मामलों में प्रति परीक्षण के स्थगन सम्बन्धी अधिकार के बारे में है।

दूसरी बात यह है कि किसी भी मामले को उच्च न्यायालय में भेजने से पूर्व देशी भाषा में लिखे प्रत्येक दस्तावेज का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने को कहा जाता है और उसके लिये संविधान की आड़ ली जाती है। यदि संविधान में ऐसा कोई प्रतिबन्ध है तो मैं यह सुझाव दूंगा कि संविधान का अवश्य संशोधन किया जाये और संहिता में से यह उपबन्ध निकाल दिया जाये।

अन्य खतरनाक उपबन्ध अभियुक्त को ही फांसने की दृष्टि से उसका परीक्षण करने का अधिकार देना है। इस प्रकार धारा २०९ का वह मान्य उद्देश्य, कि अभियुक्त उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कर सके जो कि गवाही में उसके विरुद्ध मालूम पड़ती है; खत्म

कर दिया गया है। धारा २०७-क में भी एक ऐसा ही खण्ड है जिसमें अनियमित रूप से परीक्षण की अनुमति दी गई है। खंड ६१ की चर्चा करते समय मैं विस्तृत रूप से उनका विवेचन करूंगा। मैंने अपने पक्ष की ओर से कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं, जिनका एक मात्र उद्देश्य यह है कि अभियुक्त के अधिकार की रक्षा हो और न्याय प्रशासन में कार्य पालिका का प्रभुत्व न रहे। हमारे विचार में समर्पण तथा अधिपत्र मामलों की वर्तामन प्रक्रिया पूणतः संतोषजनक है। समर्पण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में केवल इस सुधार की आवश्यकता है कि मामले के सम्बन्ध में दंडाधिकारी के अधिकार विरतृत कर दिये जायें। इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से निरर्थक मामले सत्र न्यायालय में नहीं जायेंगे और सत्र न्यायालय इस बेकार की परेशानी से बच जायेगा। अभियुक्त को इतना अवसर प्रदान करने के लिये ताकि वह अपना मामला तैयार कर सके, हमने अभियुक्त की प्रार्थना पर उचित स्थगनों का उपबन्ध किया है। परीक्षण द्वारा अभियुक्त को ही फांसने की कोशिश करने का जो उपबन्ध किया गया है, उसको हमने हटाने की कोशिश की है और इस परीक्षण को वहीं तक सीमित रखा है, जहां तक वह उसकी परिस्थितियों को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध हो। साथ ही समर्पण मामलों में प्रति परीक्षण तथा अधिपत्र मामलों में प्रति परीक्षण के स्थगन का अधिकार देने की भी हमने कोशिश की है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, वर्तमान सरकार फासिज्म की नीति का अनुकरण कर रही है। इस सभा में हम इसको भले ही न रोक सकें, परन्तु देश की जनता इस को अवश्य दूर करेगी, एसा मेरा पूर्ण विश्वास है।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं मुख्य खंड २९ और ३५ के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा। अपने संशोधन के अनुसार मैं धारा २०७ क (३) में यह निविष्ट कराना चाहता हूं कि अभियोगी पक्ष के साक्षी का बयान लेने से कम से कम ७ दिन पूर्व प्रतियां अभियुक्त को दे देनी चाहिये। धारा १७३ अथवा १६४ में अभियुक्त को ये प्रतियां देने का उपबन्ध अच्छा है, परन्तु मुझे एक शंका है कि यदि साक्ष्य लेने से एक ही दिन पूर्व अभियुक्त को प्रतियां दी गईं तो उपबन्ध का प्रयोजन व्यर्थ हो जायेगा। ऐसे मामले भी हो सकते हैं कि जिन में कोई आंखों देखा साक्ष्य न हो। तब हो सकता है कि एक ही दिन पूर्व प्रलेख दिये जायें और अगले दिन दंडाधिकारी प्रावैधिक रूप में अभियोगी पक्ष का साक्ष्य ले। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रलेख देने और साक्ष्य लेने के बीच न्यूनतम कालावधि विदित होनी चाहिये।

मेरे संशोधन ४४७ में प्रस्तावित धारा १०७-क (४) के स्थान पर यह रखने का सुझाव है कि तत्पश्चात् दण्डाधिकारी अभियोगी पक्ष के उन साक्षियों का बयान लेगा जिनके द्वारा वह पक्ष अपना वाद पुष्ट करना चाहता हो। परन्तु इस उपधारा के अधीन उस व्यक्ति का बयान नहीं लिया जायेगा जिसने धारा १६४ के अधीन बयान दिया हो। न्यायिकों की राय इस सिद्धांत के पक्ष में है कि धारा २०८ के अधीन यह आवश्यक नहीं कि अभियोगी पक्ष अपने सारे साक्षियों को प्रस्तुत करे।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : क्या आरोप तैयार करने से पूर्व ? मेरा यह अनुभव है कि अनुभवी दण्डाधिकारी केवल एक या दो साक्षियों की जांच करता है और तत्पश्चात् तुरन्त आरोप तैयार कर लेता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो अधिपत्र के मामलों में होता है।

डा० काटजू : मेरा सादर निवेदन है कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।

श्री फ्रैंक एंथनी : मेरा निवेदन है कि मेरा मत गृह मंत्री के मत से भिन्न है।

डा० काटजू : मैं केवल धारा २०८ की भाषा की बात कर रहा हूं।

श्री फ्रैंक एंथनी : उस शब्दावली में तो दण्डाधिकारी को स्वविवेक का अधिकार दिया गया है।

डा० काटजू : उत्तर प्रदेश में इस स्व-विवेक का प्रायः प्रयोग किया जाता है।

श्री फ्रैंक एंथनी : परन्तु यह स्वविवेक का एक ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग ध्यान पूर्वक और न्यायपूर्ण ढंग से करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अधिपत्र के मामलों की ओर निर्देश कर रहे हैं। धारा २०८ का सम्बन्ध समर्पण कार्यवाही से है।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं समझा कि उनका यह विचार है कि समर्पण कार्यवाही में भी दण्डाधिकारी एक दो साक्षियों की जांच करने के पश्चात् व्यक्ति को समर्पित कर सकता है।

डा० काटजू : मैं ने ऐसा नहीं कहा।

श्री फ्रैंक एंथनी : धारा २०८ के अधीन ऐसी स्थिति है कि विधि की भावना के अनुसार यह प्रथा है कि अभियोग को समर्पण न्याया-लय में अपने पक्ष के समर्थन के लिये आव-श्यक साक्षी प्रस्तुत करने पड़ते हैं।

डा० काटजू : क्या मेरे माननीय मित्र समर्पण कार्यवाही को कम करना चाहते हैं अथवा नहीं ? यदि वे समर्पण कार्यवाही को यथावत रखना चाहते हैं तो यह सर्वथा अलग बात है।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं प्रक्रिया को छोटा बनाने के पक्ष में अवश्य हूं, परन्तु मैं इसे इतना छोटा भी नहीं बनाना चाहता कि बेचारे अभियुक्त का जीवन ही संकट में पड़ जाये।

धारा २०८ का अन्तर्निहित सिद्धांत यह है कि सब आवश्यक साक्षियों का परीक्षण किया जाना चाहिये, परन्तु एक ही बात को दोहराने वाले साक्षियों का परीक्षण अनिवार्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि वर्तमान प्रक्रिया और रीति को ही रखा जाये और उन सब व्यक्तियों के बयानों को लिखा जाये, जिन पर अभियोक्ता को विश्वास हो, ताकि अभियुक्त को समस्त अभियोग के आधार का ज्ञान हो सके। माननीय मंत्री ने केस-डायरी का उल्लेख किया है, परन्तु उसका इस दृष्टि से कुछ उपयोग नहीं है क्योंकि वह अभियुक्त को अभियोग की सूचना नहीं देती। इस संशोधन में मैंने एक रियायत रखी है कि केवल उन्हीं साक्षियों का परीक्षण किया जाये, जिनका धारा १६४ के अधीन, परीक्षण नहीं हुआ है। परन्तु अन्य सभी महत्वपूर्ण साक्षियों का समर्पण करने वाले न्यायालय में परीक्षण अवश्य होना चाहिये। इसमें अधिक समय भी नहीं लगेगा। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि अभियुक्त को अभियोग की रूपरेखा से परिचित अवश्य कराना चाहिये। परन्तु सरकार यह भी नहीं करना चाहती।

इसके बारे में मुझे यह आपत्ति है कि आप ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं जिस में केवल अपराध होने के समय के साक्ष्यों का ही परीक्षण किया जाये। वास्तव में हत्या के मामले में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता और केवल परोक्ष साक्ष्य ही प्राप्त होता है कि अमुक व्यक्ति को मृत व्यक्ति के साथ देखा गया था और उसके पास से रक्तमय वस्त्र और रक्तमय आभूषण तथा रक्तमय शस्त्र पाये गये हैं। इसमें आंख से देखी हुई

कोई बात नहीं है। इसलिये समर्पण करने वाले न्यायालय में ऐसी कोई बात अभियुक्त को नहीं बताई जायेगी। मैं इसे समझन में असमर्थ हूं। एक मामले में कुछ दिन हुये मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा था कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड देने के लिये परोक्ष साक्ष्य पर्याप्त है, परन्तु अभियुक्त को साक्ष्य बताने के लिये यह घटना पर्याप्त नहीं है। माननीय उप-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नवीन उपबन्ध में क्या कहा गया है।

१ म. प.

मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि जिस अपराध के कारण अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, कम से कम शपथ के आधार पर वह मामला या साक्ष्य अभियुक्त को अवश्य बतला दिया जाना चाहिये। मेरी यह मांग अनुचित नहीं है।

[श्री पाटस्कर पीठासीन हुये]

मैं असाधारण मामलों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कह रहा हूं। परन्तु साधारण हत्या के मामले में ६ या ७ मुख्य साक्ष्य होते हैं। क्या आप समय की बचत के हेतु उन सब का परीक्षण न करते हुये केवल दो या तीन का ही परीक्षण करके अभियुक्त के मूलभूत अधिकार का अतिक्रमण करना चाहते हैं वास्तव में उन सब का परीक्षण एक दिन में हो सकता है। मैं समझता हूं कि हम सब इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि सब व्यक्तियों के प्रति न्याय होना चाहिय, चाहे वह अभियुक्त हो या अभियोक्ता।

इसलिये समय की बचत के लिये अभियुत का यह अधिकार उस से नहीं छीनना चाहिये। मेरा निवेदन है कि धारा १६४ के अधीन जिन अभियोक्ता साक्षियों का परीक्षण नहीं हुआ है उनका समर्पण करने वाले न्यायालय के समक्ष अवश्य ही परीक्षण होना चाहिये। यदि सब का परीक्षण धारा १६४ के अधीन हो चुका है तब शपथ के आधार पर अभियुक्त को अभियोग का ज्ञान हो जायेगा। सारांश यह कि अभियुक्त को अभियोग या अपराध मालूम हो जाना चाहिये, ताकि अभियोक्ता पक्ष उसके विरुद्ध मामले में कोई गड़बड़ न कर सके। इसमें महत्व की बात यह है कि अभियोक्ता को मामले में गड़बड़ी करनें का कोई अवसर न दिया जाये। यदि धारा १६४ के अधीन दिये गये बयानों के आधार पर अभियुक्त की मुक्ति की आशा है, तो उसे सेशन सुपुर्द करने या उसे वहीं छोड़ देने में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

मेरे संशोधन संख्या ४५३ का यह उद्देश्य है कि समर्पण न्यायालय में अभियुक्त का परीक्षण नहीं होना चाहिये। यदि माननीय मंत्री मेरे पहले संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं तो भी उन्हें मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री वेंकटरामन : श्री दातार के संशोधनों में प्रति परीक्षण का अधिकार रखा गया है। यदि अभियोग के अन्य साक्षी विद्यमान हैं, तो दण्डाधिकारी उन के साक्ष्य भी लेगा और अभियुक्त को उन साक्षियों का प्रति परीक्षण करने की स्वतंत्रता होगी और अभियोक्ता उनका पुनर्परीक्षण करेगा।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं यह चाहता हूं कि समर्पण करने वाले न्यायालय में अभियुक्त का परीक्षण नहीं होना चाहिये। यदि उस न्यायालय में सभी साक्षियों का साक्ष्य भी ले लिया जाता है, तो भी अभियुक्त का परीक्षण नहीं होना चाहिये। सब अभियोक्ता साक्षियों का इस कारण परीक्षण न करना गलत है, कि अभियुक्त उस साक्ष्य में से अपनी सफाई ढूंढ लेगा। अभियुक्त को प्रति परीक्षण का अधिकार दिये

[श्री फ्रैंक एंथनी]

बिना उसे अपनी सफाई देने के लिये कहना सर्वथा अनुचित है। यदि फिर भी सरकार शीघ्रता करने के उद्देश्य से अभियुक्त का अधिकार छीनना चाहती है तो वह बड़ा भारी अनर्थ कर रही है।

जब तक अभियोक्ता पक्ष के सब साक्षियों का परीक्षण नहीं हो जाता, अभियुक्त को अपनी सफाई देने के लिये कैसे कहा जा सकता है? अभियुक्त को अपनी सफाई देने से पूर्व अभियोक्ता साक्षियों के साक्ष्यों का खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि हम अभियुक्त के प्रति न्याय नहीं अपितु अन्याय करेंगे।

यदि अभियुक्त से प्रति परीक्षण का अधिकार छीना जाता है, तो उसका परीक्षण भी नहीं होना चाहिये। भला अभियुक्त तब तक अपनी सफाई कैसे दे सकता है जब तक कि वह अभियोक्ता साक्षियों का प्रति परीक्षण न करले। मंत्री महोदय ने कहा है कि अभियुक्त का वकील हत्या के मामले में अपनी सफाई रक्षित रखता है। परन्तु उच्च न्यायालय में उसी रक्षित सफाई का विपरीत निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियुक्त ने समर्पण करने वाले न्यायालय में अपनी सफाई क्यों प्रस्तुत नहीं की। समर्पण कर्ता न्यायालय में सफाई रक्षित रखने की कोई रीति नहीं है। यदि आप अभियुक्त को दण्ड दिलाने पर ही तुले हुये हैं, तो बेशक अभियोक्ता साक्षियों के प्रति-परीक्षण से पहले, आप अभियुक्त का परीक्षण कर लें, परन्तु यह घोर आपत्तिजनक कार्य होगा। अभियुक्त को प्रति परीक्षण का अधिकार देना सरकार का दायित्व है। परन्तु यदि आप यह अधिकार अभियक्त को देना नहीं चाहते तो कम से कम इतना तो कीजिये कि सत्र न्यायालय में अभियोक्ता साक्षियों के प्रति-परीक्षण के बाद अभियुक्त का परीक्षण किया जाये। यह बड़ी मांग नहीं है। मैं न्याय के नाम पर यह मांग कर रहा हूं। यदि अभियुक्त समर्पण कर्ता न्यायालय में अपनी सफाई बता देगा, तो यह आशंका है कि अभियोक्ता पक्ष के साक्षी उस सफाई का खंडन करने के लिये अपने साक्ष्यों को तदनुसार बदल लेंगे। यदि अभियुक्त अपनी सफाई नहीं देता तो सत्र न्यायालय इसका विपरीत निष्कर्ष निकालेगा कि उसने पहले न्यायालय में अपनी सफाई क्यों नहीं दी। दोनों प्रकार बेचारे अभियुक्त को मार है, इधर कुंआ उधर खाई। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि अभियोक्ता पक्ष के साक्षियों के प्रति परीक्षण के पूर्व अभियुक्त से उसकी सफाई न पूछी जाये।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य न लिया जाये।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुये]

धारा ३४२ के अनुसार अब केवल उन साक्ष्यों के सम्बन्ध में अभियुक्त का परीक्षण किया जाता है, जो उसके विरुद्ध आये हों और उसका प्रति परीक्षण नहीं किया जाता परन्तु यदि इन उपबन्धों को निकाल दिया जाये, जैसा कि इस संशोधन में कहा गया है, तो अभियुक्त का विस्तृत परीक्षण हो सकेगा। न केवल विरोधी दल के अपितु कांग्रेस दल के विधि-वेत्ता भी अनुभव करते हैं कि मूल विधि इस नवीन उपबन्ध की अपेक्षा अधिक अच्छी है, क्योंकि इस नवीन उपबन्ध के अनुसार अभियुक्त का इस ढंग से प्रति परीक्षण किया जायेगा, जिससे अभियोग या अपराध कि पुष्टि हो सके। अतः हमें इस नवीन संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

खण्ड ३५ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वारंट की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखती है।

मैं ने इस खण्ड पर चार संशोधन रखे हैं। मैं चाहता हूं कि अभियुक्त पक्ष के साक्षियों का जब तक प्रति परीक्षण न हो जाये, उससे पहले अभियुक्त का परीक्षण नहीं होना चाहिये। यहां भी यदि प्रक्रिया को छोटा किया जाना है, तो कीजिये, किन्तु अभियुक्त का परीक्षण नहीं होना चाहिये। जब तक कि उसे अभियोक्ता पक्ष के गवाहों पर जिरह करने का अवसर न मिले, उसकी परीक्षा नहीं होनी चाहिये। इसीलिये मैंने अपने संशोधन में जो कि खण्ड ८ के बारे में है, यह सुझाव दिया है कि उसका परीक्षण अभियोक्ता पक्ष के गवाहों पर जिरह हो चुकने के बाद होना चाहिये मैं आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन भी स्वीकार कर लिया जायेगा।

अपने संशोधन संख्या ४५९ और ४६० में, मैंने यह प्रार्थना की है कि खण्ड (९) में से "उसकी ओर से (उस गवाह के अतिरिक्त जिसका परीक्षण हो चुका है)" ये शब्द हटा देने चाहियें और "परीक्षा के प्रयोजन के लिये" इन शब्दों के बाद "या जिरह के लिये" ये शब्द जोड़ देने चाहिये। इन नये प्रस्तावों का आशय क्या है ? केवल यह कि अभियुक्त को जिरह का केवल एक अधिकार दिया जायेगा। वर्तमान प्रक्रिया यह है कि सामान्यतया अभियुक्त को दोषारोप से पहले जिरह करने का अधिकार होता है और दोषारोप के बाद तो अवश्य होता है और धारा २५७ के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट उस समय भी उसे जिरह करने की अनुमति दे सकता है। किन्तु अब क्या व्यवस्था की जा रही है ? वर्तमान खण्ड ९ के अनुसार, अभियुक्त को केवल एक बार जिरह का अधिकार होगा और यदि स्वयं मैजिस्ट्रेट भी अग्रेतर जिरह के लिये कुछ गवाहों को बुलाना चाहे, तो वह भी नहीं बुला सकेगा। इससे अधिक निरर्थक उपबन्ध कोई नहीं हो सकता। मान लीजिये सब से पिछला गवाह उपस्थित होता है और अपनी गवाही में कोई ऐसी बात कहता है जिसका किसी पहले गवाह की गवाही से गहरा सम्बन्ध है। अभियुक्त उस पहले गवाह पर जिरह नहीं कर सकेगा। यह दूसरा अधिकार अभियुक्त से तो ले लिया गया है किन्तु यह दंडाधिकारी के पास तो होना चाहिये। यदि न्यायालय अनुभव करे कि किसी गवाह को परीक्षण के लिये बुलाना आवश्यक है, तो उसे ऐसा करने का अधिकार होना चाहिये।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : इस समय दंड प्रक्रिया कई प्रकार की है—समन प्रक्रिया, **वारंट प्रक्रिया, संक्षिप्त प्रक्रिया,** समर्पण प्रक्रिया इत्यादि। एक अभियुक्त व्यक्ति के लिये एक ही सरल प्रक्रिया होनी चाहिये। अब हम समर्पण प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। अनुभव से ज्ञात हुआ है कि यह कार्यवाही अब व्यर्थ है। दंडाधिकारी अभियुक्त को छोड़ देने **के अधिकार का प्रयोग नहीं करते;** क्योंकि उच्च-न्यायालयों ने निर्णय दिये हैं कि यदि दंडाधिकारी यह देखे कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्यक्षतः कोई मामला नहीं है, तो भी उन्हें उसे छोड़ने का अधिकार नहीं है। उन्हें अवश्य मुकदमे को सत्र न्यायालय के सुपुर्द करना चाहिये। भारत सरकार ने न्यायाधीशों की राय जानने के लिये उन्हें **जो पत्र भेजा था, उसके उत्तर में भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री महाजन और श्री एस० आर० दास ने यह राय प्रकट की है कि समर्पण कार्यवाही बिल्कुल बेकार हो गई है, क्योंकि दण्डाधिकारियों का यह कर्तव्य समझा जाता है कि वे अभियुक्त को अवश्य सत्र न्यायालय के समर्पित करें और उन्हें छोड़ न दें। मुझे खेद है कि सरकार ने इन की राय को कोई महत्व नहीं दिया। मैंने जो संशोधन दिये हैं, उनकी भी किसी ने परवाह**

[श्री आर० डी० मिश्र]

नहीं की और न ही किसी ने मेरे अभ्यावेदन को पढ़ा है।

आपने मुख्य अधिनियम की धारा २०७ में, जो कि समर्पण प्रक्रिया के सम्बन्ध में है, संशोधन करने के लिये यह खण्ड २९ बनाया है। एक ओर तो आप मानते हैं कि यह कार्यवाही बन्द कर देनी चाहिये, किन्तु वास्तव में आप इसे जारी रख रहे हैं आप कहते हैं कि निजी अभियोग के मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय १८ में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये किन्तु यदि मुकदमा पुलिस ने चलाया हो, तो डा० काटजू की इस नई प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये। अब तक तो समर्पण कार्यवाही एक थी, किन्तु अब दो भिन्न प्रकार की कार्यवाहियां होंगी। पहले तो एक सरल प्रक्रिया थी, अब अत्यधिक जटिल हो जायेगी। इन दो प्रकार की कार्यवाहियों की क्या आवश्यकता है ?

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

संविधान के अनुच्छेद १४ में कहा गया है कि विधि के सामने सब बराबर हैं। तो फिर इस विभेद का क्या कारण है ? उसी अपराध के लिये पुलिस पर धारा २०७-क लागू होगी। किन्तु यदि अभियोग किसी निजी व्यक्ति ने चलाया है, तो उसे वकील करना पड़ेगा, गवाह पेश करने पड़ेंगे, साक्ष्य देना पड़ेगा इत्यादि और यदि दंडाधिकारी यह समझे भी कि अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा होना चाहिये, तब भी अध्याय १८ के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करनी पड़ेगी। सब गवाहों को फिर न्यायालय के सामने जाना पड़ेगा अभियुक्त को सत्र के समर्पित किये जाने के बाद गवाहों को तीसरी बार पेश होना पड़ेगा। यह विभेद क्यों हो ? यदि अभियोक्ता पुलिस है तो समर्पण कार्यवाही में अभियुक्त को जिरह करने का अधिकार नहीं होगा। वह सीधा ही सत्र न्यायालय को समर्पित हो जायेगा। किन्तु यदि अभियोक्ता कोई निजी व्यक्ति हो, तो अभियुक्त को जिरह के तीन या चार अधिकार होंगे। अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों को परेशान क्यों किया जाये और एक सरल प्रक्रिया क्यों न बनाई जाये ? यदि आप समर्पण प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं, तो धारा २०७-क के रूप में निजी अभियोग तथा पुलिस अभियोग दोनों पर लागू करना चाहिये। सत्र सम्बन्धी मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा २१८ उल्लेखनीय है। यदि कोई लोक पदाधिकारी गलत रिकार्ड लिखे तो उसके विरुद्ध इस धारा के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकता है। किन्तु इसमें पुलिस कोई जांच नहीं कर सकती और साथ ही यह मुक़दमा सत्र न्यायालय में करना पड़ेगा। अर्थात विधि के अनुसार एक व्यक्ति को एक निजी मुक़दमा दायर करना पड़ेगा जो कि केवल सत्र न्यायालय में हो सकेगा। मेरा निवेदन है ऐसे मामलों के लिये भी एक ही प्रक्रिया होनी चाहिये।

एक और समस्या यह है कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १५९, ३४६, ३४७ या ४७८ के अन्तर्गत एक दंडाधिकारी समझता है कि कोई अपराध किया गया है और उसका मुक़दमा सत्र न्यायालय में ही हो सकता है तो उस अवस्था में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा--धारा २०७ क का या अध्याय १८ का ? मेरा निवेदन है कि सब मामलों में एक ही प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये। यदि मुकदमे को समर्पित किया जाना है तो करे और अभियुक्त को सब प्रकार से पत्र दें, ताकि उसे मालूम हो, कि उसके

विरुद्ध क्या मुक़दमा है इस प्रयोजन के लिये मैं ने संशोधन संख्या ४७७ प्रस्तुत किया है ।

संक्षिप्त तथा समन मामलों के सम्बन्ध में, मैं ने संशोधन संख्या ४११३ प्रस्तुत किया है । धारा ३४ के अन्तर्गत छोटे मोटे अपराधों तथा प्रविधिक अपराधों और स्थानीय विधियों के विरुद्ध अपराधों के लिये ६ मास से कम क़ैद का दंड दिया जा सकता है । इन मुकदमों में गवाहों तथा अभियुक्त को प्रतिदिन न्यायालय जाना पड़ता है और परेशानी उठानी पड़ती है । ऐसे मामलों में, सामान्यतः अभियुक्त अपराध को मान लेते हैं और दंडाधिकारी थोड़ा सा जुर्माना कर देते हैं । इन मामलों में भी प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिये । मेरा निवेदन है कि यदि अभियुक्त अपराध मान लेता है तो उसे न्यायालय में बुलाने की क्या आवश्यकता है ? मैजिस्ट्रेट को एक अस्थायी आदेश जारी करने का अधिकार होना चाहिये कि अभियुक्त को इतने रुपये का जुर्माना किया जाता है । यदि अभियुक्त अपराध मानता है, तो सुनवाई की तिथि से पहले वह उतनी राशि जमा करवा सकता है । इस तरह मुकदमा निपट जायेगा । न्यायालय का समय भी बच जायेगा और अभियुक्त को परेशानी भी नहीं होगी । यदि अभियुक्त अपराध नहीं मानता या समझता है कि उस पर ग़लत अभियोग चलाया गया है, तो उसे उपस्थित हो कर सफ़ाई देने का पूरा अवसर देना चाहिये ।

यह न्यायसंगत नहीं है कि सभी हत्यारों बलात्कार करने वालों, डाकुओं और भयंकर अपराध करने वालों को तो हम सब अभियोग से उचित बचाव करने के लिये उन्हें उचित अवसर प्रदान करें और छोटे मोटे अपराधों वाले अभियुक्तों को ऐसी कोई सुविधा प्रदान न करें । यह तो ब्रिटिश न्यायशास्त्रियों की शरारत थी । उनके मतानुसार हज़ारों अपराधी भले ही मुक्त हो जायें किन्तु एक भी निर्दोष व्यक्ति दण्डित नहीं होना चाहिये । यदि आप संक्षिप्त प्रक्रिया चाहते हैं तो वह अवश्य हो । परन्तु यदि आप इस अस्थायी आदेश के अनुसार बहुत से मामले चलाते हैं और कोई अभियुक्त आकर याचना करता है कि वह निर्दोषी है तो उसे अपने बचाव की पूरी सुविधायें दी जानी चाहियें ।

मैं डा० काटजू द्वारा उद्धृत किये गये ब्रिटिश न्याय से इर्ष्या नहीं करता, परन्तु मैं यह नहीं सुन सकता कि भारत में तो साक्षी, पुलिस आदि सभी झूठ ही झूठ बोलने वाले हैं । डा० काटजू ने अपने पत्र में इंगलैंड के विषय में लिखा है कि—वहां प्रक्रिया इस प्रकार की है कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य सुनता है, फिर उसे प्रति परीक्षण के लिये बुलाया जाता है और सारा कार्य शीघ्रता से हो जाता है । परन्तु भारत में पुलिस में अविश्वास, सामाजिक असहयोग आदि अनेक कारणों से निर्णय करने में बहुत देर लग जाती है । इंगलैंड में कोई अभियुक्त दण्डाधिकारी के सामने लाया जाता है, पुलिस का सिपाही उसके विरुद्ध साक्ष्य देता है और दण्डाधिकारी अपना निर्णय सुना देता है । परन्तु यहां तो धारणा यह बनी रहती है कि पुलिस केवल झूठ ही झूठ बोलती है और लगभग सभी साक्षी भी झूठ बोलते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय सदैव झूठ बोला करते हैं और वहां के लोग सदैव सत्य बोला करते हैं । हम ने तो झूठ बोलने की आदत अंग्रेज़ों से ही प्राप्त की है ।

किसी फौजदारी मामले में सर्वप्रथम पुलिस द्वारा उसकी जांच होती है, उसे धारा १६१ के अधीन साक्षियों का परीक्षण करना होता है। परन्तु साक्षी पर कोई उत्तरदायित्व नहीं कि वह बिल्कुल सत्य बोले, और न ही अभियोक्ता निरीक्षक पर कोई उत्तरदायित्व

[श्री आर० डी० मिश्र]

है कि वह बिल्कुल ठीक ठीक अभिलेख बनाये। अतः यह जांच मन गढ़न्त के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और दण्ड प्रक्रिया संहिता का धारा १६२ भी इसमें विश्वास नहीं करती। अतः हमें इस प्रणाली को बदल डालना चाहिये ताकि जनता को पुलिस में दृढ़ विश्वास हो सके।

जहां तक वारण्ट के मामले का सम्बन्ध है यह वारंट प्रक्रिया निजी अभियोगों तथा पुलिस अभियोगों दोनों के लिये एक समान हो, कोई भेद न हो। यदि कभी भेद पूर्ण प्रक्रिया अपील के रूप में या और किसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय में चली गयी, तो अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद १४ को प्रतिपादित करेगा और ये धारायें शक्ति के परे' घोषित कर दी जायंगी। परन्तु आपने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अतः मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये कि सभी प्रकार के मामलों में चाहे वे निजी अभियोग हों या पुलिस के अभियोग हों—एक ही प्रकार की प्रक्रिया चलनी चाहिये। मैं ने धारा २०४ के लिये भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार अभियोक्ता को परीक्षण की प्रत्येक तिथि पर आने के लिये बाध्य न किया जाये—उसके स्थान पर उसका अधिवक्ता उपस्थित हो सकता है।

२ म० प०

फिर एक आनुषंगिक संशोधन है जिसे मान लेने से प्रक्रिया बिल्कुल सरल हो जायगी। मेरी यह प्रक्रिया बिल्कुल उसी सिद्धान्त पर आधारित है जो कि धारा २०७-क तथा धारा २५०-क में रखा गया है। हमें प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि मेरे इन सभी संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

पंडित के० सी० शर्मा : मैं इन अभागे व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं जिनको दुर्भाग्यवश अपराधियों के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। मैं तो समर्पण प्रक्रिया और धारंट प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्तावित संशोधनों के विरुद्ध आवाज़ इस सिद्धान्त के आधार पर उठाता हूं कि वर्तमान न्याय शास्त्र में प्रवृति यह है कि अधिकतर अपराधों को दीवानी अपराधों के रूप में लिया जाये और केवल कुछेक भयंकर अपराधों को ही फौजदारी अपराध के रूप में लिया जाये। अतः लोगों को, उनकी सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण किये हुये छोटे छोटे अपराधों के कारण कारागार में नहीं डाल देना चाहिये। आज की विद्यमान विधि अभागे लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। यह उस अभियुक्त की अपराधी प्रवृति को जाग्रत नहीं करती। अतः छोटे छोटे मामलों पर किसी को कारागार में नहीं डाल देना चाहिये, उसे प्रति परीक्षण आदि के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहियें।

संविधान का अनुच्छेद १४ प्रत्येक नागरिक को अपने संरक्षण का पूरा पूरा और समान अधिकार प्रदान करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, परन्तु पुलिस इसका अभियोग नहीं चलाती क्योंकि वह साक्षियों में विश्वास नहीं रखती, अतः एक निजी अभियोग चलाया जाता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कर सकता है और यदि वह दण्डाधिकारी को सन्तुष्ट कर देता है कि उसके विरुद्ध प्रत्यक्षतः कोई मामला नहीं तो मुक्त हो सकता है। अब दूसरा मामला लीजिये। कोई अन्य व्यक्ति हत्या करता है। पुलिस उसके विरुद्ध अभियोग चलाती

है, उसे प्रति परीक्षण का कोई अधिकार नहीं, और सत्र न्यायालय में दो मास का समय लग जाता है। यदि उसे दण्डाधिकारी के पास भेजते तो दस दिन में निर्णय हो जाता। अतः यह तो व्यक्ति के साथ अन्याय करना है।

सत्र न्यायालय में तो सभी साक्षियों का परीक्षण होता है जब कि समर्पण करने वाले दण्डाधिकारी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अवश्य ही ३०० साक्षियों में से सभी का परीक्षण करे।

अतः पुलिस द्वारा चलाया गया अभियोग निजी अभियोग की अपेक्षा नागरिक अधिकारों के लिये अधिक हानिकारक है। यह तो अभियुक्त को अपने बचाव के अधिकारों से वंचित करता है। इस प्रकार के नियमों और विधियों के प्रतिक्रियास्वरूप एक रक्तपूर्ण क्रांति का जन्म होगा। विधि का अर्थ है एक निश्चित और व्यवस्थित सिद्धान्त। अतः यहां विधि ऐसी ही हो जो सभी अभियुक्तों को अपने बचाव के लिये समान अधिकार प्रदान कर सके।

वह अपना बचाव करने के लिये दो कार्य कर सकता है। एक तो यह कि अपने बचाव के लिये साक्षी प्रस्तुत करे और दूसरा यह कि विरोधी पक्ष के साक्षियों का प्रति परीक्षण कर सके। वह धारा २५२ तथा धारा २५६ के अधीन प्रतिपरीक्षण कर के अपने आप को निर्दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा।

अभियुक्त को इस प्रकार से दोनों अवसर देने अत्यावश्यक हैं और आज की विधि भी उसे इस प्रकार की पर्याप्त सुविधा प्रदान करती है। अतः यह अधिकार छीनना नहीं चाहिये। यह अधिकार छीनना तो संविधान का विरोध करना है—न्याय का विरोध करना है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इन दो विभिन्न उपबन्धों के निर्माण के स्थान पर हम सीधे ढंग से यह क्यों न कह दें कि हम समर्पण की प्रक्रिया ही समाप्त कर देना चाहते हैं और चालान या पुलिस का प्रतिवेदन सीधा ही सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया जाये। पुलिस के अभियोग और निजी अभियोग की प्रक्रियाओं में इतना अन्तर क्यों रखा जाये। एक तो धारा २०७ तथा धारा २०७-क के अनुसार चलेगा और दूसरा धारा २५१ के अधीन। और फिर इसमें अभियुक्त को प्रति परीक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री दातार के नये संशोधन के अनुसार समर्पण के मामलों में प्रति परीक्षण का अधिकार दिया गया है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : परन्तु उपधारा (४) का परन्तुक अभी भी बाक़ी है जिसके अनुसार यह सुविधा नहीं दी गई है। अतः वह बुराई अभी भी दूर नहीं हुई। मुझे आशा है कि डा० काटजू यह अवश्य अनुभव करेंगे कि धारा १६४ के अधीन आने वाले ये बयान बिल्कुल निकम्मे हैं। पुलिस के व्यक्ति कुछ वचन दे कर धारा १६४ के अन्तर्गत बयान लिखा लेते हैं।

डा० काटजू : उस बयान से अभियुक्त को क्या हानि होती है। धारा १६४ के अन्तर्गत बयान अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य नहीं है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : धारा २०७ में इसी धारा के अन्तर्गत कहा गया है कि यह अभियुक्त के विरुद्ध बयान होगा।

डा० काटजू : नहीं, आप ग़लती पर हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : धारा १६४ के अन्तर्गत दण्डाधिकारी के सामने रखा गया प्रत्यक्ष साक्ष्य अभियुक्त द्वारा थोड़ी

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

सी व्याख्या किये जाने पर नष्ट हो सकता है और अभियुक्त बच सकता है परन्तु उसे इस से वंचित किया जा रहा है। कई केसों में देखा गया है कि एक प्रश्न करने पर ही सब मामला स्पष्ट हो जाता है और सिखाये पढ़ाये साक्षियों की कलई खुल जाती है। और फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभियुक्त के पास प्रतिवाद के लिये धन कहां से आयेगा। सत्र न्यायालय के केसों में उच्च वकीलों को नियुक्त करना पड़ता है। यदि यह कहा जाये कि इस से शीघ्र न्याय किया जा सकेगा तो यह ग़लत बात है। खंड २०७(क) और (ख) के उपबन्धों को निकाल देना चाहिये।

खंड २०७-क, उपखंड (६) और (७) की भाषा से प्रतीत होता है कि इसका अभिप्राय अभियुक्त और अभियोक्ता को सुनवाई का अवसर देना है, परन्तु व्यवहार प्रक्रिया संहिता की तरह प्रत्यक्ष रूप यह शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता कि वे न्यायालय को सम्बोधित करेंगे। सुनवाई में साक्ष्य देना और साक्षियों का प्रतिपरीक्षण भी सम्मिलित हो सकता है, इसे आप अस्पष्ट क्यों रखते हैं ?

सभापति महोदय : यह स्पष्ट ही है क्योंकि प्रतिपरीक्षण का अधिकार अलग दिया गया है।

श्री यू० एस० त्रिवेदी : 'मुक़दमें की सुनवाई का अर्थ सदा ही साक्षियों का परीक्षण व प्रतिपरीक्षण होता है।

[सरदार हुक्म सिंह पी सीन हुये]

यदि हम केवल न्यायालय को सम्बोधन करने का ही अधिकार देना चाहते हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में इसकी व्यवस्था करनी चाहिये और शब्द सुनवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिये जिस में साक्ष्य देना, परीक्षण व प्रति परीक्षण सभी सम्मिलित हैं।

खंड २०७-क के उपखंड (११) के उपबन्धों के अनुसार उच्च-न्यायालय में सभर्पण करने के समय अभियुक्त को साक्षियों की सूची देने की स्वाधीनता होती है परन्तु सत्र-न्यायालय में कार्यवाही के लिये इसमें परिवर्तन किया जा रहा है और साथ ही साक्षियों की सूची का निर्णय करने का काम दण्डाधिकारी पर छोड़ा गया, है। किसी साक्षी को बुलाने से पूर्व दण्डाधिकारी यह जानना चाहेगा कि वह किस प्रकार का साक्ष्य देगा और कहीं वह कार्यवाही में विलम्ब करने के लिये ही तो नहीं बुलाया जा रहा यह बताने पर कि वह किस प्रकार का साक्ष्य देगा, कई बातों का पता अभियोक्ता पक्ष को लग जायेगा। यदि समर्पण कार्यवाही उच्च न्यायालय में होनी हो तो दण्डाधिकारी को इस प्रकार का कोई अधिकार न होगा। यह अन्तर क्यों रखा गया है ? यह बात सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय पर छोड़ देनी चाहिये। वह भली प्रकार जान सकते हैं कि किस साक्षी से न्याय करने में बाधा होगी। और फिर यह भी व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे साक्षी को बुलाने पर जो व्यय होगा वह अभियुक्त को पता कराना पड़ेगा। इससे अभियुक्त को बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि अधिकतर अपराधी दरिद्र होते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री टेकचन्द (अम्बाला–शिमला) : सभापति महोदय, मैं श्री फ्रैंक ऐंथनी की आलोचना से सहमत हूं कि उन्होंने दल के बारे में जो कुछ कहा उस से नहीं।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान खंड २९ के उपखंड (६) की ओर दिलाता हूं जिस में कहा गया है कि दण्डाधिकारी को उन दस्तावेज़ों पर विचार करने के पश्चात,

जो उसे भेजे गये हों, और साक्षियों के बयान लेने के पश्चात, अभियुक्त का परीक्षण करने की शक्ति दी गई है। इस पर पुनः विचार किया जाये। अभियोक्ता पक्ष का साक्ष्य पूरा होने से पूर्व ही अभियुक्त को प्रतिवाद करने के लिये कहा जायगा। और इस से कार्य शीघ्र नहीं होगा। साक्ष्य लेने के पश्चात अभियुक्त के परीक्षण का अभिप्राय यह था कि यदि अभियुक्त अभियोजन के बारे में किसी बात की व्याख्या करना चाहे तो उसे एक अवसर मिले। परन्तु इस से अभियुक्त को वंचित किया जा रहा है। और दण्डाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वह जो प्रश्न चाहे पूछे। इन प्रश्नों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं अथवा उनकी कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। इस स्वाधीनता को सीमित करना चाहिये और धारा २०९ की उप-धारा (१) के शब्दों को नहीं निकालना चाहिये।

खंड ३४ में धारा २५० की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दण्डाधिकारी उस अधिकतम जुर्माने के आधे तक क्षतिपूर्ति के रूप में दे सकता है, जो वह कर सकता है। परन्तु कई ऐसे अपराध हैं जिन के लिये जुर्माने की अधिकतम राशि निश्चित नहीं है। उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है।

धारा २५० के अन्तर्गत निर्दोष व्यक्ति पर अभियोग चलाने के लिये अभियोक्ता अभियुक्त से क्षमायाचना करता है परन्तु अभियुक्त को न्याय प्रदान करने के लिये दण्डाधिकारी के लिये बड़ी अड़चनें पैदा की गई हैं।

राज्य के विरुद्ध क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। झूटे अभियोग में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। जब तक यह प्रमाणित न किया जाये कि केवल उसे तंग करने के लिये फ़िज़ूल अभियोग चलाया गया तब तक उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी जायगी। परन्तु यह प्रमाणित करना असम्भव सा है। यदि माननीय मंत्री इंगलैंड के आपराधिक मामले अधिनियम को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि वहां की विधि में कितनी उदारता है। उसमें व्यवस्था की गई है कि यदि अभियुक्त निर्दोष पाया जाता है तो अभियोक्ता चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो चाहे स्वयं सरकार हो, उसे क्षतिपूर्ति अवश्य मिलेगी। उस निर्दोष व्यक्ति को अवश्य ही क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये जिसे व्यर्थ ही कष्ट हुआ है।

खंड ३५ के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभियुक्त को केवल एक ही बार प्रति परीक्षण का अधिकार दिया जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है। किन्तु यदि यही व्यवस्था रखने का विचार है तो कम से कम इतनी सुभीता तो अभियुक्त को होनी ही चाहिये कि यदि वह साक्षियों का प्रतिपरीक्षण तत्काल करना उचित न समझे तो अपने इस अधिकार को उस समय तक के लिये रक्षित रख सके जब तक कि सभी साक्षियों का परीक्षण समाप्त न हो जाये। इस प्रकार यदि उस का तीन बार प्रति परीक्षण का अधिकार घट कर एक बार का ही रह जाये तो इतना बुरा न होगा। अन्यथा उसे दो बार प्रति परीक्षण करने की सुविधा मिलनी चाहिये।

खंड ३५ उपखंड (१०) के बारे में मेरा विचार यह है कि साक्षियों का व्यय अभियुक्त पर नहीं पड़ना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे इस विधेयक की गति के बारे में बहुत दुःख हो रहा है। जब समाचार पत्रों में यह बात आई थी कि गृह-कार्य मंत्री इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं तो देश भर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को प्रसन्नता हुई थी क्योंकि सभी ऐसा समझते थे कि सरकार बहुत कुछ न्यायिक सुधार करने जा रही है। मैं स्वयं यह समझता था कि समर्पण कार्यवाही की समाप्ति से न केवल अनुचित विलम्ब समाप्त हो जायगा, अपितु न्याय की सम्भावना बढ़ जायेगी और करोड़ों रुपये का व्यय भी बच जायेगा जो इस समय इस कार्यवाही के कारण हो रहा है। उनकी यह शिकायत तो न्यायसंगत थी कि सत्र न्यायालयों में चलने वाले अभियोगों तथा अन्य अभियोगों में दोष सिद्धियों की संख्या सन्तोषजनक नहीं है, और अनुचित विलम्ब न्याय के रास्ते में एक बड़ी बाधा है।

यदि मेशन्स के मुक़दमे में अभियुक्त एक साल या और अधिक बाद सत्र न्यायालय के सामने पेश हो और अभियुक्त को दण्ड दिया जाये तो लोग साधारणतया किये गये अपराध और दिये गये दण्ड के बीच सम्बन्ध नहीं समझ पाते हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि अपराध किया गया था और मुक़दमे में ढिलाई और काफ़ी देर होने के कारण लोग साधारणतया अभियुक्त के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने लगते हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण देश में इस विधेयक को इतना समर्थन प्राप्त हुआ था। इस आशातीत समर्थन के प्रति माननीय मंत्री की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह प्रेषण प्रक्रिया नहीं चाहते थे। तब उन्होंने अपना विधेयक देश में भेजा। बम्बई, मध्य भारत, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और सौराष्ट्र सरकारों ने इसका समर्थन किया। बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा की सरकारों ने भी समर्थन किया। केवल एक मद्रास राज्य ने इस का समर्थन नहीं किया। उच्चतम न्यायालय के अनेक न्यायाधीशों तथा सत्र न्यायाधीशों ने इस दृष्टिकोण का इतना समर्थन किया कि मेरे विचार से इसे स्वीकार न करना एक बहुत बड़ी ग़लती होगी। भारत के महान्यायवादी श्री सीतलवाड, बम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर उच्च न्यायालय के जस्टिस मुधोलकर, पंचाब उच्च न्यायालय के जस्टिस फालशा और अन्य न्यायाधीश, उड़ीसा के जस्टिस महापात्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एम० सी० देसाई, न्यायिक आयुक्त, अजमेर, भोपाल, कच्छ तथा अनेक सत्र न्यायाधीशों ने इसका समर्थन किया। केवल कुछ वकील संघों ने इसका समर्थन नहीं किया। खेद का विषय है कि संयुक्त प्रवर समिति के कुछ माननीय सदस्यों ने इसे पसन्द नहीं किया। मैं उन्हें दोष नहीं देता हूं, वह तो केवल अपनी अपनी भावना का प्रश्न है। मैं ने इस विषय पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। मेरे माननीय मित्र पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा मुझ से सहमत नहीं होते हैं। मेरा यह कथन है कि इतनी अधिक राय इसके पक्ष में हैं कि माननीय मंत्री का यह निर्णय कि प्रेषण अवस्था बिलकुल नहीं होनी चाहिये, पूर्णतः उचित है। यदि अब भी इस अवस्था को जारी रखा गया तो मेरे विचार से इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। इसी लिये मैं ने दो संशोधनों (संख्या ३९० और ३९५) की सूचना दी है। सभा उन पर गम्भीरता से विचार करे।

जैसा कि मैं ने पहले कहा था और सभा को अवगत है, पंजाब जन सुरक्षा अधिनियम में इस प्रकार के उपबन्ध थे। उसमें पुलिस अथवा सरकारी अभियोक्ता से सत्र न्यायालय में सीधा प्रेषण होता था, वहां प्रेषण अवस्था बिल्कुल नहीं थी। यह विधि बहुत अच्छी प्रकार से कार्य कर रही थी। संशोधन संख्या ३९५ में मैंने पंजाब सुरक्षा

अधिनियम के उपबन्धों के शब्द रखने का प्रयत्न किय है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार के आग्रह पर ही यह उपबन्ध कि प्रेषण कार्यवाहियां नहीं होनी चाहिये, विधेयक में पहले रखा गया था। पंजाब सरकार ने ही सुझाव दिया था कि पंजाब सुरक्षा अधिनियम में यह उपबन्ध था और विधि बदली जानी चाहिये।

अतः मेरा यह सुझाव है कि सभा इन दो संशोधनों पर गम्भीरता से विचार करे। मैं जानता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा विधि में परिवर्तन किया गया है। मुझे समिति के प्रति कुछ कठोर शब्द कहने पड़ते हैं किन्तु मैं किसी की भावनाओं को दुखाना नहीं चाहता हूं; वह मेरी अपनी राय है। मैं माननीय गृह मन्त्री से सहमत हूं कि शीघ्र न्याय प्राप्त किया जाना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

आजकल गवाहों को बहकाया जाता है। प्रवर समिति ने इन उपबन्धों को बदल दिया है। श्री दातार ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में प्रवर समिति की सिफारिशों को बहुत ठीक बदल दिया है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि अभियुक्त न्यायालय में एक शब्द भी न कहते हुए मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहे जब कि उसके एक प्रश्न से सारा मुक़दमा रद्द हो सकता है। मुझे अधिक खेद इसलिये है कि इस प्रकार की प्रेषण कार्यवाही से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मेरे विचार से प्रशण प्रक्रिया के दो उद्देश्य होते हैं।

वह किसी मुक़दमे के सम्बन्ध में अभियुक्त को सूचना देता है। उच्चतम न्यायालयों के अनेक निर्णयों के अनुसार, प्रेषण कार्यवाहियों का सच्चा उद्देश्य यह है कि ऐसे मामलों में जहां सत्र न्यायालय में दण्डित किये जाने की कोई सम्भावना न हो, अभियुक्त को रिहा किया जाय और प्रेषित न किया जाय।

डा० काटजू : क्या वे रिहा किये जाते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उन्हें रिहा किया जाता है। माननीय गृह मंत्री के अनुसार केवल एक प्रतिशत मामलों में रिहा किये जाते हैं। मुझे पता नहीं उन्हें यह आंकड़ा कहां से मिला। ऐसे कई मामले मैं जानता हूं कि रिहाई का आदेश दिया गया है। यदि सिद्धान्त यह हो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रेषण इस उद्देश्य के लिये हो कि दण्डित किये जाने की उचित संभावना वाले मुक़दमे ही भेजे जायें, तो अन्य सभी मामलों में रिहाई कर दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या रिहाई बहुधा की जाती है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : की जाती है और यदि नहीं की जाती है तो क्यों नहीं की जाती है ? निर्णय यह है कि संदेह का लाभ अभियोक्ता को दिया जाय और प्रत्येक मामले में जहां दण्ड सम्भव हो, प्रेषण किया जाना चाहिये। उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार केवल ऐसे ही मामले जिन में दण्डित किये जाने की सम्भावना हो, प्रेषित किये जाने चाहियें।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र का तर्क यह है कि सत्र न्यायालय को प्रेषण से पूर्व दण्डाधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक मुक़दमा होना चाहिये जिससे कि बहुत गम्भीर मामले भी उनके द्वारा निर्दोष छोड़ा जा सके, क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि अभियोक्ता पक्ष का साक्ष्य अविश्वसनीय होता है। वह चाहते हैं कि निर्णय बदल दिये जायें। निर्णय यह कहते हैं कि दण्डाधिकारी केवल

[डा० काटजू]

प्रत्यक्ष साक्ष्य को देखें और साक्ष्य के गुण दोषों पर विचार न करें। वह कहते हैं कि यह निर्णय बदल दिये जाने चाहियें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बिलकुल ग़लत है। हम जानते हैं कि माननीय गृह-मंत्री के अनुसार, सत्र न्यायालय में ८३ प्रतिशत मुक़दमे छोड़ दिये जाते हैं। अनेक ऐसे मामले जिनमें दण्डित नहीं किया जा सकता है, सत्र न्यायाधीशों के समक्ष जाते हैं क्योंकि आपने यह निर्णय सम्भव कर दिये हैं। मैं चाहता हूं कि ये निर्णय बदल दिये जायें और केवल उन्हीं मामलों में जहां दण्डित किये जाने की उचित सम्भावना हो, प्रेषण किया जाना चाहिये।

डा० काटजू : वह चाहते हैं कि खून के प्रत्येक मामले में पहले प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी द्वारा सुनवाई की जाय और दूसरी सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाय। (अन्तर्बाधा)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं कोई प्रेषण कार्यवाहियां नहीं चाहता हूं, जैसा कि स्वयं माननीय गृह मंत्री का दृष्टिकोण था। उन्होंने ही मूल विधेयक को यह कह कर प्रस्तुत किया था कि प्रेषण नहीं होना चाहिये और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। अब आप स्वयं मेरा समर्थन नहीं करते हैं। प्रवर समिति के सदस्यों ने उन्हें बाध्य कर दिया है। यदि उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय, तो वह सहमत होंगे।

मुझे बहुत खेद है कि प्रेषण प्रक्रिया अब भी मौजूद है क्योंकि मेरे विचार से सत्र न्यायालयों में यही प्रेषण प्रक्रिया ही अनेक मुकदमों के छूट जाने के लिये उत्तर-दायी है। अब प्रश्न यह है कि यदि प्रेषण प्रक्रिया रहे तो हम उसे किस प्रकार सुधार सकते हैं। प्रवर समिति ने इस देश के अभियुक्तों के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। सर्व प्रथम, जब श्री त्रिवेदी यह बता रहे थे कि धारा १६४ के अधीन यह साक्ष्य नहीं है, तो मैं ने उन्हें समझाया था कि किसी दृष्टिकोण से यह किसी दशा तक लाभदायक है। किन्तु धारा १६४ के अधीन उपबन्ध यह है कि एक बार साक्षी की गवाही होने के बाद, प्रेषण न्यायालय में उसका पुनः परीक्षण नहीं होगा। यह ग़लत प्रक्रिया है जहां तक वह अभियुक्त को रिहाई प्राप्त करने के लिये अनधिकारी बना देती है। मैं नहीं जानता कि किस दृष्टिकोण से प्रवर समिति ने अन्य परिवर्तन किये हैं। अब शब्द यह हैं "यदि अभियोग निराधार हो" केवल तभी उसे रिहा किया जा सकता है। यह बिलकुल ग़लत है। फिर धारा ५४० किसी हद तक निकाल ली गयी है क्योंकि शब्द यह हैं कि कुछ चीज़ें की जाने के बाद अभियुक्त की अवश्य गवाही ली जानी चाहिये। उसकी गवाही का मुख्य तत्व यह होना चाहिये कि अपराध सम्बन्धी विषयों को स्पष्ट करने के लिये उस से प्रश्न पूछे जाने चाहिये जिससे वह रिहाई पा सके। यहां मैं श्री एन्थोनी से इस बात में सहमत नहीं हूं कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध सभी बातों के स्पष्टीकरण के लिये सदा अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति बयान देकर रिहाई पा सकता है। वही मूल धारा २०९ थी। शब्द यह हैं कि उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपस्थित की गई घटनाओं को स्पष्ट करने के लिये अभियुक्त की गवाही ली जा सकती है। खंड ३१ के अधीन ये शब्द निकाल लिये गये हैं। इसका अर्थ यह है कि अब अभियुक्त दण्डाधिकारी की दया पर आश्रित होगा और उसका पुनः परीक्षण हो सकेगा। यह बिल्कुल ग़लत है।

अतः मेरा निवेदन यह है कि अभियुक्त का जीवन प्रोब-इन्स्पैक्टर के हाथ में होगा। यह उसके हाथ में होगा कि एक साक्षी की गवाही, जो अपराध किये जाते समय उपस्थित था, प्रेषण न्यायालय में हो और धारा १६४ के अधीन दूसरे साक्षी की गवाही किसी दूसरे न्यायालय में हो। इस प्रकार इस अधिनियम की सारी योजना इस प्रकार है कि अभियुक्त कभी रिहा नहीं किया जायगा। इस धारा २०७ क में ये शब्द "अवश्य निराधार हों" रखे गये हैं और धारा २५३ रद्द कर दी गयी है जिससे पुलिस सूचना के आधार पर चलाये गये किसी वारन्ट मामले में भी रिहाई न हो सके। अतः मेरा निवेदन है कि सभा मेरे संशोधनों पर विचार करे और इस खंड २०७ क को ऐसा बनाये जिस से कि वह स्वीकार किया जा सके।

मैं ने पिछली बार एक दूसरा विषय भी रखा था। माननीय गृह मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा था कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि इन व्यक्तियों को कई दिन पहले प्रतियां मिल जायें। अन्त में वह संशोधन नहीं स्वीकार किया गया जो मैंने १७३ के सम्बन्ध में रखा था। अब भी २०७ में मैं ने संशोधन रखा है कि कम से कम दस दिन पहले प्रतियां अवश्य दी जानी चाहिये। माननीय गृहमंत्री ने अभियुक्त को मुफ्त प्रतियां देना स्वीकार किया है और इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु प्रतियां देने से क्या लाभ यदि वे कुछ पहले न दी जायें? यदि आप दस दिन पहले प्रतियां दें, तो सफाई पक्ष के वकील उसका अध्ययन कर के पुनः परीक्षण के लिये कुछ बातें ढूंढ कर निकाल सकते हैं। आप उसे उसी समय देते हैं। मैं नहीं जानता कि इससे शीघ्रता होती है या विलम्ब होगा। मैं ने यह निवेदन किया था और माननीय मंत्री से इसे स्वीकार करने के लिये भी कहा था। किन्तु अब वह भूल गये हैं और कहते हैं कि मैं कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : उसे सात दिन तक सीमित कर दिया जाये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद २२ के अनुसार अभियुक्त को अपनी गिरफ्तारी अथवा निरोध के आधार यथासम्भव शीघ्र जानने का अधिकार है और अभियुक्त का यह मूल अधिकार है कि वकील द्वारा अपनी सफाई पेश करे। मैं ने कहा था कि पुनः परीक्षण का उसे पूरा अधिकार दिया जाय। मेरा निवेदन है कि कांट छांट किया हुआ यह अधिकार पुनः परीक्षण का पूर्ण अधिकार नहीं है। इस प्रकार पुनः परीक्षण के विषय में कांट छांट किया हुआ अधिकार देकर हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री गाडगील : उसे कितने बार पुनः परीक्षण का अधिकार होगा?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कम से कम उचित अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये। क्या अब तक किसी ने धारा २५६ पर आपत्ति की है? आप धारा २५३ को निकाल देना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति रिहा न किया जाय। या तो उसे जेल भेजिये या छोड़ दीजिये, कोई तीसरा रास्ता नहीं है।

मेरा यह निवेदन था कि साक्षियों के पुनः परीक्षण का यह उपबन्ध अब भी बहुत असन्तोषजनक है। मैं यह चाहता हूं कि अपराध किये जाने के समय उपस्थित सभी साक्षी, जिन्हें अभियोक्ता पक्ष गवाही के लिये प्रस्तुत करना चाहता हो, यहीं प्रस्तुत किये जाने चाहिये। यह धारा १६४ और अन्य बन्दें रद्द कर दी जानी चाहिय। समय के अभाव

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के कारण मैं असमर्थ हूं अन्यथा मैं उदाहरण दे कर बताता कि किस प्रकार इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया जा सकता है। कुछ समय पूर्व श्री दातार ने कहा था कि हमने न्यायालय को अधिकार दिया है कि वह प्रश्न करें और पुनः परीक्षण उस अधिकार में सम्मिलित है। किन्तु वह यह भूल गये हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा १६५ के अधीन न्यायालय को कोई प्रश्न, संगत अथवा असंगत करने का पूर्ण अधिकार है। आप इस विषय पर विचार करें और ऐसा उपबन्ध बनायें जिससे प्रेरण न्यायालय में भी कोई व्यक्ति रिहाई प्राप्त कर सके।

मेरे अन्य कई संशोधन भी हैं किन्तु समय के अभाव से मैं उन्हें सभा के स्वविवेक पर छोड़े देता हूं। किन्तु वारन्ट वाले मामलों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अंग्रेज़ों के राज्य काल में, सारा देश और सभी वकील यह समझते थे कि न्यायालय के समक्ष अभियोक्ता पक्ष के साक्ष्य के आधार पर अभियोग निर्धारित किया जाता था। धारा २५४ के अधीन, अभियोग लगाया जाता था। यदि अभियोक्ता पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं होता था या न्यायालय उस पर अविश्वास प्रकट करता था तो धारा २५३ के अधीन रिहाई प्राप्त की जा सकती थी। अब वर्तमान उपबन्ध के अनुसार, अभियोक्ता पक्ष का साक्ष्य अभियोग का आधार नहीं है वरन् चालान में पुलिस द्वारा लगाये गये आरोप अभियोग का आधार होंगे। यह सिद्धान्ततः बिलकुल ग़लत है। सभी विवाद इसी से उत्पन्न हुये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं वह समन्स वाले मामलों की प्रक्रिया का रूप धारण कर लेता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आप से सहमत हूं। मैं जानता हूं कि इस उपबन्ध का दुरुपयोग नहीं किया जायगा किन्तु यदि न्यायालय चाहे, तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। वारण्ट वाले मामलों में, ज्यों ही अभियुक्त न्यायालय में जाता है, न्यायालय यह देखेगा कि पुलिस के कागज़ों में क्या है और वह आरोप उस पर अभियोग चलाये जाने के लिये कहां तक पर्याप्त है और तब न्यायालय बिना किसी साक्ष्य की सुनवाई के तुरन्त उस पर अभियोग लगायेगा। इतना करने के बाद, अभियोक्ता पक्ष का साक्ष्य लिया जायगा और तब सफाई पक्ष का साक्ष्य लिया जायगा। यहीं सारा विषय समाप्त होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का यह अर्थ है कि अभियुक्त से कहा जाये कि वह बतावे कि सारी घटना किस प्रकार घटित हुई थी और यदि वह न बतावे तो उस से प्रश्न किये जायें और तब उसी के कथन के आधार पर उस का दोष सिद्ध किया जाये।

श्री एन० सी० चटर्जी : जो बातें अभियोक्ता पक्ष प्रमाणित नहीं कर सकता है वह भी अभियुक्त के मुंह से कहलाई जा सकती हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभियुक्त का बयान हो लेने के बाद, अभियोक्ता पक्ष अपने साक्षी प्रस्तुत करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि अभियुक्त का कथन निराधार है। माननीय गृह-कार्य मंत्री को छोड़ कर सभी का विचार है कि यह प्रक्रिया बहुत ही अनुचित है।

व्यक्तिगत रूप से चलाये जाने वाले अभियोगों में प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है। उस में दो बार जिरह करने का अधिकार

दिया गया है और अभियुक्त दोषारोपण से पहले ही मुक्त हो सकता है । अभियोक्ता पक्ष के प्रमाणों के आधार पर ही दोषारोपण किया जाता है । इसी प्रकार यदि व्यक्तिगत रूप से चलाया जाने वाला अभियोग सेशन में भेजा जाये तो भी यही सब उपबन्ध प्रयोग में लाये जायेंगे । साधारणतः होता यह है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस को अपने मामले की सच्चाई का विश्वास दिलाने में असमर्थ रहता है तभी व्यक्तिगत रूप से चलाये जाने वाले अभियोग सेशन में आते हैं । उस समय तो अभियुक्त को इतने अधिकार दिये जाते हैं । संविधान के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है । मेरी यह समझ में नहीं आया कि पुरानी प्रक्रिया में कठिनाई क्या थी । अब आप यदि उसे बदलना चाहते हैं तो किस को लाभ पहुंचाने के लिये ? अभी तक मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं और मुझे इस का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि पुरानी प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई नहीं थी, कठिनाई केवल यही थी कि आप चाहते थे कि पुलिस को हर मामले में सफलता मिले और उस में चूंकि कठिनाई अनुभव की गई इसलिये प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है । परन्तु यह तो बहुत अनुचित है । अभी पुलिस द्वारा चलाये जाने वाले वारेन्ट केसों में ५० प्रतिशत सफलता मिलती है । संभवतः माननीय गृह-कार्य मंत्री चाहते हैं कि अब यह अंक ८० प्रतिशत तक पहुंचाया जाये । यदि दंड प्रक्रिया संहिता लागू हो जाये तो वारेंट केसों में कितने ही बेगुनाहों को जेल भेजा जायेगा क्योंकि इस में जिरह करने का अधिकार नहीं है । अभियुक्त को असीम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि मुख्य विचार यही है कि मुक़दमों में अधिक समय न लगे तो ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं बनाई जाती है जिस में कि अभियुक्त को दोषारोपण के पहले ही जिरह करने का अधिकार मिल जाये और दोषारोपण के पश्चात् केवल उस समय जबकि न्यायालय आज्ञा दे सिर्फ़ उन गवाहों को जिरह के लिये बुलाया जाये जिन का बुलाना आवश्यक समझा जाये । दोषारोपण के पहले ही जब अभियुक्त को जिरह करने का अधिकार होगा तो यह भी हो सकता है कि न्यायालय को विश्वास हो जाये कि अभियुक्त निर्दोष है और उस को जिरह के पहले ही मुक्त कर दिया जाये । अब जो प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है उस में बहुत सी आपत्तियां उठाई जा रही हैं । क्या ऐसी प्रक्रिया बनाना उचित न होगा जो इस के विपरीत हो ? दोषारोपण के बाद जिरह का अधिकार देने के बजाय ऐसा क्यों न किया जाये कि जिरह का अधिकार दोषारोपण के पहले दिया जाये और दोषारोपण के पश्चात् केवल उन्हीं गवाहों से जिरह करने का अधिकार दिया जाये जिन के साथ दुबारा जिरह करना न्यायालय आवश्यक विचार करे ?

डा० काटजू : क्या इसे स्वीकार कर लिया जायेगा ? मूल विधेयक में जो उपबन्ध था वह तो इसी प्रकार का था । परन्तु प्रवर समिति ने जब इस पर विचार किया तो उस ने कहा कि दोषारोपण के पश्चात् जिरह का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिये । दूसरी बात उस ने यह कही कि पुलिस की जांच पर ही अभियोक्ता पक्ष का सारा कथन निर्भर करता है । अभियुक्त को पुलिस की डायरी के बयान दे दिये जायें, उन में वे सब बातें मौजूद होती हैं जो उस के सम्बन्ध में कही जाती हैं । मैजिस्ट्रेट भी पुलिस की डायरी के बयानों को देख कर कह सकता है कि प्रकट रूप से अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला बनता है या नहीं । जहां तक

[डा० काटजू]

अभियुक्त से प्रश्न करने का सम्बन्ध है प्रवर समिति का मत था कि कोई लम्बे चौड़े प्रश्न किये नहीं जायेंगे, वही औपचारिक प्रश्न पूछे जायेंगे : तुम दोषी हो या नहीं ? तुम ने यह अपराध किया या नहीं ? यह ठीक है कि वाद-विवाद की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । प्रवर समिति का उद्देश्य यह था कि डायरी के बयानों तथा और बयानों को देख कर मैजिस्ट्रेट को यह जानने का अवसर दिया जाये कि क्या अभियुक्त निर्दोष है और अभियुक्त उस के बाद मुकदमे की लम्बी चौड़ी कार्यवाही से छुट्टी पा जाये । यदि ऐसा न हो सकता हो केवल तभी अभियोग चलाया जाये । अभी तो यह प्रक्रिया है कि जब तक गवाह गवाहों के कठहरे में न आवे उस का पुलिस में दिया बयान अभियुक्त नहीं देख सकता है, इसलिये प्रवर समिति ने यही विचार किया था कि इस प्रकार अभियुक्त को बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है कि अभियोग चलने के सात आठ दिन पहले ही उसे सारे काग़ज़ात देखने को मिल जायें । इस के बाद उसे जिरह करने का अधिकार देना बेकार है । इस के अतिरिक्त गवाहों को भी दो-दो चार-चार बार न्यायालय में आने में बड़ी कठिनाई होती है और फिर उन्हों ने तो कोई अपराध किया नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री का विचार है कि पुलिस अपनी डायरी तथा काग़ज़ात इस प्रकार तय्यार करेगी कि उन को देखने से सारे तथ्य प्रकट हो जायेंगे ?

डा० काटजू : मेरा तो विचार यही है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पुलिस आरोप-पत्र (चार्ज शीट) तय्यार करती है और उस चार्ज शीट में पुलिस दर्ज करती है कि अभियुक्त के विरुद्ध वह कैसा मामला चलाना चाहती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में तो कोई सन्देह नहीं कि अभियुक्त को यदि डायरी के बयानों की तथा अन्य काग़ज़ात की नक़ल पहले से दे दी जायेगी तो उसे वास्तव में बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हो जायेगी जो आज उसे प्राप्त नहीं है ।

डा० काटजू : ऐसा हो ही कब सकता है कि अभियोक्ता पक्ष की ओर से न्यायालय के सामने जो बयान दिये जायें वे डायरी के बयानों से बहुत भिन्न हों ? ऐसा होने पर क्या कभी कोई मामला सफल हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सेशन भेजे जाने वाले मामलों का सम्बन्ध है, जिन में जिरह के द्वारा ही मामले को निराधार प्रमाणित करने का प्रयत्न किया जाता है और दोषारोपण करने का भी अवसर नहीं दिया जाता ऐसे मामलों में सन्देह का लाभ अभियोग पक्ष को दिया जाना चाहिये ।

डा० काटजू : मेरा तो विचार है कि बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जो चार्ज के प्रस्तुत किये जाने से पहले ही असफल हो जावें ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या वही बात अब भी है कि दोषारोपण के बाद जिरह का अधिकार देने के स्थान पर माननीय गृह-कार्य मंत्री दोषारोपण के पहले जिरह का अधिकार देने के लिये तय्यार हैं ? यदि सभा इस के लिये तय्यार हो तो क्या माननीय मंत्री भी इस के लिये तय्यार होंगे ?

डा० काटजू : मूल विधेयक में यही बात कही गई थी । यदि सभा का यह मत

है कि दोषारोपण के पहले जिरह का अधिकार होना आवश्यक है तो मैं इसे मानने को तय्यार हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कह चुके हैं कि धारा १६२ के बयान जिरह के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे । परन्तु इस प्रक्रिया के अनुसार क्या वह उन का प्रयोग दोषारोपण के लिये नहीं कर रहे हैं ? वास्तव में बात यह है कि पुलिस के बयानों का ऐसा प्रयोग करना उचित नहीं है जिस से कि उन के द्वारा न्यायालयों के मन में पहले ही से अभियुक्त के विरुद्ध बुरी धारणायें पैदा कर दी जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि संहिता के अनुसार यह आवश्यक है कि डायरी के बयानों की नक़लें मैजिस्ट्रेट के पास भेजी जायें । तब यह कैसे हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट को उन का ज्ञान न हो ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा १७२ के अनुसार न्यायालय पुलिस की डायरी के बयानों को केवल मंगा भी सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस के बयान भेजे ही जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में अन्तर क्या है मैजिस्ट्रेट उन को मंगा कर देख सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु न्यायालय उन को हर काम के लिये काम में नहीं ला सकता है । इस के अतिरिक्त पुलिस की डायरी के बयानों और धारा १६२ के अन्तर्गत दिये गये बयानों में बहुत अन्तरर है । उनका प्रयोग अभियोक्ता पक्ष के गवाहों का समर्थन करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये ।

अब माननीय गृह मंत्री ने यह विधि बनाई है और जब अदालत इस का पालन करेगी तब आरोप लगाये जाते समय इन बयानों के आधार पर उस का दृष्टिकोण प्रतिकूल हो जायेगा । मेरे मित्र श्री एन० एस० जैन की यह आपत्ति बिल्कुल ठीक ही है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद २० (३) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस के निजी बयान पर दंड नहीं दिया जा सकता है किन्तु इन धाराओं के अनुसार उस का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण (जिरह) हो सकता है । यह संविधान के अनुच्छेद २० (३) के विरुद्ध है ।

सम्मन के मामले में अभियुक्त के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने विषय में कुछ कहे किन्तु वारन्ट के मामलों में अब उस से सब बातें बताने को कहा जायेगा । यह कैसी उलटी बात है ।

ये सब कठिनाइयां जब तक दूर नहीं होतीं तब तक हम इस प्रकार का विधेयक देश पर लादने के लिये तैय्यार नहीं हैं । प्रवर समिति ने संतोषजनक परिवर्तन नहीं किये हैं । मूल विधेयक में अभियुक्त को दो बार जिरह (प्रतिपरीक्षण) करने का अधिकार प्राप्त था और अब उसे कम कर के केवल एक बार कर दिया गया है जो अनुचित है । दो बार जिरह करने का अधिकार उसे मिलना ही चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दूसरों को भी बोलने का अवसर देना है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बस मैं समाप्त कर रहा हूं । अन्त में मैं एक बार

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पुनः निवेदन करता हूं कि माननीय गृह-मंत्री सभा की इच्छा का आदर करते हुए, दो बार जिरह (प्रतिपरीक्षण) करने का उपबन्ध अवश्य रखने की कृपा करें । मैं उन से निवेदन करता हूं कि वह यह देखें कि वारन्ट वाले मामलों में न्याय किया जाता है क्योंकि जिरह का अधिकार न होने से यह न्याय केवल न्याय का उपहास ही है ।

श्री एन० एस० जैन : पंडित ठाकुर दास भार्गव के मत का समर्थन करता हुआ मैं भी यही निवेदन करता हूं कि जो बातें पहले ही धारा १६२ के अन्तर्गत आ गई हैं उन्हें धारा १६१ के अन्तर्गत लेने की आवश्यकता नहीं है, और इस से सम्बन्धित खण्ड पर विचार कल तक के लिये लम्बित कर दिया जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : सभा में प्रायः सभी सदस्यों ने यह अनुभव किया है कि फौजदारी मामलों के फ़ैसलों में बहुत समय लग जाता है जिस के लिये केवल दंड प्रक्रिया ही उत्तरदायी नहीं है । उस में दंडाधिकारी का अधिक व्यस्त रहना और पुलिस द्वारा किया गया विलम्ब भी सम्मिलित होता है । बिहार सरकार ने और यहां तक कि डाक्टर काटजू ने भी पुलिस की दुर्व्यवस्था के बारे में कहा है । संयुक्त समिति ने नवीन खंडों २९ और ३५ के विषय में जो सिफारिशें की हैं उन से मैं सहमत नहीं हूं । खंड २९ को ही लीजिये । इस में ग़ैर सरकारी शिकायतों और पुलिस प्रतिवेदन पर आधारित मामलों के लिये पृथक् पृथक् प्रक्रिया दी गई है । यह पक्षपात क्यों किया गया है ? मैं समझता हूं कि यह संविधान के विपरीत है । इस से तो डाक्टर काटजू का मूल प्रस्ताव ही अच्छा था । मैं इस नवीन प्रक्रिया का विरोध करता हूं । केवल पुलिस की डायरी या पुलिस के बयानों के आधार पर ही किसी पर दोषारोपण किये जाने के मैं विरुद्ध हूं । यहां जिस प्रक्रिया का सुझाव दिया गया है वह उचित नहीं है ।

इसी प्रकार खण्ड ३५ में भी दो प्रक्रियायें दे रखी हैं । मैं इस के विरोध में हूं । इस सम्बन्ध में मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या १२५ और १२६ से सहमत हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का तो यह अर्थ हुआ कि जिस के बयान लिख लिये गये हैं उस का परीक्षण नहीं होगा ।

श्री दातार : यदि धारा १६४ के अन्तर्गत उस के बयान लिखे गये हैं तो ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यही मैं भी कहना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु माननीय मंत्री ने तो कल ऐसा नहीं कहा था ।

डा० काटजू : कल मैं ने यह कहा था कि इस उपबन्ध के अनुसार जिन गवाहों के बयान धारा १६४ के अन्तर्गत लिखे गये हैं वह दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे और केवल वही गवाह दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे जिन के बयान नहीं लिखे गये हैं । संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में यह लिखा है कि ये सब मुख्य परीक्षण के समय दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे किन्तु उन का प्रतिपरीक्षण नहीं होगा यद्यपि दंडाधिकारी यदि चाहे तो प्रश्न कर सकता है । इस के संशोधन में यह दिया गया है कि इन गवाहों का प्रतिपरीक्षण होना चाहिये किन्तु संशोधन में उन लोगों के लिये कुछ नहीं कहा गया है जिन के बयान धारा १६४ के अन्तर्गत लिखे गये हैं और जो इस कारण से अदालत में प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सब स्पष्ट हो गया । माननीय मंत्री के कथनानुसार प्रतिपरीक्षण का अधिकार बिल्कुल बेकार सिद्ध हो जाता है ।

डा० काटजू : मैं ने तो प्रस्तुत उपबन्ध को केवल समझाने का प्रयत्न किया है । यदि सभा का यही मत है कि प्रत्येक गवाह को दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये चाहे उस का बयान धारा १६४ के अन्तर्गत लिखा गया हो या नहीं, तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं भी यह चाहता हूं कि प्रमुख गवाहों को दंडाधिकारी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाय और उपखंड (४) के परन्तुक को हटा दिया जाय ।

इस के बाद उपखंड (५) के विषय में मुझे यही कहना है कि यह सर्वथा अनुचित है । मुख्य गवाह पहले ही पेश कर दिये जायेंगे । इस में यह उपबन्ध है कि अभियुक्त को ऐसे गवाहों से प्रश्न करने का अधिकार नहीं होगा । इस उपबन्ध को हटा दिया जाय ।

अब मैं सभा का ध्यान उपखंड (७) की ओर आकर्षित करता हूं । इस के अनुसार भी गवाहों की सब गवाही अभियुक्त और उस के वकीलों के समक्ष ली जायगी अतः उपखंड (५) को न रखना ही उचित जान पड़ता है ।

अब सरकार उपखंड ५ को निकाल देना चाहती है । यदि अभियोक्ता पक्ष यह सुरक्षण अभियुक्त के बचाव के लिये चाहता है तो इस सुरक्षण को मुख्य गवाहों के बयान धारा १६४ के अन्तर्गत अभिलिखित कर के दिया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को आप काफी समझा चुके हैं अब कृपया दूसरी बात कहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : बस एक बात और । मैं ने इस सम्बन्ध में अपना संशोधन संख्या ३२७ रखा है जिस में यह सुझाव दिया गया है कि यदि दंडाधिकारी उचित समझे तो किसी गवाह के पुनः प्रतिपरीक्षण की आज्ञा दे सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, ऐसा तो दीवानी के मामलों में भी होता है ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : किन्तु खण्ड ३५ के अन्तर्गत अब ऐसा नहीं हो सकेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : दूसरी बात यह है कि प्रारम्भ में जब कोई गवाह पुलिस अफसर के साथ आता है तो उस का प्रतिपरीक्षण उस समय करना संभव नहीं होता है । वह सब बयान लिखे जाने के बाद में प्रारम्भ होता है अतः मेरे संशोधन पर अवश्य विचार किया जाय । मूल विधेयक में ऐसा उपबन्ध था जिसे पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय बहुत कम रह गया है और शीघ्र ही माननीय मंत्री अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे ।

श्री राघवाचारी : मुझे केवल एक ही बात कहनी है ।

अब स्थिति स्पष्ट हो गई है और माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि वारन्ट वाले मामले में वह गवाह के प्रतिपरीक्षण और पुनः प्रतिपरीक्षण किये जाने का अधिकार देने के प्रश्न पर विचार करेंगे । किन्तु मैं चाहता हूं कि धारा १६४ के अन्तर्गत जिन गवाहों के बयान लिये गये हैं उन्हें न बुलाया जाय और परन्तुक को न हटाया जाय ।

डा० काटजू : मैं प्रेषण कार्यवाही तथा वारण्ट वाले मामलों पर पृथक् रूप से अपने विचार प्रगट करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : धारा २५१ के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने संशोधन किया है । मूल विधेयक में धारा २५१ में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं था । केवल धारा २५२ के बारे में था ।

डा० काटजू : कृपया मुझे अपने ही ढंग से व्याख्या करने दीजिये क्योंकि ये दोनों बातें प्रायः मिला दी जाती हैं ।

मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया है कि मैं ने सदैव प्रेषण कार्यवाही के हटाने का प्रयत्न किया है । मेरा अभी तक यही मत है और प्रवर समिति का भी यही मत है । यदि प्रेषण कार्यवाही नहीं हटाई जाती है तो भारत में सभी की यही धारणा बनी रहेगी कि इस के कारण ही विलम्ब होता है । श्री चटर्जी ने भी कहा है कि उस का उपहास किया जाता है । मूल विधेयक में यह दिया गया था कि कोई प्रेषण कार्यवाही नहीं होनी चाहिये किन्तु उस में यह भी उपबन्ध था कि यदि मामला सत्र-न्यायालय में जाये तो अभियोक्ता पक्ष के साक्षियों का साक्ष्य शपथ दिला कर लिखा जाये ताकि प्रतिवाद के समय उसे प्रस्तुत किया जा सके । मेरा यह आशय नहीं है कि वह अभियुक्त के विरोध के लिये प्राप्य हो । मैं तो यह कहता हूं कि यदि कोई गवाह मुकर जाये तब वह साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि पेशी के कई महीनों बाद गवाह पर कई प्रकार के दबाव डाले जा सकते हैं और कुछ भी हो सकता है । प्रारम्भिक योजना यह थी कि या तो धारा १६४ के अन्तर्गत या नई कार्यवाही के अन्तर्गत प्रमुख गवाहों को शपथ दिला कर उन का परीक्षण किया जाय और जब मामला दंडाधिकारी के समक्ष जाय तब वह उसे केवल दो प्रयोजनों के लिये रखेगा, प्रथम तो यह देखने के लिये कि अभियुक्त को आवश्यक पत्रादि दे दिये गये हैं या नहीं और द्वितीय, यह कि उस मामले को पेशी के लिये सत्र न्यायालय में भेजा जाय या वह अपने पास रखे या उसे किसी दूसरे दंडाधिकारी के पास भेजे । वह स्वयं आरोप न लगा कर केवल प्रारूप आरोप लगायेगा और तब मामले को सत्र न्यायाधीश के पास भेज देगा ताकि सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप लगाने से पहले सभी तथ्य हों ।

प्रवर समिति को भेजे जाने से पूर्व जब विधेयक सभा के समक्ष था, उस समय धारा १६४ की बड़ी कड़ी आलोचना की गई थी । इस कारण प्रवर समिति ने भी कहा था कि धारा १६४ के अधीन बयानों का लेना वांछनीय नहीं था । साक्षियों के बयान अभियुक्त की उपस्थिति में लिखे जायें और बयान विभिन्न दंडाधिकारियों द्वारा न लिखे जा कर वह धारा १६४ के अधीन अभियुक्त के समक्ष, अभियुक्त के वकील के समक्ष, अभियोक्ता पक्ष के वकील के समक्ष लिखे जाने चाहियें जिस से यह सन्देह कि यह साक्षी पुलिस द्वारा पढ़ाये हुए होते हैं तथा उन से अमुक बयान देने को कहा जाता है समाप्त हो जाये । तत्पश्चात् दंडाधिकारी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगों की सूची बनाये मेरे विचार से यही विधेयक था भी । परन्तु प्रवर समिति ने जिस पर अधिक ध्यान दिया वह धारा १६४ के अधीन, डायरी के बयानों का प्रश्न था कि किसी अभियुक्त विशेष को उस के विरुद्ध दिये गये बयान का कोई भी भाग दिया जाना ठीक था या नहीं । अतः दंडाधिकारी को यह अवसर दिया जाना चाहिये कि वह देखे कि क्या इन बयानों के द्वारा तथा डायरी बयानों के आधार पर कोई स्पष्ट मामला बनता है अथवा नहीं । यदि मामला बनता है तो उस व्यक्ति को सत्र न्यायालय को

भेज दिया जायेगा । उस के विरुद्ध प्रारूप अभियोगों की सूची तैयार की जायेगी । परन्तु यदि बयानों के द्वारा कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता है तो वह सत्र न्यायालय के लम्बे मुकदमे की कठिनाइयों से बच जायेगा । उन्होंने यह सिद्धान्त बताया कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है तो उस के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र लगाया ही न जाये ।

पहली यही चीज़ है । सब अभियोग अभियुक्त को सुना दिये जायें तथा सत्र-न्यायाधीश इन अभियोगों की जांच करे । उन में परिवर्तन करे तथा जो कुछ भी वह चाहे करे । जो व्यवस्था प्रवर समिति ने बनाई है उस में प्रति-परीक्षण को कोई स्थान नहीं दिया गया है । मेरे एक माननीय मित्र ने बताया था कि इस प्रकार अभियोग चलाना न्याय का उपहास करना है । मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मेरा अपना अनुभव यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकती है । परन्तु उत्तर प्रदेश में तथा अन्य कई राज्यों में दंडाधिकारी के समक्ष प्रति-परीक्षण बहुत कम किया जाता है तथा निरर्थक समझा जाता है । मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया कि पंजाब में ऐसा अधिकतर होता है । मैं स्वीकार करता हूं । पश्चिमी बंगाल में भी यह बहुत कम होता है । इस सम्बन्ध में हमें स्मरण रखना चाहिये कि प्रवर समिति ने न्याय करने और अभियुक्त के प्रति पक्षपात करने के लिये ही ऐसा किया गया है क्योंकि जैसे आप प्रति-परीक्षण का अधिकार देते हैं, चाहे उस का लाभ उठाया जाये या न उठाया जाये, वैसे ही धारा २८८ लागू हो जाती है तथा दंडाधिकारी के समक्ष दिया गया बयान सत्र न्यायालय के अभिलेखों में आ जाता है । प्रवर समिति ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिये । परन्तु यदि सामान्य सम्मति प्रति-परीक्षण के पक्ष में हो तो मेरे मित्र श्री दातार ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । तथा यदि यह विचार है कि जिन साक्षियों का बयान धारा १६४ के अधीन हो चुका हो उन बयानों पर भी इसे लागू किया जाना चाहिये, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु परिणाम यह होगा कि परन्तुक निकाल दिया जायेगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मामला समाप्त हो जाता है । सत्र न्यायालय में सुनवाई के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि, वहां भी साक्षियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिये, कम से कम वारन्ट वाले मामलों में जिन में कि बाद को प्रति-परीक्षण किया जा सकता है । प्रेषण कार्यवाही के प्रति यही आपत्ति की गई है । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । श्री दातार का संशोधन, परन्तुक के बिना ही मतदान के लिये रख दिया जाये ।

अब मैं वारंट वाले मामलों की प्रक्रिया पर आता हूं । यदि सभा का मत मूल विधेयक में दी गई प्रक्रिया के पक्ष में हो जिस में दिया हुआ है कि दंडाधिकारी के समक्ष पूर्ण प्रति-परीक्षण होना चाहिये और दंडाधिकारी भी इच्छानुसार प्रति-परीक्षण कर सकता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सभा स्वयं इस का निर्णय कर ले । परन्तु मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति ने यह बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य उस को पसन्द करेंगे क्योंकि इस धारा की हुई चर्चा से मुझे प्रतीत होता है कि अभियोक्ता पक्ष की ओर बहुत थोड़ी सहानुभूति है तथा साक्षियों के लिये कोई सहानुभूति है ही नहीं । इस में सब से बड़ा झंझट जो दिखाई देता है वह यह है कि साक्षी को बार बार उपस्थित होना पड़ेगा । जब प्रवर समिति इस पर विचार कर रही थी तो उस समय हम ने सोचा था कि जो

[डा० काटजू]

कागजात अभियुक्त को मिलने चाहियें वह उस को दे दिये जायेंगे । मेरे विचार से सभा को ज्ञात है कि एक धारा के अनुसार सुनवाई के समय दंडाधिकारी जितनी बार चाहे अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को बदल सकता है । इसलिये वह एक अभियोग लगा कर सुनवाई प्रारम्भ करता है । प्रति-परीक्षण प्रारम्भ होता है । श्री चटर्जी का एक संशोधन है जिस के अनुसार पूर्णतया ठीक प्रकार से प्रति-परीक्षण किये जाने के लिये एक अथवा दो साक्षियों की जांच के पश्चात् प्रति-परीक्षण को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिये । दूसरे यह कि अभियुक्त को साक्षियों को बुलाने की अनुमति देने का अधिकार दंडाधिकारी की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाये । जब वह अपनी सफ़ाई पेश करे तो वह कह सकता है कि "मैं अभियोक्ता पक्ष के साक्षी का प्रति-परीक्षण करना चाहता हूं ।" और इसीलिये हम इसे प्रति-परीक्षण का तीसरा अधिकार कहते हैं ।

मेरे विचार से बहुत से दंडाधिकारी —विशेषतया उत्तर प्रदेश के—दो अथवा तीन साक्षियों की गवाही के पश्चात् अभियोगों की सूची बनाते हैं । वे अभियुक्त से पूछते हैं कि अभियोग सूची बना ली गई है तथा जिन साक्षियों की जांच हो चुकी है क्या आप उन से जिरह करना चाहते हैं इस के पश्चात् शेष बातें आती हैं ।

श्री आर० डी० मिश्र : मुख्य साक्षियों की गवाही होती है ।

डा० काटजू : मुख्य साक्षियों का प्रश्न ही नहीं है । यदि कोई मामला धारा ३२३ ३२५ का होता है अथवा जाली सिक्के बनाने का मामला होता है तो एक अथवा दो साक्षियों की गवाही ली जाती है और तत्पश्चात् अभियोग लगाये जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी कभी दंडाधिकारी छोड़ने का मामला समझ लेता है जिस में मामला वापस जा कर भी कभी कभी लौट आता है । यदि अभियोग लगाया जाता है तो प्रश्न केवल छोड़ने का ही रह जाता है ।

डा० काटजू : ऐसा बहुत कम होता है । परन्तु कभी कभी अभियुक्त की भलाई के लिये ऐसा किया जाता है । अभियोग लगाया जाता है तथा यदि अभियुक्त को निर्दोष समझा जाता है तो उस को छोड़ दिया जाता है । यदि यह छोड़ देने का मामला होता है तो कोई भी गैर-सरकारी पक्ष आवेदन कर सकता है । श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा था कि "देखिये गैर-सरकारी शिकायतों में तथा सरकारी शिकायतों में कितना अन्तर है" । मैं कई बार बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में मुझे केवल यही विभिन्नता प्रतीत हुई है कि सरकारी शिकायतों या पुलिस के मामलों में सामान्य डायरी होती है, जांच पड़ताल की जाती है और इस से मामले में सहायता मिलती है । परन्तु गैर-सरकारी शिकायतों के मामले में, पुलिस की जांच नहीं होती है और न डायरी ही होती है । इसलिये पुरानी प्रक्रिया ही ठीक है । मेरे माननीय मित्र श्री टेक चन्दने धारा १४ के सम्बन्ध में कुछ कहा था । मुझे ज्ञात नहीं कि उन्हों ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अथवा नहीं । परन्तु हमारे विचार से १०० रुपये बहुत ही कम हैं इसे बढ़ाया जाना ही चाहिये । मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उसे झूठ, तथा उलझन पैदा करने वाला बताया । यह धारा पिछले ८० अथवा ९० वर्ष से लागू है परन्तु मेरे मित्र इस विधि को बदलने की इच्छा रखते हैं । झूंठा मामला तो परेशान करने वाला होगा ही तथा जो बनाया हुआ

होगा वह झूठा भी होगा । इसलिये मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं और धारा ३४ को ऐसा ही छोड़े देता हूं ।

मेरा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि वे मेरे द्वारा बताई गई रीति के अनुसार इस विधेयक को स्वीकार कर लें । श्री दातार का संशोधन स्वीकृत कर लिया जाये तथा परन्तुक समाप्त हो जाये । जहां तक वारंट वाले मामलों का सम्बन्ध है यह व्यवस्था बिल्कुल ठीक है तथा सभी पक्षों के प्रति पूर्णतया न्याय करती है ।

अन्त में अभियुक्त की गवाही के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है । दंडाधिकारी अभियुक्त से सम्बन्धित बातों को कुरेदने के इच्छुक नहीं होते हैं । वे अभियुक्त से पूछते हैं, "क्या तुम ने यह अपराध किया है ? तुम ने इस व्यक्ति को पीटा था अथवा नहीं ?" उत्तर होता है 'नहीं' । यदि कोई तीसरा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अभियुक्त उत्तर देता है कि "मैं अपनी सफ़ाई को सुरक्षित रखना चाहता हूं अथवा मैं इस का उत्तर नहीं देना चाहता हूं ।"

उपाध्यक्ष महोदय : कल जो संशोधन रखे गये थे उनके अतिरिक्त खंड २९ और खंड ३२ पर कुछ और संशोधन अब रखे जा सकते हैं ।

खंड २९

इसके पश्चात् खंड २९ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किये गये :

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री फ्रैंक एंथनी ..	४४६, ४४७, ४५३, ४५५
श्री एस० वी० रामास्वामी	

श्री डाभी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"श्री बलवन्त नागेश दातार के संशोधन संख्या ५४५ में उपधारा ४ में प्रस्थापित परन्तुक को हटा दिया जाय ।"

खंड ३५

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२ में, पंक्ति १९ के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जाये :

"Provided that the Magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined, or recall any witness for further cross-examination."

["परन्तु दंडाधिकारी किसी साक्षी के प्रति-परीक्षण को स्थगित करने की, जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्षियों का परीक्षण न हो चुके, अनुज्ञा दे सकता है, या किसी साक्षी को अग्रेतर परीक्षण के लिये पुनः बुला सकता है ।"]

श्री फ्रैंक एंथनी ने अपने संशोधन संख्या ४५६, ४५७, ४५८ और ४५९ का प्रस्ताव किया ।

श्री राघवाचारी : यदि परन्तुक को हटा दिया जाय तो "if any" ['यदि कोई हो'] ये शब्द भी नहीं रहने चाहिए ।

डा० काटजू : ये शब्द तो रहने ही चाहिये । इसमें कोई हानि नहीं है । इसका केवल यही अर्थ है कि यदि कोई साक्षी हो तो उनका परीक्षण किया जाय, हो सकता है कोई गवाह न भी हो । यहां साक्षी का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने घटना को स्वयं देखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिये

[उपाध्यक्ष महोदय]

रखूंगा। सब से पहले मैं श्री डाभी के संशोधन को रखूंगा और फिर उसके द्वारा संशोधित रूप में संशोधन ५४५ को रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"श्री बलवंत नागेश दातार के संशोधन संख्या ५४५ में उपधारा ४ में प्रस्तावित परन्तुक को हटा दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९ में पंक्ति ४ से ११ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाय :

"(4) The Magistrate shall then proceed to take the evidence of such persons if any, as may be produced by the prosecution as witnesses to the actual commission of the offence alleged, and if the Magistrate is of opinion that it is necessary in the interests of justice to take the evidence of any one or more of the other Witnesses for the prosecution, he may take such evidence also"

["(४) तत्पश्चात् दंडाधिकारी ऐसे व्यक्तियों का, यदि कोई हों तो, साक्ष्य लेगा, जिन्हें अभियोक्ता पक्ष कथित अपराध के वास्तव में होने के सम्बन्ध में साक्षी के रूप में उपस्थित करे ; और यदि दंडाधिकारी की यह राय हो कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि अभियोक्ता पक्ष की ओर से किसी अन्य एक या अनेक साक्षियों का साक्ष्य लिया जाये, तो वह ऐसा साक्ष्य भी ले सकता है।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९ में पंक्ति १४ से १७ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाय :

"(5) The accused shall be at liberty to cross-examine the witnesses examined under sub-section (4), and in such case, the prosecutor may re-examine them"

[(५) अभियुक्त को उपधारा (४) के अधीन परीक्षित साक्ष से जिरह करने की स्वतंत्रता होगी, और ऐसे मामले में, अभियोक्ता पक्ष भी उनका पुनः परीक्षण कर सकता है।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९, पंक्ति १८ से १९ में :

"When the statements, if any, have been recorded under sub-section (4)"

["जब बयान, यदि कोई हों, उपधारा (४) के अधीन अभिलिखित किये जा चुके हों"] इन शब्दों के स्थान पर

"When the evidence referred to in sub-section (4) has been taken"

"[जब उपधारा (४) में निर्दिष्ट साक्ष्य ले लिया गया हो"] ये शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति २३ में, "statements" (बयानों) के स्थान पर "evidence" (साक्ष्य) शब्द रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९, पंक्ति २८ में "such statements being recorded" (एसे बयानों के अभिलिखित होने पर) के स्थान पर "such evidence being taken" (ऐसे साक्ष्य के लेने पर) ये शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १० और ११ में क्रमशः पंक्तियां ४५ से ४९ और पंक्तियां १ तथा २ निकाल दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सब संशोधन अवरुद्ध हैं ।

श्री डाभी : मेरा संशोधन २७ अवरुद्ध नहीं है ।

श्री आर० डी० मिश्र : संख्या ४७७ भी अवरुद्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इन में से किसी को स्वीकार करने के लिये तैयार है ?

डा० काटजू : नहीं श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा तो फिर मैं इन्हें सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

दोनों संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड ३५ को लेता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मंत्री महोदय ने कहा था कि वह मेरे संशोधन संख्या ३२७ को स्वीकार करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२ में पंक्ति १९ के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जाये :

"Provided that the Magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined, or recall any witness for further cross-examination."

["परन्तु दंडाधिकारी किसी साक्षी के प्रति-परीक्षण को स्थगित करने की, जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्षियों का परीक्षण न हो चुके, अनुज्ञा दे सकता है, या किसी साक्षी को अग्रेतर प्रति-परीक्षण के लिये पुनः बुला सकता है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह

पृष्ठ १२ में पंक्ति २३ से ३१ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

"(9) If the accused, after he has entered upon his defence, applies to the Magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination, or the production of any document or other thing, the Magistrate shall issue such process unless he considers

[उपाध्यक्ष महोदय]

that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice. Such ground shall be recorded by him in writing.

Provided that, when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness after the charge is framed, the attendance of such witness shall not be compelled under this section, unless the Magistrate is satisfied that it is necessary for the purpose of justice."

["(९) यदि अभियुक्त अपनी सफाई आरम्भ करने के पश्चात्, दंडाधिकारी से आवेदन करता है कि किसी साक्षी की उपस्थिति को बाध्य करने के लिये, जिससे कि उसका परीक्षण या प्रति-परीक्षण किया जा सके, या किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को पेश करने के लिये, आदेशिका निकाली जाये, तो दंडाधिकारी ऐसी आदेशिका निकाल देगा जब तक कि उसका विचार न हो कि ऐसा आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत हो जाना चाहिये कि वह विलम्ब करने के प्रयोजन से या न्याय के उद्देश्य में बाधा डालने के लिये किया गया है। ऐसे आधार को वह लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

परन्तु, जब कि अभियुक्त दोषारोप के पश्चात् किसी साक्षी का प्रति-परीक्षण कर चका है या उसे प्रति-परीक्षण करने का अवसर मिल चुका है तो उस साक्षी को उपस्थित होने के लिये इस धारा के अधीन बाध्य नहीं किया जायगा, जब तक कि दंडाधिकारी का समाधान न हो जाय कि न्याय के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ३५ के अन्य सब संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३५ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २६ पर संशोधन संख्या १११ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "

"कि खंड २६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २८ पर सब संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३०, ३१, ३३, और ३४ पर सब संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड ३०, ३१, ३३ और ३४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३०, ३१, ३३ और ३४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ३६ पर संशोधन संख्या ३०१ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नये खंड जोड़ने सम्बन्धी सब संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गय तथा अस्वीकृत हुये ।

खंड ३२, ३७ तथा ३८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ३९ से ६०

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ३९ से ६० तक के खंडों पर विचार करेंगे । जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे चिटों पर संशोधनों की संख्या लिख कर यहां पटल पर रख दें ।

श्री साधन गुप्त : इस वर्ग की धाराओं में हमारा सम्बन्ध जूरी द्वारा सुनवाई के अधिकार से है । हमारे अंग्रेजी शासकों ने सत्र मामलों में दो प्रकार की सुनवाई का उपबन्ध किया था अर्थात् एक जूरी द्वारा और दूसरा असेसर द्वारा । इस उपबन्ध में हमारी बुद्धि तथा क्षमता के लिये घृणा और कार्य-कुशलता के लिये उपेक्षा भाव सन्निहित है । लोग यह आशा करते हैं कि राष्ट्रीय सरकार हमें इस अपमान से मुक्त करेगी और इसे अपने द्वारा प्रस्तुत होने वाले विधेयक में सम्मिलित नहीं करेगी । परन्तु डा० काटजू इसे सम्मिलित कर रहे है ।

सामान्य नियम के रूप में जूरी सुनवाई लागू करने के उद्देश्य से हमने अनेकों संशोधनों के प्रस्ताव किये हैं । इस सम्बन्ध में मैं इस आपत्ति से भली प्रकार अवगत हूं कि अनेकों मामलों में जूरी संतोषजनक सिद्ध नहीं हुई है । परन्तु यह जूरी का दोष नहीं है अपितु उन प्राधिकारियों का दोष है जो जूरी का प्रवरण करते हैं । मैंने देखा है कि जूरी सदस्य प्रायः जमींदार वर्ग से चुने जाते हैं और वे भ्रष्ट होते हैं । इसी कारण हमने अपने संशोधनों द्वारा जूरी को व्यापक बनाने की मांग की है । इन संशोधनों के बिना, हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि केवल न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली सुनवाई की अपेक्षा असेसर द्वारा की जाने वाली सुनवाई कहीं अच्छी है । हमें पूर्ण विश्वास है कि असेसर द्वारा होने वाली सुनवाई अच्छी बात नहीं है, यह जूरी प्रणाली का स्थान नहीं ले सकती । परन्तु जहां जूरी द्वारा सुनवाई होने का उपबन्ध नहीं किया गया है, वहां केवल न्यायाधीश द्वारा होने वाली सुनवाई की अपेक्षा असेसर के रूप में ही जन-साधारण का सम्पर्क कहीं अधिक वांछनीय है । यदि ऐसे जन-साधारण द्वारा सुनवाई हो सके, जो साक्ष्य सम्बन्धी अपने मत से मामले को प्रस्तावित कर सके, तो निश्चय ही यह अत्यधिक वांछनीय बात है । क्योंकि हमारी न्यायपालिका को साक्ष्यों पर एक विशिष्ट दृष्टि से विचार करने का प्रशिक्षण मिला है, परन्तु एक सामान्य व्यक्ति अपने समक्ष दिये गये साक्ष्य पर मानवीय दृष्टि से विचार कर सकता है । साक्ष्य में कोई आलोच्य बात न होने पर भी वह कह सकता है कि साक्ष्य विश्वसनीय है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हम सब इसके पक्ष में हैं, परन्तु यदि इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती तो हम इस बात को चाहेंगे कि

[श्री साधन गुप्त]

किसी भी रूप में मामले से सामान्य व्यक्ति का सम्पर्क बना रहे चाहे वह असेसर के रूप में ही हो ।

श्रीमान्, मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक में इस अपमानजनक उपेक्षा-भाव की अभिव्यक्ति नहीं करेंगे कि वे हमारे लोग न्याय प्रशासन में सम्मिलित किये जाने के योग्य नहीं हैं । जहां कहीं भी जूरी में उचित लोगों का प्रवरण किया गया है, वहां जूरी ने अच्छा कार्य किया है और न्याय से मानवीय प्रशासन में सहायता दी है । हमें अपने लोगों पर भरोसा रखना चाहिये और उचित जूरी सदस्यों का वरण करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ।

श्री दातार : कोई भी बोलना नहीं चाहता ।

श्री साधन गुप्त : संशोधनों के बारे में क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह संशोधन दे सकते हैं ।

श्री राघवाचारी : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिये मैं घंटी बजाता हूं ।

अब गणपूर्ति हो गई है ।

संशोधनों की निम्न संख्या है : संशोधन संख्या ५८९ से ६०३, संख्या ७४ से ९२ और संख्या १४२ तथा १४३ ।

निम्न लिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
खंड ३९	श्री साधन गुप्त	५८९
	श्री आर० डी० मिश्र	७४
खंड ४०	श्री साधन गुप्त	५९०, ५९१, ५९२, ५९३
	श्री आर० डी मिश्र	७५
खंड ४१	श्री साधन गुप्त	५९४, ५९५, ५९६
	श्री आर० डी० मिश्र	७६, ७७
खंड ४२	श्री आर० डी० मिश्र	७८
खंड ४५	श्री साधन गुप्त	५९७
	श्री आर० डी० मिश्र	७९
खंड ४७	श्री साधन गुप्त	५९८
	श्री आर० डी० मिश्र	८०
खंड ५५	श्री साधन गुप्त	५९९
खंड ५६	श्री साधन गुप्त	६००
खंड ५७	श्री साधन गुप्त	६०१
खंड ५९	श्री साधन गुप्त	६०२
नया खंड ६०क	श्री साधन गुप्त	६०३
खंड ४९	श्री आर० डी० मिश्र	८१

	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
खंड ५०	श्री आर० डी० मिश्र	८२
खंड ५१	श्री आर० डी० मिश्र	८३
खंड ५२	श्री आर० डी० मिश्र	८४
खंड ५३	श्री आर० डी० मिश्र	८५
खंड ५४	श्री आर० डी० मिश्र	८६
नया खंड ५४क	श्री आर० डी० मिश्र	८७, ८८
खंड ५५	श्री आर० डी० मिश्र	८९
नया खंड ५५क	श्री आर० डी० मिश्र	९०
खंड ५६	श्री आर० डी० मिश्र	९१
खंड ५७	श्री आर० डी० मिश्र	९२
खंड ५८	श्री आर० डी० मिश्र	१४२
खंड ५९	श्री आर० डी० मिश्र	१४३

उपरोक्त सब संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

५ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३९ से ६० तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३९ से ६० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPND—HZ—518 LSD—18-5-55—240